




भारत के
नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व प्राप्तियाँ
(प्रतिवेदन क्र. 3)



छत्तीसगढ़ शासन



दिनांकके विधान सभा
में प्रस्तुत।
Presented to Legislature
on...03 APR 2012

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व प्राप्तियाँ)
(प्रतिवेदन क्र. 3)

छत्तीसगढ़ शासन



विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
पहला अध्याय : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
लेखापरीक्षा के प्रति विभागो/शासन की प्रतिक्रिया	1.2	4
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षण परिवीक्षण	1.2.1	4
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.2.2	5
लेखापरीक्षा को पश्चिण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना	1.2.3	5
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकऑं पर शासन की प्रतिक्रिया	1.2.4	6
लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण-सारांश स्थिति	1.2.5	6
पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.2.6	7
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयो पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रीया का विश्लेषण करना	1.3	8
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.3.1	8
निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाये गये विषयों पर शासन/विभाग द्वारा दिया गया आश्वासन	1.3.2	9
स्वीकृत किये प्रकरणों में वसूली	1.3.2.1	9
विभाग/शासन द्वारा स्वीकार की गयी अनुशंसाओं पर की गयी कार्यवाही	1.3.2.2	10
लेखापरीक्षा योजना	1.4	11
लेखापरीक्षा का परिणाम	1.5	11
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति	1.5.1	11
यह प्रतिवेदन	1.5.2	11
दूसरा अध्याय: वाणिज्यिक कर		
कर प्रशासन	2.1	13
बजट तैयारी का विश्लेषण	2.2	13
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.3	13
बकाया राजस्व का विश्लेषण	2.4	14

कर निर्धारिती का चित्रण	2.5	14
वैट लागत प्रति कर निर्धारिती	2.6	15
निर्धारण हेतु बकाया	2.7	15
संग्रहण की लागत	2.8	16
संग्रहण का विश्लेषण	2.9	16
लेखापरीक्षा का प्रभाव	2.10	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.11	18
अन्तर्राज्यीय व्यापार में व्यवहृत घोषणा पत्र के प्रतिसत्यापन (निष्पादन लेखापरीक्षा)	2.12	19
निर्धारण/विवरणी पर लेखापरीक्षा के अवलोकन	2.13	43
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन न करना	2.14	43
कर योग्य माल पर गलत छूट	2.15	44
कर योग्य टर्नओवर से गलत कटौती	2.16	44
शास्ति का अनारोपण	2.17	45
कर के गलत दर का प्रयोग	2.18	46
प्रवेश कर का अनियमित छूट	2.19	47
प्रवेश कर का अनारोपण	2.20	48
घोषणा पत्र बिक्री पर कर का अनारोपण	2.21	48
इनपुट कर छूट का गलत अनुमति	2.22	49
करयोग्य माल के बिक्री पर गलत छूट	2.23	49
तीसरा अध्याय: मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
कर प्रशासन	3.1	51
बजट तैयारी का विश्लेषण	3.2	51
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	3.3	51
बकाया राजस्व का विश्लेषण	3.4	52
संग्रहण की लागत	3.5	52
लेखापरीक्षा का प्रभाव	3.6	52
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.7	54
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.8	54
लेखापरीक्षा निरीक्षण	3.9	55

सपत्तियों के अवमूल्यांकन से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	3.10	55
दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण	3.11	57
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	3.12	58
मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण	3.13	59
चौथा अध्याय : राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	4.1	61
बजट तैयारी का विश्लेषण	4.2	61
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	4.3	61
बकाया राजस्व का विश्लेषण	4.4	62
संग्रहण की लागत	4.5	62
लेखापरीक्षा का प्रभाव	4.6	63
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.7	64
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.8	64
लेखापरीक्षा टिप्पणी	4.9	65
मद्यभण्डागारों में स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध रखने में विफल रहने पर शास्ति का अनारोपण	4.10	65
बोतल बंद देशी मदिरा के परिवहन में छीजन	4.11	66
गलत दर से अनुज्ञप्ति शुल्क का आरोपण	4.12	66
पाँचवा अध्याय : भू-राजस्व		
प्रस्तावना	5.1	69
संगठनात्मक संरचना	5.2	70
बजट तैयारी का विश्लेषण	5.3	70
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5.4	70
राजस्व बकाया का विश्लेषण	5.5	71
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	5.6	71
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति	5.7	72
लेखापरीक्षा का परिणाम	5.7.1	72
भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण - निष्पादन लेखापरीक्षा	5.8	73

छठवा अध्याय : वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	6.1	89
बजट तैयारी का विश्लेषण	6.2	89
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	6.3	89
बकाया राजस्व का विश्लेषण	6.4	90
संग्रहण की लागत	6.5	90
लेखापरीक्षा का प्रभाव	6.6	90
आंतरिक लेखापरीक्षा	6.7	92
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.8	92
परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण एक निष्पादन लेखापरीक्षा	6.9	93
लेखापरीक्षा टिप्पणी	6.10	107
यात्रीयान एवं मालयान के स्वामियों से कर की वसूली न होने बाबत्	6.11	107
प्रशमन शुल्क की कम वसूली	6.12	108
सातवां अध्याय: विद्युत शुल्क		
कर प्रशासन	7.1	109
बजट तैयारी का विश्लेषण	7.2	109
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	7.3	109
राजस्व बकाया का विश्लेषण	7.4	110
लेखापरीक्षा का प्रभाव	7.5	110
आंतरिक लेखापरीक्षा	7.6	112
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.7	112
एकबत्ती कनेक्शन पर उपकर एवं ब्याज का अनारोपण	7.8	113
आठवा अध्याय : वन एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	8.1	115
बजट तैयारी का विश्लेषण	8.2	115
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	8.3	116
बकाया राजस्व का विश्लेषण	8.4	116
लेखापरीक्षा का प्रभाव	8.5	117


आंतरिक लेखापरीक्षा	8.6	117
लेखापरीक्षा परिणाम	8.7	118
लेखापरीक्षा टिप्पणी	8.8	118
अभिवहन शुल्क का अनारोपण	8.9	119
डिपो में वनोपज की कमी	8.10	119
परिवर्तित वन क्षेत्र के शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की कम वसूली	8.11	120
राज्यांश की कम वसूली	8.12	121



31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की वाणिज्यिक कर/ मूल्य संबंधित कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, वन एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियों को समाहित करते हुए प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जांच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 28 कंडिकाएं, तथा कर अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि आदि जिसमें ₹ 49.96 करोड़ समाहित तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं

I. सामान्य

गतवर्ष के ₹ 10,166.25 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य शासन की कुल प्राप्तियां ₹ 12,840.46 करोड़ रही। इसमें से 57 प्रतिशत राशि कर राजस्व (₹ 9,005.14 करोड़) एवं कर भिन्न राजस्व (₹ 3,835.32 करोड़) द्वारा शासन को प्राप्त हुई। शेष 43 प्रतिशत राशि भारत शासन के विभाज्य संघीय करों में राज्यांश (₹ 5,425.19 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 4,453.89 करोड़) से प्राप्त हुई।

(कंडिका 1.1.1)

जून 2011 के अंत में, दिसम्बर 2010 तक जारी 2,094 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 7,874 लेखा परीक्षा आपत्तियाँ जिनमें ₹ 3,429.36 करोड़ समाहित की वसूली लम्बित थी।

(कंडिका 1.2.1)

वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यिक कर, मुद्राकं एवं पंजीयन शुल्क, परिवहन, भू-राजस्व, आबकारी, मनोरंजन, विद्युत सुरक्षा एवं कर भिन्न राजस्व के अभिलेखों की नमूना जांच में ₹ 826.86 करोड़ अवनिर्धारण/कम करारोपण/राजस्व की हानि के 7,666 प्रकरण प्रकट हुए। वर्ष 2010-11 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित 4,498 प्रकरण, जिसमें ₹ 656.84 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को विभाग ने स्वीकार किया। वर्ष 2010-11 के दौरान इनमें से विभाग द्वारा ₹ 2.35 करोड़ की राशि वसूल की गई।

(कंडिका 1.5.1)

II. वाणिज्यिक कर

"अन्तर्राज्यीय व्यापार/वाणिज्य में व्यवहृत घोषणा पत्र के प्रतिसत्यापन" के निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि

- विभाग के पास व्यवसायियों द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्रों के प्रतिसत्यापन TINXSYS बेवसाइट पर फार्मों एवं उपयोगिता पत्र के सत्यापन हेतु या घोषणा पत्रों के विरुद्ध बिक्री का कोई डेटाबेस की प्रणाली नहीं थी।

(कंडिका 2.12.6)

- प्रोत्साहन योजना के वैधता के समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर दायित्व का समायोजन करने से व्यापारी को ₹ 26.54 लाख का अनुचित लाभ।

(कंडिका 2.12.14)

- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म 'सी' के जांच न करने से व्यापारी को अन्तर्राज्यीय बिक्री टर्नओवर छिपाने के फलस्वरूप शास्ति सहित ₹ 28.24 लाख की कर चोरी ।

(कंडिका 2.12.20)

- व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण पत्र में शाखा नहीं घोषित होने पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म 'एफ' के माध्यम से रियायती विक्रय पर कर में छूट के फलस्वरूप ₹ 20.28 लाख कर एवं शास्ति ₹ 60.84 लाख का अनारोपण ।

(कंडिका 2.12.23)

- घोषणा पत्रों के अभाव में अन्तर्राज्यीय विक्रय की गलत छूट से ₹ 1.02 करोड़ का अनारोपण ।

(कंडिका 2.12.25)

- 61 प्रकरणों में नौ राज्यों से संबंधित 'सी' फार्मों के माध्यम से ₹ 40.62 लाख का कर अपवंचन एवं शास्ति ₹ 121.86 लाख का अनारोपण ।

(कंडिका 2.12.27)

- पाँच राज्यों द्वारा 39 'एफ' फार्म का जारी न किया जाने से ₹ 1.15 करोड़ का कर अपवंचन एवं आरोपणीय शास्ति ₹ 3.46 करोड़ ।

(कंडिका 2.12.28)

- 45 व्यवसायियों से खरीदे गये वस्तु की कीमत कम दर्शाने और इसकी जांच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा न किये जाने से शास्ति सहित कर ₹ 2.89 करोड़ का अनारोपण ।

(कंडिका 2.12.32)

गलत छूट देने से ₹ 39.70 लाख की अवसूली

(कंडिका 2.15)

कर योग्य विक्रय पर गलत कटौती के कारण ₹ 23.61 लाख कर की अवसूली

(कंडिका 2.16)

अनियमित छूट देने से कर ₹ 17.89 लाख एवं शास्ति ₹ 89.43 लाख का अनारोपण

(कंडिका 2.17)

अवशिष्ट मालों पर कम दर आरोपण के कारण ₹ 32.86 लाख के राजस्व की अवसूली

(कंडिका 2.18)

संदेहास्पद वाहन रसीद पर अनुचित छूट से प्रवेश कर एवं शास्ति ₹ 15.48 लाख अनारोपण

(कंडिका 2.19)

सीधे बिक्री की अनियमित छूट से प्रवेश कर ₹ 9.17 लाख का अनारोपण

(कंडिका 2.20)

करयोग्य माल पर गलत छूट दिए जाने से ₹ 2.44 लाख का अनारोपण

(कंडिका 2.21)

घोषणा पत्र बिक्री पर ₹ 8.08 लाख कर का अनारोपण

(कंडिका 2.23)

III. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन से ₹ 79.40 लाख का स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का कम आरोपण

(कंडिका 3.10)

दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण से ₹ 48.19 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली

(कंडिका 3.12)

उपपंजीयक द्वारा अपूर्ण विलेखों का पंजीयन एवं अनियमित रूप से दस्तावेजों को रोक कर रखने से मुद्रांक ₹ 12.36 लाख की मुद्रांक शुल्क की कम वसूली

(कंडिका 3.13)

IV. राज्य उत्पाद शुल्क

मद्य भण्डागारों में स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध रखने में विफल रहने पर ₹ 2.32 करोड़ का शास्ति का अनारोपण

(कंडिका 4.10)

परिवहन में अधिक छीजन पर शुल्क का अनारोपण ₹ 7.12 लाख

(कंडिका 4.11)

अनुज्ञप्ति शुल्क के गलत दर आरोपित किए जाने से ₹ 8.00 लाख के राजस्व की हानि

(कंडिका 4.12)

V. भू-राजस्व

'भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण' के एक निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

- हमने पाया कि यद्यपि 36 स्थायी पट्टा विलेखों को कलेक्टर दुर्ग द्वारा अंतिम रूप दिया गया, इन पट्टा विलेखों का निष्पादन किया गया लेकिन पंजीयन नहीं किया गया ।

(कंडिका 5.8.7)

- चार कलेक्टर और छह तहसीलों में, यद्यपि विभाग ने राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के संदर्भ में ₹ 24.76 करोड़ की वसूली की जिस पर वसूली योग्य प्रक्रिया व्यय ₹ 74.27 लाख की वसूली संबंधित तहसीलदारों द्वारा नहीं की गयी ।

(कंडिका 5.8.8)

- छह जिलों के संबंधित एस.डी.ओ./कलेक्टरों द्वारा भाटक दरों के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव शासन को दस वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं भेजे गये थे धमतरी को छोड़कर जिसमें तीन वर्षों से अधिक व्यतीत होने के बाद प्रस्ताव भेजे गये थे ।

(कंडिका 5.8.9)

- अप्रैल 2006 और मार्च 2011 के मध्य 642 प्रकरणों में प्रब्याजि ₹ 2.60 करोड़ पर पंचायत उपकर ₹ 1.30 करोड़ का निर्धारण एवं आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 5.8.10)

- हमने दस कार्यालयों में पाया कि परवीक्षण प्रणाली के अभाव में पुनरीक्षण हेतु अपेक्षित 1843 स्थायी पट्टों का पुनरीक्षण नहीं होने के परिणाम स्वरूप नजूल भाटक ₹ 62.79 लाख की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.8.11)

- हमने कार्यालय कलेक्टर दुर्ग में पाया कि 186 पट्टों में से 8 प्रकरणों में भाटक राशि ₹ 3.73 लाख का भुगतान पट्टाधारी द्वारा 1987 से नहीं किया गया। आगे कोरबा में नजूल अधिकारी द्वारा 32 प्रकरणों में ₹ 90.66 लाख की मांग सृजित नहीं की गयी थी।

(कंडिका 5.8.11.1)

- जगदलपुर में, 19286 वर्गफुट भूमि नगर निगम जगदलपुर को मार्च 2003 में हस्तांतरित की गयी जिस पर प्रिमियम और भू-भाटक क्रमशः ₹ 94.09 लाख एवं ₹ 7.05 लाख का आरोपण/वसूली कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया।

(कंडिका 5.8.11.2)

- हमने देखा कि तहसीलदार द्वारा अवधि जुलाई 2004 से अप्रैल 2010 के दौरान 377 प्रकरणों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को खाली कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा, अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा अवधि हेतु ₹ 60.18 लाख की शास्ति का आरोपण नहीं किया था।

(कंडिका 5.8.14)

हमने देखा कि कलेक्टर दुर्ग ने 122 प्रकरणों में पूर्वपुनरीक्षित दसों से परिवर्तित भूमि की कीमत का निर्धारण करने के फलस्वरूप व्यपवर्तन लगान ₹ 7.85 लाख का कम निर्धारण हुआ इसके अलावा उप संभागीय अधिकारी, जांजगीर और दो तहसीलदारों द्वारा व्यपवर्तन लगान एवं प्रिमियम ₹ 89.14 लाख की मांग सृजित नहीं की गयी।

(कंडिका 5.8.15 एवं 5.8.16)

- नगर निगम महासमुन्द और सूरजपुर एवं कृषि उपजमंडी, चांपा से प्रिमियम व भू-भाटक ₹ 86.73 लाख की अवसूली। इसके अलावा विलम्बित भुगतान पर ब्याज के ₹ 1.60 करोड़ आरोपणीय थी।

(कंडिका 5.8.17)

- अवधि 2006-07 से 2010-11 तक के दौरान, व्यपवर्तन लगान, पट्टा किराया और अन्य भू-राजस्व पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर का आरोपण नहीं करने के परिणामस्वरूप छह कलेक्ट्रेट और नौ तहसीलों में ₹ 1.02 करोड़ की शासकीय राजस्व की अप्राप्ति।

(कंडिका 5.8.18)

- भूमि के आवंटन में स्कूल को अनावश्यक पक्षपात करने से प्रिमियम व भू-भाटक राशि ₹ 54.87 लाख का कम आरोपण।

(कंडिका 5.8.19)

VI. वाहनों पर कर

"वाहन' एवं 'सारथी' साफ्टवेयर की सूचना प्राद्यौगिकी" निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- हमने वाहन एवं सारथी का मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम टूल के रूप में आंशिक उपयोग पाया। अन्तर्राज्यीय परिवहन सहित परमिट प्रवर्तन/वाहन जाँच रिपोर्ट, अस्थाई पंजीयन मांग संग्रहण एवं शेष प्रपत्र, मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, कण्डक्टर लाइसेंस माड्यूल अभी तक प्रयोग में नहीं लाये गये।

(कंडिका 6.9.10)

- हमने पाया कि डाटा वेस प्रशासन को नियन्त्रित करने के लिए विभागीय लोगों को दक्ष बनाने के प्रयास नहीं किये गये, डाटावेस प्रशासन को रा.सू.के. द्वारा नियन्त्रित किया जा रहा है।

(कंडिका 6.9.13)

- साफ्टवेयर द्वारा गलत डाटा की इन्ट्री को अस्वीकार नहीं किया गया। हमने पाया कि 6,26,699 वाहनों के पंजीयन अभिलेखों में 7670 वाहन समान चेसिस नम्बर और इन्जन नम्बर रखते थे। क्षे.प. कार्यालय रायपुर में 138 प्रकरणों में दोहरे चेसिस नम्बर पाये गये जबकि क्षे.प. कार्यालय, बिलासपुर में एक प्रकरण में शून्य संख्या चेसिस नम्बर में दर्ज थी।

(कंडिका 6.9.14)

- हमने देखा कि आपदा के समय विभागीय गतिविधियों को संचालित करने के लिए बिजनेस निरन्तरता एवं आपदा रिकवरी योजना विभाग के पास नहीं थी। यहाँ कोई केन्द्रीकृत डाटावेस, वैकअप, स्टैण्ड वाई सर्वर क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित नहीं थे। अतः डाटा हानि की अवस्था में विभाग के पास डाटा को पुर्नजीवित करने का कोई साधन नहीं है।

(कंडिका 6.9.18)

- च्वाइस नम्बर में फीस के रूप में ₹ 1.87 लाख की कम वसूली हुई जिसे वाहन साफ्टवेयर भी चिन्हित करने में असफल रहा क्योंकि च्वाइस नम्बर के लिए कोई मास्टर डाटा नहीं बनाया गया था बावजूद इसके कि साफ्टवेयर में इस प्रकार की सुविधा थी।

(कंडिका 6.9.22)

- तीन क्षे.प.अ. के रिकार्डों की नमूना जाँच में हमने पाया कि 3527 वाहनों के सन्दर्भ में परिवहन अधिकारियों द्वारा कर चुकता से सम्बन्धित डाटा वाहन साफ्टवेयर में NOC स्वीकार करते समय नहीं भरा गया।

(कंडिका 6.9.25)

- हमने पाया कि वाहन साफ्टवेयर में कर की दरों को परिवर्तित करने का सिस्टम था परन्तु विभाग ने उसे अद्यतन नहीं किया । आगे जाँच में पाया गया कि 1443 वाहनों में जीवन काल कर ₹ 49.07 लाख किया जाना था, परन्तु क्षे.प.अ. ने केवल ₹ 40.94 लाख आरोपित और वसूल किये जिससे ₹ 8.13 लाख कम वसूली हुई ।

(कंडिका 6.9.26)

VII. विद्युत एवं सुरक्षा

एकबत्ती कनेक्शन पर ₹ 1.13 करोड़ रूपये की उपकर एवं ब्याज की छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड से वसूली न होना

(कंडिका 7.8)

VIII. वन एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तिर्ाँ

वन भूमि से खनन किये खनिजों के परिवहन एवं खनन पर परिवहन फीस की वसूली न करने से परिवहन फीस ₹ 13.16 करोड़ की अनारोपण

(कंडिका 8.9)

पहला अध्याय-सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2010-11 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा भिन्न कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य निवल आगम संधीय करों में राज्यांश एवं सहायता अनुदान एवं इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आँकड़े नीचे वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व					
	• कर राजस्व	5,045.70	5,618.10	6,593.72	7,123.25	9,005.14
	• कर भिन्न राजस्व	1,451.34	2,020.45	2,202.21	3,043.00	3,835.32
	योग	6,497.04	7,638.55	8,795.93	10,166.25	12,840.46
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य निवल आगम संधीय करों का राज्यांश	3,198.80	4,034.98	4,257.91	4,380.66	5,425.19 ¹
	• सहायता अनुदान	1,757.40	2,205.12	2,608.92	3,606.74	4,453.89
	योग	4,956.20	6,240.10	6,866.83	7,987.40	9,879.08
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1+ 2)	11,453.24	13,878.65	15,662.76	18,153.65	22,719.54
4.	1 से 3 का प्रतिशत	57	55	56	56	57

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि राज्य शासन द्वारा संग्रहित कुल राजस्व में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, इसके विरुद्ध पिछले वर्ष में 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। तथापि वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व कुल राजस्व का 57 प्रतिशत रहा इसके विरुद्ध यह पिछले वर्ष 56 प्रतिशत रहा। वर्ष 2010-11 के दौरान शेष राजस्व 43 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

¹ विवरण के लिए कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखा वर्ष 2010-11 (क-कर राजस्व)- तालिका 11 राजस्व का लघु शीर्षवार लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020- कारपोरेशन कर, 0021-आय कर, 0028-आय और व्यय पर अन्य कर, 0032-संपत्ति कर, 0038-सीमा शुल्क, 0044-सेवा कर, 0045-वस्तुओं एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क के अंतर्गत लघु शीर्ष 901-राज्यों को समानुदेशित निवल आगामो का हिस्सा के दर्ज राशि क-कर राजस्व के अंतर्गत दिखाये गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर, विभाज्य संधीय करों में राज्य अंश में सम्मिलित किया गया।

1.1.2 वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	(₹ करोड़ में)	
							2009-10 की तुलना में 2010-11 आधिक्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत	
1.	• वाणिज्यिक कर	2,140.71	2,502.70	2,946.78	3,031.16	4,094.96	(+)	35.10
	• केन्द्रीय विक्रय कर	702.33	521.00	664.16	681.00	745.83	(+)	9.52
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	706.81	843.00	964.10	1,187.72	1,506.44	(+)	26.83
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	389.51	462.72	495.59	583.13	785.85	(+)	34.76
4.	विद्युत पर कर और शुल्क	469.12	394.86	415.10	416.91	502.53	(+)	20.54
5.	वाहनो पर कर	253.05	276.94	313.78	351.88	427.52	(+)	21.50
6.	माल और यात्रियों पर कर	301.81	510.72	420.71	696.10	675.14	(-)	3.01
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर होटल प्राप्ति कर सहित व्यवसाय, वृत्ति, व्यवसाय एवं रोजगार पर कर	16.23	11.54	7.67	8.81	8.82	(+)	0.11
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	5.27	6.40	6.33	6.86	10.69	(+)	55.83
9.	भू-राजस्व	60.86	88.12	359.50	159.68	247.37	(+)	54.92
योग		5,045.70	5,618.10	6,593.72	7,123.25	9,005.15	(+)	26.42

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित है:

वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर: (35.10 और 9.52 प्रतिशत) वृद्धि नियमों के तहत वसूली वाणिज्यिक कर के बकाया की वसूली हेतु सरल स्कीम लागू करने एवं लौह, अयस्क सीमेंट कोयला के दामों में वृद्धि एवं केन्द्रीय विक्रय कर के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार में वृद्धि के कारण हुई ।

राज्य उत्पाद : (26.83प्रतिशत) वृद्धि प्रक्रिया, शुल्क एवं शराब की बिक्री में वृद्धि के वृद्धि के कारण हुई ।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस: (34.76प्रतिशत) वृद्धि विलेखों के पंजीयन एवं सम्पत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई ।

वाहनो पर कर: (21.50प्रतिशत) वृद्धि जीवनकाल कर एवं नये वाहनो के पंजीयन में वृद्धि के कारण हुई ।

भू-राजस्व: (54.92 प्रतिशत) वृद्धि पूर्ववर्ती वर्षों के आधों संरचना विकास उपकर की वसूली के कारण हुई ।

अन्य विभागों से अनुरोध (मई 2011) में किए जाने के बावजूद भी अंतर के कारणों को सूचित नहीं किया (सितंबर 2011)।

1.1.3. वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक राज्य द्वारा संग्रहित कर-भिन्न राजस्व के विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2009-10 की तुलना में 2010-11 अधिव्य (+) या कमी (-) का प्रतिशत
1.	अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग	813.42	1,031.55	1,243.24	1,660.87	2,470.44	(+) 48.74
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	205.79	258.07	322.29	345.85	305.17	(-) 11.76
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	186.04	205.61	237.40	220.70	170.95	(-) 22.54
4.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	104.96	97.62	126.03	105.37	222.00	(+) 110.69
5.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	74.32	96.44	135.18	537.82	602.01	(+) 11.94
6.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	19.33	7.62	1.67	35.67	10.26	(-) 71.24
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	13.10	10.59	11.49	13.03	15.97	(+) 22.56
8.	पुलिस	12.11	12.31	8.22	6.69	18.22	(+) 172.35
9.	लोक निर्माण	9.31	11.67	13.59	14.61	15.74	(+) 7.73
10.	विविध सामान्य सेवाएँ	8.62	281.84	95.58	96.97	(-) 0.84	(-) 100.87
11.	सहकारिता	4.34	7.13	7.52	5.42	5.40	(-) 0.37
योग		1,451.34	2,020.45	2,202.21	3,043.00	3,835.32	(+) 26.04

संबंधित विभागों द्वारा प्राप्तियों में अंतर का कारण नीचे वर्णित है:

भौमिकी एवं खनिकर्म: (48.74 प्रतिशत) वृद्धि लघु एवं वृहद खनिज पर बढ़े हुए रायल्टी दर से पूरे वर्ष वसूली के कारण हुई ।

वानिकी एवं वन्य जीवन: (11.76 प्रतिशत) की कमी वन क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्रीय कारणों से हुई ।

लोक निर्माण: (7.73 प्रतिशत) वृद्धि नये कार्यों के निविदा के कारण हुई ।

1.2 लेखा परीक्षा के प्रति विभागों/ शासन की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़ (म.ले.) के द्वारा शासन के विभागों के लेन देनो की नमूना जाँच का सामयिक निरीक्षण कर यह सत्यापित करना कि महत्वपूर्ण लेखो और अन्य अभिलेखो का संधारण निर्धारित नियमो और विधि के अनुसार किया जा रहा है। इन निरीक्षणो के अनुसरण में जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताएँ जिनका स्थल पर निराकरण नही किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते है तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियो को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर तत्परता से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभाग के प्रमुखों और शासन को प्रतिवेदित किया जाता है।

1.2.1 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षण परीवीक्षण

दिसम्बर 2010 तक जारी 2094 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 7874 कंडिकाओं में ₹ 3429.36 करोड़ की राशि जून 2011 को लंबित थी। पिछले दो वर्षों के आकड़े भी नीचे दर्शित है।

विवरण	जून 2009	जून 2010	जून 2011
निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,955	1,990	2,094
लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,266	7,462	7,874
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	2,847.14	3,313.41	3,429.36

30 जून 2011 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

स. क्र.	विभाग का नाम	वसूली का प्रकृति	लंबित नि.प्रति. की संख्या	लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वित्त	कर/बिक्री व्यापार आदि पर वैट	354	2,277	314.12
		विद्युत शुल्क	11	37	6.95
		मनोरंजन कर	62	79	1.90
2.	मुद्रांक और पंजीयन	मुद्रांक और पंजीयन फीस	254	610	32.35
3.	राजस्व	भू-राजस्व	501	1395	360.70
4.	परिवहन	वाहनो पर कर	113	760	91.06
5.	उत्पाद	राज्य उत्पाद	108	328	326.07
6.	भौमिकी एवं खनन	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	118	395	550.39
7.	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	288	1042	651.19
8.	वन (राजस्व)	वन प्राप्तियाँ	285	951	1,094.63
योग			2,094	7,874	3,429.36

निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर प्रथम उत्तर प्राप्त होना आवश्यक है। जबकि मार्च 2011 तक 80 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर विभाग प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुए, उत्तरों के प्राप्त नहीं होने से निरीक्षण प्रतिवेदन की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शाती करती है कि, कार्यालय प्रमुख/विभाग निरीक्षण प्रतिवेदन में महालेखाकार द्वारा इंगित त्रुटियों, लोप और अनियमितताओं को सुधारने में असफल रहे।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि, शासन प्रभावकारी प्रक्रिया की संस्थापना करने हेतु जरूरी कदम उठाए जिससे लेखा परीक्षा आपत्तियों पर उचित व त्वरित कारवाई हो, साथ ही ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों /कंडिकाओं का जवाब नहीं भेजा तथा हानि की वसूली/बकाया की माँग हेतु समयबद्ध कार्यवाही करने में असफल रहे।

1.2.2 विभागीय लेखा परीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखा परीक्षा समिति की स्थापना (विभिन्न समय के दौरान) निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की समीक्षा एवं मानिट्रिंग और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई। वर्ष 2010-11 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठको का विवरण तथा निराकृत कंडिकाओं का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

राजस्व शीर्ष	बैठको की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वाहनो पर कर	01	41	0.86
कर/बिक्री, व्यापार आदि पर वैट	01	42	0.31
योग	02	83	1.17

उपर वर्णित ब्यौरा के आधार पर यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 के मात्र दो विभागों द्वारा लेखा परीक्षा समिति बैठक आहुत की गयी। बाकी विभागों द्वारा कोई रूची नहीं दिखाया गया।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि, लंबित कण्डिकाओं को कम करने के लिए अधिक लेखा परीक्षा समिति बैठके किया जावें।

1.2.3 लेखा परीक्षा को परीक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

वाणिज्यिक कर की स्थानीय लेखा परीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार कर लेखापरीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व विभाग को सूचना भेज दी जाती है जिससे कि वह संबंधित दस्तावेजों को लेखापरीक्षा जाँच के लिए तैयार कर सके।

वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यिक कर के चार कार्यालयों के निर्धारण अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए जिसका विवरण नीचे है :

स. क्र.	विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा की गई	निर्धारण हेतु प्रकरणों की संख्या जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई	ऐसे प्रकरणों की संख्या जिसमें सन्निहित राजस्व ज्ञात हो	सन्निहित राजस्व
1	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 4, रायपुर	4/2010 से 3/2011	07	लागू नहीं	लागू नहीं
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त 1, बिलासपुर	4/2010 से 3/2011	02	लागू नहीं	लागू नहीं
3	सहायक आयुक्त, रायपुर (श्री.एस.के.बक्सी)	4/2010 से 3/2011	06	लागू नहीं	लागू नहीं
4	सहायक आयुक्त, रायपुर (श्री. एस.एल.अग्रवाल)	4/2010 से 3/2011	09	लागू नहीं	लागू नहीं

1.2.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

वित्त विभाग के स्थाई अनुदेशों के अनुसार, समस्त विभागाध्यक्षों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए विभागों को भेजे गए प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर लेखापरीक्षा कार्यालय को प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर प्रेषित करे। लेखा परीक्षा आपत्तियों को संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित कर तीन सप्ताह के अंदर उनका जवाब भेजने के लिए कहा गया था। शासन से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 25 प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित विभागों के सचिवों को अप्रैल 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य भेजा गया। 25 प्रारूप कंडिकाओं में से 19 कंडिकाओं की आपत्ति को विभाग ने स्वीकार किया है।

1.2.5 लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुसरण-सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि में तीन माह के अन्दर प्रतिवेदन के सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर सभी विभागों को लेखा परीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मार्च 2011 की स्थिति में तीन विभागों ने वर्ष 2004-05 से 2008-09 अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल 5 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय टिप्पणी निम्न विवरण के अनुसार 09 से 57 माह के विलंब के बावजूद लेखा परीक्षा के मतांकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। जैसा कि तालिका में नीचे वर्णित है :

स. क्र.	विभाग का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	विधान सभा को प्रस्तुत करने का दिनांक	अंतिम दिनांक जबसे विभागीय टिप्पणी देय थी	कंडिकाओं की संख्या जिनकी विभागीय टिप्पणी देय थी	मार्च 2011 के अंत तक महीनो में विलंब
1.	भू-राजस्व	2004-05	23.3.06	23.6.06	1	57
		2007-08	20.2.09	20.5.09	1	23
		2008-09	26.3.10	26.6.10	1	09
2.	सहकारिता	2007-08	20.2.09	20.05.09	1	23
3.	मुद्रांक और पंजीयन	2008-09	26.03.10	26.06.10	1	09
योग					05	

कार्यपालिका के दायित्व को सुनिश्चित करने हेतु लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने समय सीमा निर्धारित की है, जिसके अंतर्गत की गई कार्यवाही की टीप अनुशंसा (ए.टी.एन.) सहित संबंधित को प्रेषित किया जाता है। लोक लेखा समिति ने वर्ष 1998-99 से 2008-09 तक की अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के 76 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की, तथा 33 कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति ने अपनी अनुशंसा दी। परन्तु संबंधित विभाग द्वारा निम्न विवरण के अनुसार 33 अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही की टीप अपेक्षित थी, जैसा कि तालिका में नीचे वर्णित है :

वर्ष	विभाग का नाम						कुल
	वाणिज्य कर/राज्य उत्पाद	सहकारिता विभाग	शहरी विकास/पंजीयन	वाहन कर/भू-राजस्व	जल संसाधन/उत्खनन	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/लोक निर्माण विभाग	
1998-99	--/2	1	--/4	2/1	2/--	1/--	13
1999-00	--/--	--	--/--	--/--	--/3	--/--	03
2000-01	--/1	--/--	--/6	4/--	1/--	--/--	12
2001-02	--/--	--	--/--	--/--	--/--	--/--	--
2002-03	--/--	--	--/--	--/--	--/--	--/--	--
2004-05	--/--	--	--/--	-/2	--/--	-/2	4
2007-08	--/--	--	--/--	--/--	1/-	--/--	1
कुल	--/3	1	--/10	6/3	4/3	1/2	33

1.2.6 पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो का अनुपालन

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अवनिर्धारण, करो का अनारोपण/कम आरोपण, राजस्व की हानि, माँग सृजित करने में विफलता आदि के ₹ 947.25 करोड़ के प्रकरण इंगित किए गए। विभागों द्वारा ₹ 525.24 करोड़ की लेखा

परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की, जिसमें मार्च 2011 तक मात्र ₹ 9.75 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2011 तक वसूल की गई
1.	2005-06	253.10	2.22	1.88
2.	2006-07	15.99	2.92	1.85
3.	2007-08	92.87	52.88	1.68
4.	2008-09	486.08	446.33	4.34
5.	2009-10	99.21	20.89	---
कुल		947.25	525.24	9.75

शासन को बकाया राजस्व की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ।

1.3 लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण करना

क्रमवार अनुच्छेदो 1.3.1 से 1.3.2.2 में उत्पाद विभाग की प्रगति के बारे में चर्चा की जा रही है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान पाए गए। साथ ही साथ ऐसे प्रकरण भी है, जो वर्ष 2001-02 से 2009-10 के दौरान लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लिए गए है ।

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनो की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति इन प्रतिवेदनो में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2011 के अनुसार उनकी स्थिति तालिका में नीचे दी गई है:

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	निरी. प्रति.	कण्डिकाएं	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कण्डिकाएं	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कण्डिकाएं	राशि (₹ करोड़ में)	निरी. प्रति.	कण्डिकाएं	राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	51	194	70.32	12	65	20.50	2	15	1.23	61	244	89.59
2002-03	61	244	89.59	11	63	25.51	2	46	6.66	70	261	108.43
2003-04	70	261	108.43	7	25	35.94	8	84	37.77	69	202	106.60
2004-05	69	202	106.60	7	40	46.36	1	18	2.48	75	224	150.47
2005-06	75	224	150.47	15	93	35.96	-	17	4.41	90	300	182.03
2006-07	90	300	182.03	6	34	19.20	2	13	1.16	94	321	200.07
2007-08	94	321	200.07	12	49	13.81	-	20	6.97	106	350	206.91
2008-09	106	350	206.91	11	47	151.05	9	67	33.72	108	330	324.25
2009-10	108	330	324.25	7	26	16.46	13	67	76.46	102	289	264.25
2010-11	102	289	264.25	10	48	64.51	3	6	2.47	109	331	326.30

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि 100 से अधिक निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें ₹ 200 करोड़ से अधिक राजस्व संनिहित हैं, पिछले चार सालों से लंबित हैं ।

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग/शासन लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु उचित एवं सामायिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.3.2 निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाए गए विषयों पर शासन/विभाग द्वारा दिया गया आश्वासन

1.3.2.1 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 9 वर्षों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं तथा जिसमें राशि वसूल की गई है विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की कुल राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं की कुल राशि	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की संचयी स्थिति
2001-02	5	368.88	1	256.00	-	1.12
2002-03	2	23.41	1	3.09	-	1.17
2003-04	2	40.54	2	40.54	-	9.72
2004-05	6	1025.20	3	381.12	-	4.76
2005-06	5	409.00	2	105.28	-	-
2006-07	-	-	-	-	-	-
2007-08	6	1495.00	-	-	-	-
2008-09	3	119.80	3	119.80	1.88	1.88
2009-10	2	48.04	2	45.04	-	-
कुल	31	3529.87	14	950.87	1.88	18.65

वर्ष 2001-02 से 2009-10 तक की अवधि में 31 कंडिकाएँ (संनिहित राजस्व 3,529.87 लाख) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई थी, जिनमें से 14 कंडिकाएँ (संनिहित राजस्व ₹ 950.87 लाख) विभाग द्वारा स्वीकृत की गई, परंतु स्वीकृत प्रकरणों में केवल ₹ 18.65 लाख (1.96 प्रतिशत) ही वसूल की गई।

स्वीकृत प्रकरणों की वसूली हेतु विभाग में यांत्रिकी प्रणाली मानीटर करने के विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, की जानकारी माँगी गई थी, जिस पर विभाग का आशय था कि सहायक आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी जो जिलों में पदस्थापित है अपने स्तर से स्वीकृत संदर्भों में वसूली को सक्षम हैं; लेखापरीक्षा द्वारा उठाये आपत्तियों में वसूली प्रक्रिया जिला स्तर से की जाती है। भू-राजस्व वसूली प्रक्रिया अपनाते हुए सम्बंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आर.आर.सी दायर कर वसूली की जाती है। यद्यपि वास्तविकता यह है कि स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की प्रगति काफी कम है (स्वीकृत राशि का 1.96 प्रतिशत)।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाएँ , कम से कम उन प्रकरणों में जिन्हें विभाग ने मान्य किया है ।

1.3.2.2 विभाग/ शासन द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित विभाग/शासन को जानकारी हेतु भेजा जाता है, जिसमें उन्हें जवाब भेजने के लिए कहा जाता है। बर्हिगमन सम्मेलन में निष्पादन लेखापरीक्षा पर चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभाग/ शासन का मत शामिल किया जाता है ।

नीचे दिए गये कंडिकाओं में आबकारी विभाग की समीक्षा में उठाए गए विषय जो पिछले 10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गए, साथ ही विभाग द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही जो उसके और शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी ।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्वीकृत अनुशंसाओं का विवरण	अद्यतन स्थिति
2007-08	आबकारी राजस्व कर आरोपण एवं संग्रहण	6	3.2.7 शासन राजस्व लीकेज दूर करने हेतु भीरे की तरह अनाज से अल्कोहल प्राप्ति हेतु प्रावधान सुनिश्चित करें।	शासन अन्य राज्यों में लागू नियमों की समीक्षा कर अनाज से अल्कोहल प्राप्ति के लिए प्रावधान बनाने की कार्यवाही प्रारंभ करेगा।
			3.2.8. शासन जिलों में लक्ष्य निर्धारण हेतु प्रणाली की समीक्षा करे जैसे ट्रेण्ड अनालिसिस करने हेतु वास्तविक राजस्व संग्रहण का टार्गेट सीरीज डाटा।	लक्ष्य निर्धारण करते समय विगत लक्ष्य एवं राजस्व संग्रहण का ट्रेण्ड अनालिसिस करने का प्रयास किया जावेगा।
			3.2.9 यह सिफारिश की जाती है कि शासन अंतरिम में आभनक एवं विभागीय प्रयोगशाला के अनुमानित उत्पादन में से उच्चतर की दर से अनुमानित उत्पादन की गणना करें।	प्रयोगशाला स्थापना हेतु स्वीकृति दी गई है परंतु स्थान के अभाव में स्थापना में विलंब हो रहा है।
			3.2.10.1 शासन भारत निर्मित विदेशी मदिरा हेतु समान प्रावधान लागू करने हेतु विचार करें।	नियमानुसार राजस्व हानि रोकने हेतु भरी हुई बोतल का स्टॉक विभाग द्वारा रखा जाना है नियमों में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।
			3.2.10.2 वास्तविक मार्गसि हानि दर्ज करने हेतु निर्देश जारी करें।	वास्तविक हानि दर्ज करने हेतु सख्त निर्देश जारी किये गये हैं।
			3.2.11 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा एवं इसकी कार्यप्रणाली को मजबूत करें।	आ.ले.प. शाखा की स्थापना हेतु कार्यवाही की जावेगी।

1.4 लेखा परीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाईयों में किया है, जो राजस्व स्थिति लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुरानी प्रवृत्ति और अन्य पैमानों पर निर्भर करता है। वार्षिक लेखा परीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर शासन की राजस्व प्राप्ति के नाजुक विषय, कर प्रशासन जैसे कि बजट भाषण, राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कर सुधार समिति की अनुसंशाएं, पिछले 5 वर्षों का राजस्व अर्जन सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएं, लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले 5 वर्षों में इसका प्रभाव आदि को सम्मिलित करते हुये, की जाती है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में कुल 662 लेखापरीक्षा इकाईयाँ शामिल थी जिसमें से 127 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी और 140 इकाईयों की लेखापरीक्षा, वर्ष के दौरान की गई जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों का 21.15 प्रतिशत है।

इसके अलावा, उपरोक्त दर्शाये लेखा परीक्षा के अनुपालन में, इन प्राप्ति के कर प्रशासन की दक्षता की जाँच करने के लिए तीन सम्पादित समीक्षा की गयी।

1.5 लेखा परीक्षा के परिणाम

1.5.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस एवं अन्य कर प्राप्ति से संबंधित 110 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में अव निर्धारण, कम आरोपण एवं राजस्व हानि ₹ 826.86 करोड़ के 7,666 प्रकरण पाए गए। 4,498 प्रकरणों में ₹ 656.84 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को विभाग ने स्वीकार किया। वर्ष 2010-11 में विभाग ने ₹ 2.35 करोड़ संग्रहित किए।

1.5.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में 28 कंडिकाएं (जिनका चुनाव इस वर्ष व पूर्ववर्ती अवधि की लेखापरीक्षा जाँच में से किया गया है तथा जिनको पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था) और तीन सम्पादित निष्पादन लेखापरीक्षा 'अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त घोषणा पत्र फार्म का प्रतिसत्यापन', 'भू-राजस्व संग्रह एवं अवनिर्धारण/कम आरोपण एवं वाहनों पर कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण' शुल्क एवं ब्याज, शास्ति इत्यादि ₹ 49.96 करोड़ सन्निहित हैं, शासन/विभाग द्वारा ₹ 11.05 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 0.16 करोड़ की राशि वसूल की गई। शेष प्रकरणों में जवाब प्राप्त नहीं हुए (अक्टूबर 2011)। इनकी चर्चा उत्तरवर्ती अध्याय दो से आठ में की गई है।

दूसरा अध्याय - वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

व्यवसायियों के प्रकरणों के निर्धारण द्वारा राज्य में मूल्य संवर्धित कर (वैट) केन्द्रीय विक्रय कर (के0वि0क0), प्रवेश कर (प्र0क0), वृत्ति कर (वृ0क0) एवं विलासिता कर (वि0क0) के करारोपण एवं संग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग उत्तरदायी है। राज्य के लिए राजस्व का अधिकतम भाग का अंशदान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं उनके अधीन बने नियमों को लागू करता है।

- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956;
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976
- छत्तीसगढ़ विलासिता कर अधिनियम, 1988;
- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994;
- छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995; एवं
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005;

2.2 बजट तैयारी का विश्लेषण

बजट अनुमान, छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के अनुसार, पिछले वर्ष में प्राप्त राजस्व और चालू वर्ष में संभावित वृद्धि को लेखा में लिए जाने के पश्चात् तैयार किया जाता है। प्रस्तावित बजट विभाग द्वारा वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। चर्चा उपरान्त, बजट, वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान वाणिज्यिक कर के वास्तविक प्राप्तियाँ सहित कुल कर प्राप्तियाँ उक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर (+) आधिक्य/ (-) कमियाँ	अंतर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2006-07	2,903.20	2,843.04	(-) 59.96	(-)2.07	5,045.70	56.34
2007-08	3,200.00	3,023.70	(-) 176.30	(-)5.51	5,618.10	53.82
2008-09	3,470.00	3,610.94	(+) 140.94	(+)4.06	6,593.72	54.76
2009-10	3,447.12	3,712.16	(+)265.04	(+)7.69	7,123.25	52.11
2010-11	4,524.13	4,840.79	(+) 316.66	(+)7.00	9,005.14	53.76

(स्रोत: राज्य के वित्त लेखों अनुसार)

वाणिज्यिक कर प्राप्तियों का अंशदान पूर्व पांच वर्षों के दौरान राज्य के कर राजस्व का 52.11 से 56.34 प्रतिशत के बीच रहा। उपरोक्त तालिका के देखने से स्पष्ट है कि उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ 2006-07 एवं 2007-08 को छोड़कर, चार प्रतिशत एवं आठ प्रतिशत के बीच रही, जो बजट अनुमान से अधिक रहा।

विभाग द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्ष के दौरान वृद्धि का कारण वाणिज्यिक कर बकाये की वसूली के लिए साधारण योजना का कार्यान्वयन एवं लौह अयस्क, सीमेंट एवं कोयला के मूल्य वृद्धि एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत अन्तर्राज्यीय बिक्री में बढ़ोत्तरी रहा।

2.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2011 तक राशि ₹ 450.85 करोड़ के बकाया राजस्व जिसमें राशि ₹ 147.12 करोड़ पांच वर्षों से अधिक का बकाया था। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान मांग	वर्ष के दौरान संग्रहण	बकाया राजस्व का अंतिम शेष
2006-07	147.12	215.79	206.38	156.33
2007-08	156.53	424.99	398.19	183.33
2008-09	183.33	171.26	160.20	194.39
2009-10	194.39	927.38	683.20	438.57
2010-11	438.57	324.42	312.14	450.85

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

विक्रय कर/वैट का बकाया राजस्व जो कि 31 मार्च 2011 के समाप्ति पर ₹ 450.85 करोड़ था, वर्ष के वास्तविक प्राप्तियों (₹ 4,840.79 करोड़) का 9.31 प्रतिशत था जो कि वर्ष के अन्तर्गत संग्रहित था। वर्ष 2009-10 में वसूली में पर्याप्त वृद्धि दर्ज किया गया था। हमें पुराने लम्बित बकाये की उक्त अवधि में समाशोधन की सूचना अप्राप्त हैं।

2.5 कर निर्धारिती का चित्रण

वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर पंजीकृत व्यवसायियों का ब्यौरा निम्न प्रदर्शित हैं :

वर्ष	पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या	बड़े कर भुगतान कर्ता	छोटे कर भुगतान कर्ता	रिटर्न भरने वाले व्यवसायियों की संख्या	प्राप्त रिटर्न की संख्या	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही
2010-11	58,299	4,546	53,753	52,375	93,173	देय कर का संग्रहण एवं देय राशि की वसूली के लिये की गई कार्यवाही हेतु व्यवसायियों को अग्रिम कर की सूचना जारी की गई

इकाई का चित्रण

2.6 वेट लागत प्रति कर निर्धारिती

वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक का वेट लागत प्रति निर्धारिती निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर निर्धारिती की संख्या	वेट राजस्व	राजस्व/कर निर्धारिती
2006-07	57,353	3,161.72	0.0551
2007-08	59,499	3,545.77	0.0596
2008-09	63,446	4,044.39	0.0637
2009-10	69,727	3,085.12	0.0442
2010-11	58,289	4,047.58	0.0694

(स्रोत: विभागीय आंकड़े)

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करता है कि छत्तीसगढ़ वेट अधिनियम (अप्रैल 2006) कार्यान्वयन होने के पश्चात राजस्व प्रति कर निर्धारिती में निरंतर वृद्धि हुई और वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक वेट प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि वर्ष 2009-10 को छोड़कर हुई है जिसमें हास 23.72 प्रतिशत था।

2.7 निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2010-11 के प्रारंभ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष 2010-11 के अंत में लंबित प्रकरण जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित है:

कर का नाम	प्रारंभिक शेष (2010-11)	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रकरणों की संख्या	देय कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान निराकृत प्रकरण	वर्ष के अंत में बकाया प्रकरण	निराकरण का प्रतिशत (कॉलम 5-4)
मूल्य संवर्धित कर	23,748	89,297	1,13,045	60,840	52,205	53.82
वृत्ति कर	3,179	26,423	29,602	21,197	8,405	71.61
प्रवेश कर	8,295	41,001	49,296	27,441	21,855	55.67
विलासिता कर	39	116	155	130	25	83.87
संकर्म संविदा पर कर	103	751	854	403	451	47.19
कुल योग	35,364	1,57,588	1,92,952	1,10,011	82,941	57.01

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष के अंत तक मात्र 57.01 प्रतिशत प्रकरण ही विभाग द्वारा निष्पादित किये जा सके। सरकार इन लंबित प्रकरणों के अतिशीघ्र निराकरण हेतु समय पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2.8 संग्रहण की लागत

सकल संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संबंध में सकल संग्रहण, संग्रहण पर किये गये व्यय एवं पूर्व वर्षों के सकल संग्रहण पर किये गये व्यय के प्रतिशत निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष के सकल संग्रहण के तुलना में अखिल भारतीय औसत व्यय का प्रतिशत
वेट/बिक्री पर कर, व्यापार आदि	2008-09	3,610.94	16.38	0.45	0.83
	2009-10	3,712.16	25.71	0.69	0.88
	2010-11	4,840.79	29.99	0.62	0.96

तालिका में यह देखा जा सकता है कि संग्रहण लागत पर व्यय बढ़ते क्रम में है और पूर्व वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान संग्रहण पर वृद्धि 14.27 प्रतिशत है। वृद्धि का कारण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया छठा वेतन आयोग और वाणिज्यिक कर में मिशन मोड प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन है।

2.9 संग्रहण का विश्लेषण

वर्ष 2010-11 के दौरान विक्रय पर करों, व्यापार इत्यादि पूर्व कर निर्धारण स्थिति और नियमित कर निर्धारण के पश्चात सकल संग्रहित कर के विवरण और वित्त (विक्रय कर) विभाग द्वारा सूचित पूर्व पांच वर्षों के विवरण नीचे वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व कर निर्धारण स्थिति में संग्रहित राशि	नियमित कर निर्धारण के पश्चात संग्रहित राशि	कर एवं ड्युटी भुगतान में देरी के लिये शास्ति	वापसी की राशि	विभाग के अनुसार शुद्ध संग्रहण	संग्रहण प्रतिशत में (कॉलम 3 से 7)
वेट/बिक्री पर कर, व्यापार आदि	2005-06	1,621.44	52.48	10.81	10.72	1,674.01	96.86
	2006-07	2,038.49	104.41	20.77	22.96	2,140.71	95.22
	2007-08	2,379.83	126.97	10.44	14.55	2,502.69	95.09
	2008-09	2,925.54	52.77	8.12	18.35	2,968.08	98.57
	2009-10	2,388.16	190.93	87.35	57.33	2,609.11	91.53
	2010-11	3,678.40	387.55	41.78	60.15	4,047.58	90.88

(स्रोत: विभागीय आंकड़े जिसमें केन्द्रीय विक्रय कर के आंकड़े शामिल नहीं हैं)

तालिका में यह देखा जा सकता है कि पूर्व कर निर्धारण के संग्रहण का प्रतिशत वर्ष 2008-09 में अधिकतम था जबकि वर्ष 2010-11 में न्यूनतम था।

2.10 लेखा परीक्षा का प्रभाव

2.10.1 : निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति: विगत पांच वर्षों के लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षा ने निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से यह इंगित किया गया कि कर का कम आरोपण/अनारोपण, कर का कम निर्धारण/अवनिर्धारण, राजस्व हानियां, त्रुटिपूर्ण छूट, त्रुटिपूर्ण गणना इत्यादि के 956 प्रकरणों में ₹ 36.96 करोड़ राजस्व सन्निहित था। इसमें विभाग/शासन ने 135 प्रकरणों जिसमें ₹ 0.963 करोड़ सन्निहित था, का लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की। इन प्रकरणों में विभाग द्वारा कोई भी वसूली नहीं की गई। निम्नलिखित तालिका में विस्तृत विवरण वर्णित है :

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखा परीक्षा इकाई की संख्या	आपत्ति ली गई राशि		स्वीकार की गई राशि		वसूली गई राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2005-06	17	263	0.20	2	0.003	-	-
2006-07	10	176	0.18	97	0.11	-	-
2007-08	04	37	0.03	16	0.07	-	-
2008-09	20	185	0.62	10	0.48	-	-
2009-10	32	295	35.93	10	0.30	-	-
योग		956	36.96	135	0.963	-	-

उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान वसूली हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाये गये।

चर्चा के दौरान विभाग द्वारा कहा गया कि प्रकरणों की जांच की जावेगी और शीघ्र वसूली हेतु प्रयास किया जावेगा।

2.10.2 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति: वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कर का कम आरोपण/अनारोपण, अवनिर्धारण के प्रकरणों में राशि ₹ 60.77 करोड़ सन्निहित थी को दर्शाया गया था। विभाग द्वारा राशि ₹ 51.41 करोड़ के स्वीकार की गई आपत्तियों जिसमें से मार्च 2011 तक ₹ 0.08 करोड़ की वसूली कर ली गई जिसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है -

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृति की गई राशि	मार्च 2011 तक वसूली की गई राशि
1	2005-06	5.10	-	-
2	2006-07	2.11	0.24	0.08
3	2007-08	0.74	0.32	-
4	2008-09	49.46	47.49	-
5	2009-10	3.36	3.36	-
	योग	60.77	51.41	0.08

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि मात्र 0.15 प्रतिशत ही विभाग द्वारा वसूली की जा सकी है, जो कि स्वीकृति राशि के तुलना में नगण्य हैं।

2.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग के 28 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में राजस्व के अवनिर्धारण, कर/ब्याज/शास्ति का कम आरोपण/अनारोपण, कर का गलत दर लगाया जाना आदि के ₹ 55.08 करोड़ के 362 प्रकरण पाये गये जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अन्तर्राज्यीय व्यापार/वाणिज्य में व्यवहृत घोषणा पत्र के प्रतिसत्यापन - निष्पादन लेखापरीक्षा	1	15.99
2	छूट/कटौती का त्रुटिपूर्ण प्रदाय	103	11.18
3	कर का अनारोपण/ कम आरोपण	66	4.32
4	कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण	19	3.16
5	कर की त्रुटिपूर्ण दर का अनुप्रयोग	19	1.14
6	अन्य अनियमितताएँ	154	19.29
कुल योग		362	55.08

वर्ष के दौरान विभाग ने 73 प्रकरणों में ₹ 2.59 करोड़ के अवनिर्धारण को स्वीकार किया है।

प्रारूप कंडिका के जारी करने के पश्चात् विभाग द्वारा एक प्रकरण में ₹ 14.91 लाख पूर्ण रूप से वसूल किया।

"अन्तर्राज्यीय व्यापार/वाणिज्य में व्यवहृत घोषणा पत्र के प्रतिसत्यापन" के एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 15.99 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सम्मिलित हैं एवं ₹ 2.43 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सम्मिलित कुछ उदाहरण स्वरूप प्रकरण नीचे दर्शाये गये कंडिकाओं में वर्णित है।

2.12 अन्तर्राज्यीय व्यापार में व्यवहृत घोषणा पत्र के प्रतिसत्यापन

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, (के0वि0क0अ0)1956 एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के तहत यह प्रावधानित करता है कि अन्तर्राज्यीय बिक्रीत वस्तु पर कर की रियायत दर एवं शाखा अन्तरण एवं निर्यात में छूट प्रदान किया जाता है बशर्ते ये रियायत/छूट विनिर्दिष्ट घोषणा पत्रों 'सी', 'एफ' एवं 'ई'-I/II इत्यादि फार्मों प्रस्तुत किये जाये। घोषणा पत्र प्रस्तुत न कर पाने या त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण घोषणा पत्र जमा करने पर संबंधित राज्य में लागू बिक्री कर चुकाने को बाध्य करेगा।

हमारे द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार में व्यवहृत घोषणा पत्रों की सत्यता की जांच प्रतिसत्यापन के माध्यम से किया गया। सारे संग्रहित सूचना की जांच अन्य राज्यों में वाणिज्यिक/बिक्री कर विभागों से हमारे महालेखाकार कार्यालयों के माध्यम से की गई और हमने विभिन्न त्रुटियां पाई जो नीचे वर्णित हैं -

मुख्यांश

- विभाग के पास व्यवसायियों द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा पत्रों के प्रतिसत्यापन TINXSYS बेवसाइट पर फार्मों एवं उपयोगिता पत्र के सत्यापन हेतु या घोषणा पत्रों के विरुद्ध बिक्री का कोई डेटाबेस की प्रणाली नहीं थी।

(कंडिका 2.12.6)

- प्रोत्साहन योजना के वैधता के समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर दायित्व का समायोजन करने से व्यापारी को ₹ 26.54 लाख का अनुचित लाभ।

(कंडिका 2.12.14)

- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म 'सी' के जांच न करने से व्यापारी को अन्तर्राज्यीय बिक्री टर्नओवर छिपाने के फलस्वरूप शास्ति सहित ₹ 28.24 लाख की कर चोरी।

(कंडिका 2.12.20)

- व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण पत्र में शाखा नहीं घोषित होने पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म 'एफ' के माध्यम से रियायती विक्रय पर कर में छूट के फलस्वरूप ₹ 20.28 लाख कर एवं शास्ति ₹ 60.84 लाख का अनारोपण।

(कंडिका 2.12.23)

- घोषणा पत्रों के अभाव में अन्तर्राज्यीय विक्रय की गलत छूट से ₹ 1.02 करोड़ का अनारोपण।

(कंडिका 2.12.25)

- 61 प्रकरणों में नौ राज्यों से संबंधित 'सी' फार्मों के माध्यम से ₹ 40.62 लाख का कर अपवंचन एवं शास्ति ₹ 121.86 लाख का अनारोपण।

(कंडिका 2.12.27)

- पाँच राज्यों द्वारा 39 'एफ' फार्म का जारी न किया जाने से ₹ 1.15 करोड़ का कर अपवंचन एवं आरोपणीय शास्ति ₹ 3.46 करोड़ ।

(कंडिका 2.12.28)

- 45 व्यवसायीयों से खरीदे गये वस्तु की कीमत कम दर्शाने और इसकी जांच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा न किये जाने से शास्ति सहित कर ₹ 2.89 करोड़ का अनारोपण ।

(कंडिका 2.12.32)

2.12.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय विक्रय कर (के0वि0क0) अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत व्यवसायी अन्तर्राज्यीय व्यापार में फार्म 'सी', 'ई' - I/II एवं 'एफ' में दर्शाये घोषणा पत्र प्रस्तुत कर कुछ रियायत एवं छूट के हकदार हो सकते हैं । राज्य सरकार भी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन घोषणा पत्रों के प्रस्तुति पर व्यवसायी को ये छूटे प्रदान करती है । अतः यह वाणिज्य कर विभाग का दायित्व है कि ऐसे घोषणा पत्रों के उचित लेखांकन एवं जिस पर कर छूट प्रदाय किया जाता है और राज्य के राजस्व का बड़ा भाग निहित है के दुरुपयोग के विरुद्ध उचित सुरक्षात्मक उपाय करें ।

2.12.2 फार्म 'सी'

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी को अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में पंजीयन प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट माल को पंजीकृत खरीददार व्यवसायी को जो विक्रय करता है, चार प्रतिशत की रियायती दर से (दो प्रतिशत 01-04-2010 से) कर चुकाने को दायी होगा, बशर्ते ऐसा विक्रय फार्म 'सी' घोषणा पत्र समर्थित हो ।

2.12.3 फार्म 'एफ'

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधित) अधिनियम 1972, की धारा 6-ए के तहत कोई पंजीकृत व्यावसायी माल का अन्तरण बिक्री न करके राज्य बाहर अपने अन्य व्यवसाय स्थल पर अथवा अन्य राज्यों में अपने एजेन्ट या प्रमुख (Principal) को करता है फार्म 'एफ' के घोषणा पत्र के प्रस्तुति पर कर छूट पाने का हकदार है जो कि विधिवत फार्म भरकर एवं दूसरे व्यापारिक स्थल के प्रमुख/पदाधिकारी या उसके एजेन्ट या प्रमुख जो भी हो, से हस्ताक्षरित हो और इस प्रमाण के साथ की माल का प्रेषण हुआ है। फार्म 'एफ' का प्रस्तुति मई 2002 तक अनिवार्य नहीं था । हालांकि अधिनियम के तहत कर निर्धारण अधिकारी उक्त माल की अन्तरण की सत्यता जैसे सेलपट्टी¹, भेजे गये माल के ब्यौरे या विपत्र इत्यादि के संबंध अपने को संतुष्ट करने के लिए जैसा चाहे पृच्छताछ कर सकता था ।

¹ बिक्री का विवरण

2.12.4 फार्म 'ई'-I या 'ई'-II

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत यदि क्रेता व्यवसायी माल का अनुवर्ती अन्तर्राज्यीय विक्रय एक राज्य से अन्य राज्य का माल के संचालन के दौरान उस माल के हक दस्तावेजों के अन्तरण पर करता है तो कर आरोपित नहीं होगा। बशर्ते विक्रेता व्यवसायी द्वारा जारी 'ई'-I या 'ई'-II घोषणा पत्र के साथ क्रेता व्यवसायी द्वारा जारी 'सी' घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाय। फार्म 'ई'-I (दो प्राप्तिओं में) (1) विक्रेता व्यवसायी जो माल का सर्वप्रथम संचालन एक राज्य से दूसरे राज्य में करता है या (ii) उस व्यवसायी द्वारा जो माल का संचालन एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रथम अन्तर्राज्यीय बिक्री के दौरान करता है के द्वारा जारी किया जात है। अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रथम या अनुवर्ती हस्तान्तरणकारी या द्वितीय या अनुवर्ती हस्तांतरण के बिक्री की श्रृंखला के दौरान 'ई'-II फार्म (दो प्राप्तिओं में) जारी किया जाता है।

यदि विक्रय और क्रय की श्रृंखला व्यवहार के पश्चात् भी जारी रहती है जैसा उपर बताया गया है तो प्रत्येक अनुवर्ती क्रेता अपने पूर्व विक्रेता को 'सी' फार्म जारी करेगा और प्रत्येक अनुवर्ती विक्रेता कर छूट के लिए अपने पूर्ववर्ती विक्रेता से 'ई'-II फार्म प्राप्त करेगा।

2.12.5 घोषणा पत्र की प्राप्ति का लेखा संधारण और उपयोग

- राज्य सरकार के मुद्रणालय से आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा फार्म प्राप्त कर संभागीय कार्यालयों को उनके अधीनस्थ वृत्त कार्यालयों में वितरण हेतु आपूर्ति की जाती है।
- वृत्त कार्यालयों द्वारा घोषणा पत्र पंजीकृत व्यवसायियों को जारी किया जाता है जिससे कि वे दूसरे पंजीकृत व्यवसायियों को पंजीयन पत्र में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कर छूट या रियायती दर पर कर अदायगी हेतु जारी कर सकें। व्यवसायियों को वृत्त कार्यालयों से प्राप्त घोषणा पत्रों का उपयोग की जानकारी समय-समय पर प्रस्तुत करना है। और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसकी उचित रीति से संधारण किया जाता है कोई घोषणा पत्र वृत्त कार्यालय द्वारा व्यवसायियों को तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक व्यवसायी पूर्व में जारी घोषणा पत्रों का उपयोगिता का लेखा प्रस्तुत नहीं करता।

2.12.6 प्राप्ति एवं निर्गत

- संभाग एवं वृत्त कार्यालयों में उपरोक्त घोषणा पत्र का प्राप्ति एवं निर्गत का अलग भण्डारण पंजी में लेखा संधारण किया जाता है। जब फार्म व्यवसायी को जारी किया जाता है तो व्यवसायी का हस्ताक्षर प्राप्ति रसीद के रूप पंजी में प्राप्त किया जाता है।
- प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी जिसे किसी तरह का घोषणा पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं तो ऐसे सभी फार्म का पूर्ण लेखा संधारण करेगा। व्यवसायी को सक्षम प्राधिकारी के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जिसमें उसे व्यवसायी का नाम जिसकी फार्म जारी किया गया, बिल क्रमांक और तारिख तथा मूल्य के साथ वस्तु का विवरण होंगे।

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए सहपठित धारा 10 (ब) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत व्यवसायी कोई ऐसा माल का मिथ्या उद्घोषणा करते हुए क्रय करता है जो उसका जारी किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र से आच्छादित है, या अपंजीकृत होते हुए, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में क्रय करते हुए मिथ्या उद्घोषणा करता है कि वह पंजीकृत व्यवसायी है, और कोई उद्देश्य से किसी भी माल खरीदी के बाद उचित कारण नहीं दर्शाता कि माल का प्रयोजन क्या होगा तो वह साधारण कारावास जो कि छह महीना तक हो सकता है या अर्थदण्ड या दोनों और अगर अपराध निरन्तर है तो प्रतिदिन ₹ 50 तक बढ़ सकता है और अपराध बढ़ता हो रहे तो प्राधिकारी कर अपवंचन का डेढ़ गुणा अधिकतम की शास्ति आरोपित कर सकता है।
- कर सूचना विनियम पद्धति (TINXSYS) भारत के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों सभी के अन्तर्राज्यीय व्यवसायियों के बीच एक केन्द्रीयकृत विनिमय व्यवस्था है। TINXSYS एक विनिमय प्रणाली है जो राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की उपज है जिसमें विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच व्याप्त अन्तर्राज्यीय व्यवहार का भण्डार है। इस वेबसाइट का निर्माण विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के वाणिज्यिक कर विभागों को अन्तर्राज्यीय व्यापार का प्रभावी परिवीक्षा में मदद हेतु किया गया है। कोई व्यवसायी दूसरे राज्य के अन्तर्राज्यीय व्यवसायी के सत्यापन हेतु इसका उपयोग कर सकता है।
- व्यवसायी की सत्यापन के अतिरिक्त वाणिज्य कर विभागीय पदाधिकारी TINXSYS का उपयोग दूसरे राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय वैधानिक फार्म के सत्यापन एवं व्यवसायी द्वारा रियायत का दावा की जांच के लिए उपयोग करते हैं। TINXSYS, वाणिज्य कर विभाग को MIS और व्यवसाय सतर्कता रिपोर्ट उपलब्ध कराके अन्तर्राज्यीय व्यापार के गति की निगरानी को अन्तर्राज्यीय व्यवस्था के रूझान हेतु निगरानी का अवसर देता है।
- हर राज्य के लिये यह आवश्यक है की वह वित्त विभाग के TINXSYS के वेबसाइट में डालने हेतु सूचना उपलब्ध करायेगा ताकि उपयोक्ता फार्मों का सुलभ जांच कर सके। यह प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा इन वैधानिक फार्मों की सूचना वित्त मंत्रालय को नहीं भेजा जाता था। हालांकि उक्त सूचना TINXSYS में अपलोडिंग किया जाता रहा था।

2.12.7 संगठनात्मक संरचना

वाणिज्यिक कर विभाग, प्रधान सचिव (वित्त) के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में है। आयुक्त वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) विभाग के प्रमुख है और उनकी सहायता के लिये चार अतिरिक्त आयुक्त एवं आठ उपायुक्त (उ.आ.) है। राज्य में पांच संभाग एवं 27 वृत्त है। उपायुक्त संभाग स्तर के एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) वृत्त स्तर के प्रमुख होते हैं। इसके अतिरिक्त, 17 सहायक आयुक्त (स.आ.) वृत्तों में वैसे व्यवसायी के कर आकलन हेतु पदास्थापित है जिनकी टर्नओवर तीन करोड़ से अधिक का है।

2.12.8 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- घोषणा पत्र का अभिरक्षा एवं निर्गम पूर्ण व्यवस्था में था;
- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदत्त कर छूट/रियायत मूल घोषणा पत्र द्वारा समर्थित था।
- TINXSYS वेबसाइट में जानकारी अपलोडिंग की पद्धति अस्तित्व में थी एवं उपलब्ध आंकड़े का उपयोग फार्म की सत्यता जानने में किया जाता था;
- जाली, अयोग्य एवं त्रुटिपूर्ण (उचित या अपूर्ण विवरण के बिना) फार्मों की प्राप्ति एवं जानकारी पर उचित कदम उठाये गये थे; और
- सटीक एवं पर्याप्त आन्तरिक सुरक्षा पद्धति अस्तित्व में थी।

2.12.9 लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

नौ² सहायक आयुक्त (स.आ.) एवं छह³ वाणिज्यिक कर अधिकारी के इकाईयों के वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के निष्पादित कर सम्पूर्ण निर्धारण का नमूना जांच वर्ष नवम्बर 2010 से जनवरी 2011 के मध्य किया गया। इसके अतिरिक्त पिछले लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये सात इकाईयों⁴ के नियमित लेखापरीक्षा के आपत्तियों को पुनः जांच कर निष्पादन समीक्षा वर्तमान में उपयुक्त स्थान में सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा जांच में छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित शाखाओं/एजेंटों को मालों का स्ट्राक ट्रांसफर और विभिन्न घोषणा पत्रों 'सी', 'एफ', 'ई'-I, 'ई'-II एवं 'डी' फार्म के माध्यम से किये गये देश के विभिन्न भागों में किये गये अन्तर्राज्यीय विक्रय जो अभिलेखों में थे, का सत्यापन भी सम्मिलित किया गया है।

2.12.10 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग का सहयोग अभिस्वीकृत करता है। 25 अक्टूबर 2010 को विभाग के साथ एक प्रवेश्य मंत्रणा आयोजित की गयी थी जिसमें विभाग को लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यपद्धति की जानकारी दी गई। समीक्षा अगस्त 2011 शासन एवं आयुक्त को भेजी गई। बर्हिगमन सम्मेलन नवम्बर 2011 को आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ की गई जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। विभाग की ओर से अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग छत्तीसगढ़ शासन भी शामिल थे। बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान प्राप्त उत्तरों को संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

² स. आ. - I, स.आ. - II, संभाग - II, बिलासपुर, स.आ. - II, दुर्ग, स.आ. रायगढ़, रायपुर के चार स.आ और स.आ. राजनांदगाँव

³ वृत्त II दुर्ग, रायपुर के वृत्त II, III, IV, V एवं VI

⁴ वा0 क0 अ0 : अम्बिकापुर, बिलासपुर (वृत्त-II) धमतरी, कोरबा, जांजगीर - चांपा, मनेन्द्रगढ़ एवं राजनांदगाँव

2.12.11 केन्द्रीय बिक्री कर अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

केन्द्रीय बिक्री कर के मद में पांच वर्षों के राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियां नीचे दर्शायी गई है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर (+)आधिक्य/ (-) कमियाँ	प्रतिशत अधिक/कम
2006-07	700.00	702.34	(+)2.34	(+)0.33
2007-08	664.00	521.00	(-)143.00	(-)21.53
2008-09	400.00	664.14	(+)264.14	(+)66.03
2009-10	530.00	681.00	(+)151.00	(+)28.49
2010-11	620.00	745.84	(+)125.84	(+)20.29

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 को छोड़ बाकी वर्षों में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान से अधिक थी। वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान अधिक वृद्धि का प्रतिशत (+) 20.29 से (+) 66.03 प्रतिशत के मध्य था, जो कि कोयला, लौह आयरन एवं सिमेंट के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण था। हालांकि वास्तविक राजस्व प्राप्तियां की तुलना में बजट अनुमान वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक लगातार अधिक था, इससे स्पष्ट है कि बजट अनुमान का निर्धारण अव्यवहारिक तरीके से पिछले वर्षों के वास्तविक प्राप्तियों को नहीं लेकर किया गया था।

वर्ष 2007-08 में वास्तविक प्राप्तियां 22 प्रतिशत से कम थी जो कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर के दर चार प्रतिशत से घटा कर तीन प्रतिशत करने के फलस्वरूप था।

बर्हिगमन सम्मेलन के क्रम में आयुक्त द्वारा यह सूचित किया गया कि कर के दर की सम्भावित कमी को ध्यान में रख कर बजट तैयार किया गया था। हालांकि वास्तविकता यह है कि विभाग द्वारा बजट आकलन सही तैयार नहीं किया गया क्योंकि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए निर्मित बजट अनुमान हमेशा पूर्व वर्षों के वास्तविक संग्रह से कम थे।

2.12.12 लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

प्रणाली की कमियां

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 सहपठित केन्द्रीय बिक्री कर नियम 1957 (केन्द्रीय) के नियम 8 और केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीयन और टर्नओवर) नियम 1957 के नियम 12 में फार्म के अभिरक्षा, उपयोग एवं रखरखाव की प्रक्रिया का प्रावधान वर्णित है। अभिलेखों के जांच में निम्नलिखित प्रकाश में आया;

2.12.12.1 घोषणा पत्र के निर्गम एवं लेखा संधारण

- यह प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा किसी तरह का अभिलेख / डाटाबेस 'सी'/'एफ' फार्म के विरुद्ध वर्षवार बिक्री की स्थिति का विवरण दिखाने हेतु संधारित नहीं किया जाता है जो यह सुनिश्चित करे कि रियायत/छूट के कारण हुई राजस्व कमी को जाना जा सके।
- टैक्स ऑडिट करने एवं विवरणी की जांच के दौरान विभाग के पास घोषणा पत्रों की उपयोगिता विवरण की जांच करने का कोई भी प्रणाली नहीं थी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान आयुक्त द्वारा यह सूचित किया गया कि 18 अक्टूबर 2011 से घोषणा पत्रों का आनलाइन निर्गम प्रारंभ किया गया है और आनलाइन के माध्यम से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जावेगी।

2.12.12.2 घोषणा पत्र फार्म का उपयोग

- विभाग द्वारा यह सूचित किया गया कि वेट के कार्यान्वयन होने के वजह से व्यवसायी द्वारा घोषणा पत्र रिटर्न के साथ जमा करने को आंशिक अनिवार्य किया गया है।
- विवरणी की जांच एवं टैक्स ऑडिट करने के दौरान विभाग के पास व्यवसायियों से उपयोगिता पत्र मंगाने की कोई प्रणाली नहीं थी यदि प्रकरण अभिलेख में वे न हो तो।
- विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी जिससे कि कर छूट/रियायत स्वीकृत करने से पूर्व व्यवसायी द्वारा जमा किये गये प्रत्येक घोषणा पत्र को TINXSYS वेबसाइट से सत्यापन किये जा सके।
- कर निर्धारण अधिकारी के पास व्यापारी के शाखाओं का कोई ब्यौरा नहीं था की मांगी गयी छूट की सत्यता की जांच की जा सके।

बर्हिगमन सम्मेलन में आयुक्त ने यह आश्वासन दिया कि उचित दिशा-निर्देश फील्ड कार्यालयों को दे दी जायेगी। आयुक्त ने सूचित किया कि कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित कर दिया जाएगा कि वह आश्वस्त हो लें, कि प्रकरणों में उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न एवं व्यवसायियों की शाखाओं की सूची संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएगी।

2.12.13 प्रवर्तन उपाय

'सी' एवं 'एफ' फार्म घोषणा पत्र अगर खो जाय, नष्ट हो जाय, व्यवसायी द्वारा चुरा लिया जाय इत्यादि या त्रुटिपूर्ण फार्म मालूम चलने पर संबंधित पदाधिकारी को रिपोर्ट करना आवश्यक है, ताकि ऐसे फार्मों को सभी संभागों को परिपत्र के माध्यम से प्रचार करके अमान्य घोषित करते हुए जरूरी कार्यवाही किया जा सके।

अभिलेखों का जांच के क्रम में निम्नलिखित प्रकाश में आया कि:

- विभाग द्वारा ऐसे प्रकरणों के संबंध में कोई भी अधिसूचना/परिपत्र निर्गत नहीं किया गया एवं जाली एवं अस्तित्वहीन व्यवसायियों के मामलों में ऐसी जानकारियाँ अन्य राज्यों को उनके राजपत्र में प्रकाशित करने के लिये सूचित नहीं किये गये।

- व्यवसायी जो विगत वर्षों में अयोग्य/जाली घोषणा पत्र फार्म को उपयोग करते हुए पाये गये थे, उन्हें न तो कालीसूची में डाला गया और न ही इसकी जानकारी विभिन्न यूनिटों एवं राज्यों को दी गई ।
- अयोग्य घोषित फार्मों या अस्तित्वहीन व्यवसायियों जिनकी पंजीयन प्रमाणपत्र राज्य के अन्दर या बाहर निरस्त किया गया था, से संबंधित कोई भी डाटा बैंक नहीं बनाया गया था ।
- विभाग ने तुलना के लिये विभिन्न राज्यों में प्रचलित फार्मों का रंग, आकृति एवं फार्मेट का नमूना जाली या गलत घोषणा पत्र के पहचान के लिये नहीं रखा ।
- विभाग द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, के सहयोग हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया । हालांकि यह बताया गया की कर निर्धारण द्वारा संदिग्ध फार्मों को संबंधित उपायुक्त को भेजते हैं जो कि उसे प्रतिसत्यापन हेतु दूसरे राज्य को प्रेषित करता है हालांकि इस संदर्भ में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया ।

बर्हिगमन सम्मेलन में आयुक्त आश्वासन दिया कि डाटा बैंक से संबंधित आन लाईन प्रक्रिया तैयार की जायेगी और जाली/अस्तित्व हीन व्यवसायी का विस्तृत ब्यौरा राज्य सरकारों को सूचित कर दी जायेगी; व्यवसायियों जो अवैध/जाली घोषणा पत्र व्यवहार में लाते पाये गये तो उन्हें काली सूची में डाल दी जायेगी एवं तथ्य को विभिन्न यूनिटों एवं राज्यों को प्रसारित कर दी जायेगी ।

अनुवर्तन की कमियां

2.12.14 प्रोत्साहन योजनान्तर्गत केन्द्रीय विक्री कर का वसूली न करना

1994 की कर छूट योजना जो अक्टूबर 1994 में अधिसूचित की गई थी (मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अंगीकृत) के तहत नई कर मुक्त औद्योगिक इकाईयों को विशेष अवधि के लिये कर के संचयात्मक परिमाण या प्रदत्त अवधि के समाप्ति दिनांक से पहले वह दिनांक जब योग्यता प्रमाण पत्र में प्रदत्त कर का संचयात्मक परिमाण समाप्त हो जाए के लिये कर भुगतान से छूट के पात्र हैं। आगे वित्त अधिनियम 2002, के तहत अगर कोई छूट प्राप्त इकाई अंतर्राज्यीय बिक्री फार्म 'सी' के समर्थन से करता हैं और वैसी स्थिति में निर्धारित कर, संचयात्मक परिमाण कर से समायोजित किया जायेगा अन्यथा व्यवसायी को निर्धारित कर नगद भुगतान करना पड़ेगा।

सहायक आयुक्त - II, दुर्ग के अभिलेखों के नमूना जांच (जनवरी 2011) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो कास्ट आयरन (सी. आई), ब्रेकब्लाक्स, स्लीपर्स, सोकेट आदि के निर्माण एवं बिक्री करता था, को अवधि 19 अगस्त 1999 से 18 अगस्त 2002 तक या कर के संचयात्मक परिमाण रु. 33.99 लाख जो भी पहले समाप्त होता, से संबंधित कर छूट योग्यता प्रमाण- पत्र हासिल था। व्यवसायी को अवधि अप्रैल 2002 से मार्च 2003 तक का

कर निर्धारण फरवरी 2006 और बाद में नवम्बर 2009 (अपील के बाद) किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 26.54 लाख कर की छूट प्रदान किया गया। अभिलेखों के जांच में हमने पाया कि व्यवसायी ने अवधि 2002-2003 में ₹ 2.65 करोड़ का निर्मित माल बिना सी फार्म के बिक्री की और प्रमाण पत्र में प्रदत्त कर की मात्रा ₹ 33.99 लाख वर्ष 2001 में ही समाप्त हो चुका था। प्रमाण-पत्र के समाप्ति के विचार से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदत्त कर छूट अनियमित थी एवं इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.54 लाख कर का अनारोपण हुआ। (जो कि ₹ 2.65 करोड़ का 10 प्रतिशत है।)

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने कहा जांचोपरांत कार्यवाही की जायेगी।

2.12.15 'सी' फार्म की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर नियम (आर.एवं टी) का नियम 12 यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक व्यवसायी जो कि अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में दूसरे राज्य में अवस्थित पंजीकृत व्यवसायी को बिक्री करता है तो इस अधिनियम के तहत 4 प्रतिशत की दर से कर चुकाने को उत्तरदायी होगा बशर्ते बिक्री 'सी' फार्म घोषणा पत्र समर्थित हो और क्रेता व्यवसायी द्वारा उचित रूप से भरा और सभी तरह से पूर्ण फार्म जारी हो अन्यथा कर की गणना घोषित मालों के संदर्भ में दो गुने दर से और घोषित माल को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य में ऐसी वस्तु की बिक्री पर आरोपणीय कर की दर, दोनों में से जो अधिक हो, से की जायेगी।

2.12.15.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, धमतरी के अभिलेखों के नमूना जांच (मार्च 2010) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो कि टिम्बर एवं जलावन के प्रोसेसिंग एवं बिक्री करते थे, का अवधि अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक का कर निर्धारण दिसम्बर 2008 में किया गया था, ने ₹ 27.95 लाख 'सी' फार्म समर्थित बिक्री की। आगे अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि ₹ 14.53 लाख का छह 'सी' फार्मों पर जारी दिनांक (14 जनवरी 2009), कर

निर्धारण आदेश दिनांक (24 दिसम्बर 2008) के बाद का था। तो भी कर निर्धारण अधिकारी ने इन 'सी' फार्मों को स्वीकृत कर, कर रियायत प्रदान की। फार्म 'सी' के गलत स्वीकृति के फलस्वरूप रू. 2 लाख का कर अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपने उत्तर में कहा कि कर निर्धारण आदेश में निर्धारण की तिथि 24 फरवरी 2009 की जगह 24 दिसम्बर 2008 गलती से दर्ज हो गया था।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि प्रकरण के संलग्न टीप पत्र से स्पष्ट था कि प्रकरण 24 दिसम्बर 2008 को ही कर निर्धारण किया गया था जबकि 'सी' फार्म पर जारी दिनांक 14 जनवरी

2009 था। अतः यह स्पष्ट था कि कर निर्धारण अधिकारी ने इन फार्मों को कर निर्धारण तिथि के बाद स्वीकृत किया था।

2.12.15.2 इसी तरह सहायक आयुक्त, रायगढ़ के अभिलेखों के नमूना जांच (जनवरी 2011) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो स्टील इन्ग्राट्स के निर्माण एवं बिक्री करता था, के अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक के अवधि का कर निर्धारण मार्च 2010 में किया गया, को दो 'सी' फार्म के समर्थित ₹ 32.60 लाख बिक्री पर कर की रियायती दर प्रदान किया गया। आगे जांच के क्रम में यह प्रकाश में आया कि दो 'सी' फार्म जो कि व्यवसायी द्वारा दाखिल किया गया, में व्यवहार माह जुलाई से अक्टूबर 2007 से संबंधित था एवं जो कि कर निर्धारण वर्ष के अन्तर्गत नहीं था। इस गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 1.96 लाख का कर अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर था कि जांचोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

2.12.16 'एफ' फार्म की अनियमित स्वीकृति

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम धारा 6-ए सहपठित के 0 वि 0 क 0 नियम (पंजीयन एवं टर्नओवर) के नियम 12 (5) के अनुसार 'एफ' फार्म घोषणा पत्र में किसी व्यवसायी द्वारा अपने अन्य स्थान पर किये गये व्यापार या प्रांत बाहर अपने एजेंट या प्रमुख जैसा भी हो वे एक कैलेण्डर माह के दौरान किये गये माल अंतरण सम्मिलित होंगे। अन्यथा इन व्यवहारों को बगैर घोषणा पत्र समर्थित अंतर्राज्यीय विक्रय माना जाकर नियमानुसार करारोपण किया जावेगा।

2.12.16.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-4, रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2011) में हमने पाया कि व्यवसायी जो इलेक्ट्रोड्स, सी.सी वॉयर एवं एल्युमिनियम वायर के खरीद एवं बिक्री करते थे, के अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक के कर निर्धारण फरवरी 2010 में किया गया। व्यवसायी ने ₹ 26.60 लाख का माल (अंगुल, उड़िसा) को फार्म 'एफ' के आधार पर अपने शाखा अन्तरण किया। आगे अभिलेखों की जांच के क्रम में यह प्रकाश में आया कि राशि ₹ 4.64 लाख का फार्म 'एफ' पर जारी करने की तिथि (26 जून

2010) कर निर्धारण के तिथि (3 फरवरी 2010) के बाद का था, किन्तु यह नियम विरुद्ध तरीके से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। इस तरह फार्मों के गलत स्वीकृति के कारण कर का अनारोपण ₹ 46,000 फलित हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपने उत्तर में कहा कि किसी भी तरह की गलती इन फार्मों को स्वीकार कर छूट देने में नहीं हुई है क्योंकि व्यवसायी पहले एक माह से अधिक के लेन-देन का एक फार्म जमा किया था एवं उसे दोबारा उचित फार्म जमा करने के लिये पर्याप्त समय दिया गया था। इसलिए नया फार्म कर निर्धारण तिथि के पश्चात जमा किया गया था।

उत्तर स्वीकार नहीं हैं क्योंकि कर निर्धारण समाप्ति के पश्चात फार्म स्वीकार करने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

2.12.16.2 इसी तरह, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-6, रायपुर के अभिलेखों नमूना जांच में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो कि आटोपार्ट्स के खरीद बिक्री करता था, ने अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 के चार 'एफ' फार्म के आधार पर के शाखा अंतरण/कन्साइनमेंट बिक्री ₹ 16.62 लाख के लिए कर छूट का दावा किया। इन फार्मों पर लेन-देन एक माह से अधिक अवधि का था चूँकि इन घोषणापत्रों पर लेन-देन एक माह की अवधि से अधिक का था, इसीलिए ये अस्वीकार करने योग्य थे एवं इसे बिना घोषणा पत्र के अन्तर्राज्यीय बिक्री मानना चाहिए था। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणी एवं 'एफ' फार्म के जांच किये बिना कर में छूट प्रदान की गयी। परिणामस्वरूप ₹ 2.08 लाख के कर का अनारोपण हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपने उत्तर में कहा कि जांचोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

2.12.17 'ई'-I एवं 'सी' बिक्री की तहत गलत छूट

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत यदि क्रेता व्यवसायी माल का अनुवर्ती अन्तर्राज्यीय बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य को माल के संचालन के दौरान उस माल के हक दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा करता है। तो कोई कर आरोपित नहीं होगा, बशर्ते उपयुक्त प्रमाण-पत्र फार्म 'ई'-I 'ई'-II में फार्म 'सी' घोषणा पत्र के साथ जो कि विक्रेता या क्रेता व्यवसायी द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत किया गया हो।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णित⁵ किया है कि राज्य में आयातित माल ही भौतिक प्राप्ति माल के संचालन में लगे समय से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा बिक्री को प्रांतीय बिक्री मानी जायेगी न कि ई - I एवं 'सी' बिक्री।

2.12.17.1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-6, रायपुर के अभिलेखों के नमूना जांच (दिसम्बर 2010) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो केबल और इलेक्ट्रिकल सामान के खरीद बिक्री करता था, के अवधि 2006-07 के कर निर्धारण दिसम्बर 2009 किया गया, को ₹ 20.96 लाख

'ई'- I एवं 'सी' बिक्री की छूट प्रदान किया गया। आगे अभिलेखों की जांच के क्रम में यह प्रकाश में आया कि अनुवर्ती विक्रय के दौरान विक्रेता ने माल नई दिल्ली, मुम्बई, नासिक एवं पुणे से खरीद कर रायपुर में डिलीवरी दिया जिसमें अवधि का विस्तार एक से दो माह का था। चूँकि राज्य में आयातित माल का उतरने की अवधि वास्तविक समय सीमा से अधिक था। अतः छूट प्रदान करना उपरोक्त निर्णय के आलोक में अनियमित था। हालांकि

⁵मे. अर्जुन दास गुप्त(2007) एस.टी.जे. 209 के प्रकरण में

कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के कर निर्धारण के दौरान कागजात की जांच नहीं की जिससे परिणामस्वरूप ₹ 2.62 लाख कर का अनारोपण हुआ। हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में कहा गया कि जांचोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

2.12.17.2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरबा के अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि व्यवसायी जो इलेक्ट्रीक मोटर एवं ट्रान्सफार्मर के खरीद-बिक्री करते थे, के अवधि अप्रैल 2005 से मार्च 2006 तक का कर निर्धारण अगस्त 2008 में किया गया, ने ₹ 1.36 करोड़ के बिक्री पर छूट प्राप्त किया। आगे ₹ 8.61 लाख 'ई'- I एवं 'सी' फार्म के जांच में पाया कि खरीदी की तिथि विक्रय तिथि के बाद का था। इस अनियमितता के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया गया परिणामस्वरूप ₹ 86,000 का कर अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में कहा कि माल चालान पर प्राप्त किया गया था और बिल आपूर्ति के बाद बनाया गया।

कर निर्धारण अधिकारी कोरबा का उत्तर सही नहीं हैं क्योंकि सामान की खरीद से पहले बिक्री सम्भव नहीं हैं एवं बिक्री-कर का निर्धारण खरीद बिल के आधार पर किया जाता है।

2.12.18 माल के गलत वर्गीकरण से कर का कम आरोपण

शासन द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए जारी अधिसूचना क्रमांक 22 दिनांक 30 मार्च 2006 के अनुसार 'सी' फार्म समर्थित जूट कपड़ा एवं जूट ट्वाइन की अन्तर्राज्यीय बिक्री एक प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय हैं। सी.एस.टी बनाम में. विजय रोप सेंटर (1995) 98 एस0टी0सी 105(बॉम्बे) के प्रकरण में भी यह निर्णय आया कि जूट ट्वाइन, एलोय ट्वाइन (ए. ट्वाइन या ट्वील्स) को शामिल नहीं करता यद्यपि जूट ट्वाइन और ए. ट्वाइन देखने में समानता रखते हैं, दोनों के उपयोग समान हैं और दोनों के बिक्री मूल्य में समानता है चूंकि जूट बैग्स और एलोय ट्वील्स बैग्स अलग वस्तुएँ हैं, अतः एलॉय ट्वील्स बैग्स जो कि 'सी' फार्म समर्थित बिक्री होने पर चार प्रतिशत से कर योग्य हैं उसी तरह हैसियन कपड़ा भी इनसे भिन्न है इसकी 'सी' फार्म समर्थित बिक्री पर चार प्रतिशत से कर योग्य है।

सहायक आयुक्त-II, दुर्ग के अभिलेखों के नमूना जांच (दिसम्बर 2010) में हमने पाया कि दो व्यवसायी जो हैसियन कपड़ा एवं ए.ट्वील्स बैग्स के खरीद बिक्री करते थे, के अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2007 तक का कर निर्धारण नवंबर एवं दिसम्बर 2009 में किया गया ने हैसियन कपड़ा ₹ 15.21 लाख का एवं ए. ट्वील्स बैग्स ₹ 11.18 करोड़

का विक्रय किया। चूंकि हैसियन कपड़ा और ए.ट्वील्स बैग्स अधिसूचना में वर्णित नहीं थे अतः ये चार प्रतिशत की दर से कर योग्य थे। इसके विपरीत कर निर्धारण अधिकारी ने एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया जिससे ₹ 33.98 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर था कि जांचोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

2.12.19 गलत दर के प्रयोग से कर का कम आरोपण

के० वि० क० अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी जो कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में पंजीकृत व्यवसायी को स्तरीय माल जो कि खरीददार व्यवसायी के पंजीकृत प्रमाण-पत्र में वर्णित है, पर रियायती दर चार प्रतिशत से कर चुकाने को दायी होगा, बशर्ते ऐसे विक्रीत टर्नओवर फार्म 'सी' घोषणापत्र समर्थित हो।

सहायक आयुक्त, रायपुर के अभिलेखों के नमूना जांच (नवम्बर 2010) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो स्टील सेमीज और स्पंज आयरन के उत्पादन एवं बिक्री करते थे। व्यवसायी का अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के कर निर्धारण अगस्त 2009 में किया गया, ने कोयला आधारित लम्प में ₹ 52.35 लाख का 'सी' फार्म समर्थित बिक्री किया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त विक्रय को स्पंज आयरन मानते हुए चार प्रतिशत की जगह पर एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया जिससे ₹ 1.57 लाख कर का आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर में कहा कि जांचोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

2.12.20 छिपाये टर्नओवर पर कर का अनारोपण

शासन द्वारा अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के लिए जारी अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 23 मार्च 2004 के अनुसार पंजीकृत व्यवसायी द्वारा 'सी' फार्म के विरुद्ध स्पंज आयरन की अन्तर्राज्यीय बिक्री एक प्रतिशत की दर से करारोपणीय हैं। कर स्थगन योजना 1994 जो अक्टूबर 1994 में अधिसूचित की गई थी के तहत केवल पंजीकृत व्यवसायी जिनको कर भुगतान से स्थगन का प्रमाण पत्र प्राप्त था, यह सुविधा प्राप्त कर सकते थे। छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की धारा 1994 की धारा 69 प्रावधानित करता है कि यदि आयुक्त या अपीलीय या रिविजनल प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान संतुष्ट हैं कि व्यवसायी ने अपने टर्नओवर को या किसी माल के संबंध में क्रय कीमतों की कुल रकम छिपाई है या मिथ्या विशिष्टियां दी है तो प्राधिकारी अपवंचित कर की रकम के तीन गुने से कम नहीं किन्तु पांच गुने तक की शास्ति की कार्यवाही आरम्भ कर सकता है। गलत या भाम्रक या जाली घोषणा पत्र, लेखा या दस्तावेज की प्रस्तुति कर अपवंचन को बढ़ावा देता है और व्यवसायी द्वारा देयकर राशि के अतिरिक्त अपवंचित कर पर शास्ति आकृष्ट करता है।

सहायक आयुक्त रायपुर के अभिलेखों के नमूना जांच (नवम्बर 2010) में हमने पाया कि व्यवसायी जो स्टील सेमीज एवं स्पंज आयरन के व्यवसाय में संलग्न था, जिसका अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के अवधि का कर निर्धारण अगस्त 2009 में किया गया, ने स्पंज आयरन ₹ 28.72 करोड़ का अन्तर्राज्यीय बिक्री की। अग्रेतर जांच में देखा गया कि

व्यवसायी के ₹ 7.06 करोड़ के फार्म 'सी' दूसरे व्यवसायी के प्रकरण में संलग्न पाया गया जिसे कर भुगतान अस्थगन की सुविधा का प्राप्त था। इस तरह व्यवसायी अपने टर्नओवर को छिपाते हुए गलत तथ्य प्रस्तुत किया। हालांकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण बिना प्रारम्भिक जांच के कर दिया गया। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म के गलत स्वीकृति की परिणामस्वरूप कर अनारोपण ₹ 7.06 लाख एवं कर अपवंचन पर न्यूनतम शास्ति ₹ 21.18 लाख का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपने उत्तर में कहा कि जांचोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

2.12.21 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 10 - ए के तहत शास्ति का अनारोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 धारा 10-ए सहपठित धारा 10(ब) के तहत यदि कोई व्यवसायी सी फार्म के तहत ऐसे वस्तुओं को खरीदता है जो कि उनके पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं है तो प्राधिकारी व्यवसायी के ऊपर कर जो देय होता, का डेढ़ गुणा शास्ति आरोपित कर सकता है।

यह निर्णित⁶ है कि 'सी' फार्म के विरुद्ध माल जो कि पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज नहीं है, खरीद एक अपराध है और शास्ति लगाई जा सकती है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांजगीर-चांपा एवं दुर्ग के अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि तीन व्यवसायी जो कि गिट्टी के निर्माण एवं बिक्री, एवं ठेका कार्य से सम्बद्धित थे, का कर निर्धारण जनवरी 2008 और दिसम्बर 2009 के बीच किया गया, ने हिटाची, जेसीबी मशीन एवं क्रेन खरीदा था।

हालांकि उक्त वस्तु उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज नहीं था। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 61.90 लाख के खरीदी पर शास्ति दर्ज नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 7.67 लाख का शास्ति का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे इंगित करने पर कर निर्धारण अधिकारी जांजगीर अपने उत्तर में कहा कि जांचोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी एवं कर निर्धारण अधिकारी, दुर्ग ने अपने उत्तर में कहा कि व्यवसायी ठेका कार्य में संलग्न है अतः 'सी' फार्म के विरुद्ध खरीद जायज है।

जवाब नियम के प्रावधान से समर्थित नहीं हैं क्योंकि खरीदी गयी वस्तु व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज नहीं है।

⁶ स्टेट ऑफ तमिलनाडू बनाम अख्तर (1998) 108 एस.टी.सी. 510 (मद्रास उच्च न्यायालय)

2.12.22 फार्म 'सी' का द्वितीय भाग (दूसरी प्रति) पर दी गई अनियमित छूट

क्रेता व्यवसायी को 'सी' फार्म दो प्रतियों में निर्गत किया जाता है। प्रति जिस पर "मूलप्रति" अंकित होता है विक्रेता व्यवसायी द्वारा उनके विवरणी के साथ संलग्न किया जाता है एवं जिसमें "द्वितीय" प्रति अंकित रहता है वह अपने अभिलेख में रखता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णित⁷ किया है कि रियायत दर से कर लाभ लेने में लिये 'सी' फार्म का मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं ताकि फार्म का दुस्प्रयोग जालसाजी एवं कपट करने एवं कर अपवंचन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न किया जाय।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, धमतरी और कोरबा एवं सहायक आयुक्त दुर्ग, रायगढ़ एवं रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि छह व्यवसायी जो आयरन एवं स्टील, टीम्बर मशीनरी

पाटर्स एवं कोयला के खरीद-बिक्री से करते थे, ने 'सी' फार्म का द्वितीय प्रति विक्रय मूल्य ₹ 3.79 करोड़ का अपने विवरणी के साथ जमा किया। नियम के तहत फार्म का द्वितीय प्रति को निरस्त करके अन्तर्राज्यीय बिक्री को बगैर 'सी' फार्म मानते हुए कर की राशि ₹ 23.89 लाख वसूला जाना चाहिये था। हालांकि यह पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

हमारे द्वारा मामलों को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी कोरबा, दुर्ग एवं रायगढ़ ने अपने उत्तर में कहा कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। और कर निर्धारण अधिकारी धमतरी ने जवाब दिया कि करारोपण में मंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड बनाम सी एस टी (एम पी) 2005 07-एस0टी0जे -412 (एम पी एच सी) में दिये आदेश के तहत सही है। कर निर्धारण अधिकारी धमतरी के जवाब नियम संगत एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुकूल नहीं है।

2.12.23 अघोषित शाखा को माल के अंतरण पर दी गई अनियमित छूट

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के धारा 7 के उपधारा (1) के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी को उसके दूसरे राज्य में व्यवसाय का स्थान पंजीयन कराते समय घोषित करना है, आगे धारा 6-ए के उपधारा (1) सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर नियम (पंजीयन एवं टर्नओवर) के नियम 12 (5) प्रावधानित करता हैं कि माल का अंतरण व्यवसाय के अन्य स्थल या अपने एजेंट या मुख्य को करने पर फार्म 'एफ' घोषणा पत्र प्रस्तुत करना हैं।

कर निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2009-10 में प्रदत्त रियायत जो कि शाखा अन्तरण/कन्साइमेंट बिक्री पर दी गयी थी विभाग इसका परिमाणन नहीं कर पाया। सहायक आयुक्त स्तर के कर निर्धारण अधिकारी के पास

⁷ मे. इंडिया एजेंसीज बनाम अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर (16 दिसम्बर 2004) (एस.सी.)
मे. दिल्ली ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त बिक्री कर (1997) 104 एस.टी.सी. 75 (एस.सी.)

व्यवसायियों के शाखाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं थी जिससे कि शाखा अन्तरण/कन्साइमेंट कि समर्थन में मांगी गयी छूट की सत्यता की जांच की जा सके।

आगे, वाणिज्यिक कर अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, राजनांदगांव एवं रायपुर के अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि दिसम्बर 2009 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य चार व्यवसायियों के पाँच प्रकरणों में जो पेट्रोलियम गैस, स्प्रिंकलर सिस्टम, एकजोथेरमिक मटेरियल और पेस्टीसाइड के व्यवसाय करते थे, ने अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2007 तक में शाखा अन्तरण ₹ 2.03 करोड़ के राशि की व्यवसायी द्वारा छूट ली गयी।

व्यवसायियों के पंजीयन प्रमाण पत्र के जांच के क्रम में पाया गया कि शाखा जिसमें स्टाक अन्तरण का दावा किया गया था उनकी प्रविष्टि पंजीयन प्रमाण-पत्र में अंकित नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र में घोषित शाखा के 'एफ' फार्म को जांच की चुक से कर ₹ 20.28 लाख एवं शास्ति ₹ 60.84 लाख का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी महेन्द्रगढ़ ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2009) में कहा जांचोंपरान्त कार्यवाही की जायेगी। कर निर्धारण अधिकारी राजनांदगांव ने अपने उत्तर (जनवरी 2010) में कहा कि माल का हस्तांतरण नियम संगत था। अन्य प्रकरण में वाणिज्यिक कर अधिकारी रायपुर ने उत्तर (अक्टूबर 2010) में कहा वापी (गुजरात) शाखा व्यवसायी के मेमोरेन्डम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन में दर्ज है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर का उत्तर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है क्योंकि शाखा की सूची, पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज होना आवश्यक है। कर निर्धारण अधिकारी, राजनांदगांव का उत्तर मान्य नहीं हैं कारण रांची (झारखण्ड) एवं कोयम्बटूर (तमिलनाडु) जहां माल भेजा गया था व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज नहीं था।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि शासन एक डाटाबेस विकसित करने हेतु विचार करें जिसमें व्यवसायियों के नाम; शाखाओं के नाम; शाखाओं के पंजीयन संख्या; व्यवसायियों द्वारा किये गये स्टाक ट्रांसफर/कन्साइमेंट बिक्री के माल का विवरण एवं मूल्य एवं कर छूट प्रदाय हो क्योंकि यह आवश्यक नियंत्रण एवं कर निर्धारण करने में सहायक होगा।

2.12.24 अन्तर्राज्यीय बिक्री पर गलत बिल जारी करना

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अनुसार, कर चुका माल का आशय यह है कि अनुसूची II में विनिर्दिष्ट माल जो व्यवसायी द्वारा राज्य के अंदर के पंजीकृत व्यवसायी से क्रय किया गया हो।

सहायक आयुक्त-II, बिलासपुर, वाणिज्यिक कर अधिकारी और सहायक आयुक्त, राजनांदगांव के अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि 10 व्यवसायी जो कि बीड़ी पत्ता एवं वन से प्राप्त अन्य सामान के खरीद-बिक्री करते थे एवं अन्य व्यवसायियों जो अन्तर्राज्यीय विक्रय

करते थे, के अवधि अप्रैल 2005 से मार्च 2008 का कर निर्धारण नवंबर 2007 एवं दिसम्बर 2009 के मध्य घोषणा पत्र फार्म (सी/डी) की प्रस्तुति पर किया गया ।

कर निर्धारण आदेश एवं अभिलेखों की जांच में यह पाया कि यद्यपि 'सी' एवं 'डी' फार्म छत्तीसगढ़ में पंजीकृत विक्रेता व्यवसायियों द्वारा प्राप्त किये गये थे किन्तु इन बिक्री से संबंधित विक्रय बीजक उनके द्वारा जारी नहीं किये गये थे, ये बीजक वन विभाग द्वारा दूसरे राज्य के क्रेता व्यवसायी को सीधे जारी किये गये थे । वन विभाग व्यवसायियों द्वारा अन्य राज्यों के क्रेता व्यवसायियों को सीधे जारी करना गलत था और कर अपवंचन के जोखिम से युक्त हैं बीजक उन व्यवसायियों द्वारा जारी किये जाने चाहिए था जिन्होंने अंतरराज्यीय बिक्री की और घोषणा पत्र प्रस्तुत किये थे ।

कर निर्धारण के क्रम में कर निर्धारण अधिकारी ने इन विक्रय बीजकों को कर निर्धारण को अंजाम देने के समय जांच नहीं की । यह व्यवसायी द्वारा जमा विवरणी में प्रदर्शित अंतरराज्यीय बिक्री के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य की निगरानी का मॉनिटरिंग नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है जो करयोग्य टर्नओवर के छिपाने के जोखिम से युक्त हैं ।

विभाग एवं शासन को जुलाई 2011 में इंगित किया गया । उनके उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2011)

2.12.25 घोषणापत्र के अभाव में भी कर का रियायती दर की गलत छूट

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर नियम (आर.एवं टी) का नियम 12 यह प्रावधानित करता है कि प्रत्येक व्यवसायी जो कि अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में दूसरे राज्य में अवस्थित पंजीकृत व्यवसायी को बिक्री करता है तो इस अधिनियम के तहत 4 प्रतिशत की दर से कर चुकाने को उत्तरदायी होगा बशर्ते बिक्री 'सी' फार्म घोषणा पत्र समर्थित हो और क्रेता व्यवसायी द्वारा उचित रूप से भरा और सभी तरह से पूर्ण फार्म जारी हो अन्यथा कर की गणना घोषित मालों के संदर्भ में दो गुने दर से और घोषित माल को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य में ऐसी वस्तु की बिक्री पर आरोपणीय कर की दर, दोनों में से जो अधिक हो, से की जायेगी ।

सहायक आयुक्त राजनांदगांव, कोरबा, सहायक आयुक्त-I, संभाग-I, बिलासपुर के अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि तीन व्यवसायी जो खाद्य तेल, सोडियम नाइट्रेट, फेरो एलाय और माइनींग मशीन उत्पादन एवं बिक्री करते थे, का अप्रैल 2004 से मार्च 2007 का कर निर्धारण अप्रैल 2007 एवं जून 2009 के मध्य किया गया । इन व्यवसायियों ने ₹ 10.53 करोड़ के बिक्री पर रियायती दर पर कर का उपभोग किया। जांच के दौरान कोई घोषणा पत्र प्रकरण के साथ

नहीं पाया गया बावजूद इसके कर निर्धारण अधिकारी ने रियायती दर पर कर का इन प्रकरणों में मंजूर किया । परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ का कर अनारोपण हुआ ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर था जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी।

2.12.26 अयोग्य 'सी' फार्म पर कर की रियायती दर का गलत प्रयोग

सहायक आयुक्त-I (संभाग-I), बिलासपुर, सहायक आयुक्त- II, दुर्ग एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी अम्बिकापुर के अभिलेखों के नमूना जांच के क्रम में हमने पाया कि तीन व्यवसायी जो बिड़ी पत्ता खरीद-बिक्री एवं आयरन और स्टील के निर्माण एवं बिक्री करते थे, के वर्ष अप्रैल 2005 से मार्च 2007 का कर निर्धारण फरवरी 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य में किया गया था, ने ₹ 3.52 करोड़ का माल बेचा था। आगे जांच में पाया गया कि आठ 'सी'/'डी' फार्म में एक तिमाही से अधिक का लेन-देन था हालांकि सहायक आयुक्त इन अयोग्य फार्मों के

केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीयन एवं टर्नओवर) नियम 1957 के धारा 12(7) जो दिनांक 01-10-2005 से संशोधित हुआ के अनुसार, एक 'सी'/'डी' घोषणापत्र एक तिमाही में किया गया बिक्री के सारे लेन-देन को समाहित कर सकता है

जांच में असफल रहे जिससे ₹ 30.90 लाख का कम कर अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, अम्बिकापुर द्वारा प्रकरण को स्वीकारते हुए ₹ 4.07 लाख का मांग किया गया था। बाकी का उत्तर था कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

2.12.27 नकली 'सी' फार्म पर कर अपवंचन एवं शास्ति का अनारोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यवसायी जो कि अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में वैसे माल जो कि क्रेता व्यवसायियों के पंजीकृत प्रमाण-पत्र में वर्णित हो, पंजीकृत व्यवसायी को बेचता है तो ऐसे टर्नओवर पर चार प्रतिशत रियायती दर पर कर चुकाने को (दो प्रतिशत दिनांक 01.04.2010से) बाध्य होगा बशर्ते ऐसा बिक्री फार्म 'सी' घोषणा पत्र से समर्थित हो।

हमारे जांच में यह प्रकाश में आया कि विभाग के पास कोई ऐसा विहित पद्धति उपलब्ध नहीं था जिससे कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत घोषणापत्र फार्म जिसमें कि रियायत/छूट मांगी गयी हो, के लेन-देन का प्रतिसत्यापन हेतु चयन किया जा सके। नियत मानदण्ड या न्यूनतम प्रतिशत जांच के अभाव में, प्रतिसत्यापन जो किये जाने चाहिए की सीमा, कर निर्धारण अधिकारी के पूर्वतः स्वविवेक पर निर्भर करता है।

नौ सहायक आयुक्त और छह वाणिज्यिक कर अधिकारी के अभिलेखों के नमूना जांच के क्रम में 596 'सी' फार्म नमूने के तौर लेखा परीक्षा द्वारा प्रतिसत्यापन द्वारा जांच हेतु चयन किया गया।

हमारे द्वारा घोषणा पत्र के संबंधित राज्यों से प्रतिसत्यापन के क्रम में यह प्रकाश में आया कि 61 फार्म जिसमें ₹ 5.97 करोड़ बिक्री निहित था और जो छत्तीसगढ़ व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, संबंधित राज्य के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये थे। यह दर्शाता है कि फार्म असली नहीं थे। इस तरह गलत फार्म की स्वीकृति से कर अपवंचन ₹ 40.62 लाख अलावे न्यूनतम शास्ति ₹ 121.86 लाख फलित हुआ जो नीचे तालिका में वर्णित है :

(₹ लाख में)

स. क्र.	जारी करने वाले राज्य का नाम	नकली पाये गये सी फार्म की संख्या	सन्निहित राशि	कर अपवंचन	आरोपणीय शास्ति
1	बिहार	1	1.78	0.41	1.23
2	नई दिल्ली	1	11.53	0.63	1.88
3	मध्यप्रदेश	15	134.87	7.81	23.43
4	महाराष्ट्र	5	83.59	5.63	16.89
5	उत्तरांचल	9	107.68	7.55	22.65
6	उत्तरप्रदेश	1	55.58	4.46	13.40
7	पश्चिम बंगाल	2	5.87	0.38	1.14
8	आन्ध्रप्रदेश	13	112.36	6.38	19.13
9	ओडिशा	14	83.63	7.37	22.10
	कुल	61	596.89	40.62	121.86

यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग कर निर्धारण अधिकारी के आधार पर प्रतिसत्यापन किये जाने हेतु कोई मानदण्ड या न्यूनतम प्रतिशत जाँच निर्धारित करने पर विचार कर सकता है और ऐसे फार्मों के जांच के लिए डाटाबेस तैयार करने आवश्यक कदम उठाये।

2.12.28 नकली 'एफ' फार्मों द्वारा कर अपवंचन एवं शास्ति का अनारोपण

नौ सहायक आयुक्त एवं छह वाणिज्यिक कर अधिकारी के अभिलेखों के नमूना जांच के क्रम में 307 'एफ' फार्म नमूने के तौर पर लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिसत्यापन हेतु चयन किया गया चूँकि इन फार्मों की विश्वसनीयता प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत हुई थी।

संदर्भ राज्यों से प्रतिसत्यापन में पाया गया कि 39 फार्मों जिनमें ₹ 11.96 करोड़ की बिक्री सन्निहित थी, छत्तीसगढ़ के व्यवसायियों द्वारा कर अपवंचन के लिए कपटपूर्वक उपयोग किये गये थे। संदर्भ राज्यों के कर निर्धारण पदाधिकारियों ने प्रमाणित किया कि व्यवसायी जो इस लेन-देन में सम्मिलित थे, को ये फार्म जारी नहीं किये गये थे। फलस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ की कर अपवंचन न्यूनतम शास्ति ₹ 3.46 करोड़ का अनारोपण हुआ जो नीचे वर्णित है :

(₹ लाख में)

स. क्र.	जारी करने वाले राज्य का नाम	नकली पाये गये "एफ" फार्मों की संख्या	सन्निहित राशि	कर अपवंचन	शास्ति
1	हरियाणा	12	215.79	17.26	51.79
2	महाराष्ट्र	20	780.62	78.20	234.59
3	नई दिल्ली	5	138.60	13.86	41.58
4	उत्तरप्रदेश	1	53.56	5.36	16.07
5	पंजाब	1	7.25	0.72	2.17
कुल		39	1195.82	115.40	346.20

2.12.29 अपूर्ण 'सी' फार्म पर कर की अनियमित छूट

के० वि० क० अधिनियम एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री में रियायती दर से करारोपण के लिए सभी तरह से परिपूर्ण 'सी' फार्म घोषणा पत्र यथा पंजीयन क्रमांक अंकित हो, हस्तान्तरिती द्वारा जारी करने की तिथि, परिवहन ब्यौरा इत्यादि प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सहायक आयुक्त II, दुर्ग एवं सहायक आयुक्त, रायगढ़ के अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि दो व्यवसायीयों ने ₹ 0.94 करोड़ के विक्रय में रियायती दर प्राप्त किया। पाँच 'सी' फार्म के जांच में निम्नलिखित अनियमिताएँ पाया गया। जो नीचे की तालिका में वर्णित हैं :

फार्म की संख्या	कमियाँ	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा का टिप्पणी
1	जारी करने की तिथि, विक्रेता व्यवसायी का नाम, पंजीयन संख्या इत्यादि फार्म में दर्ज नहीं थे।	जारी करने वाला प्राधिकारी के मुहर, नाम एवं क्रेता व्यवसायी का पंजीयन क्रमांक दर्ज हैं।	उत्तर विश्वास योग्य नहीं है कारण अपूर्ण डाटा के साथ प्रस्तुत किया गया था।
4	क्रेता का टिन क्रमांक दर्ज नहीं था।	जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी।	

उक्त ब्यौरा के अभाव में फार्मों का प्रथम दृष्टया अस्वीकृत करना चाहिए था और अधिनियम के प्रावधानों के तहत करारोपण करना चाहिये था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन फार्मों की जांच में विफलता के चलते ₹ 5.08 लाख का कर का अनारोपण हुआ।

2.12.30 गलत दर के प्रयोग से कर का कम आरोपण

के0वि0क0 (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 6 एवं 8(5) के अनुसार, कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन प्रत्येक पंजीकृत व्यापार अपने क्रयों/विक्रयों तथा स्टॉक का सही लेखा रखेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के उन मालों का जिन पर कर की भिन्न-भिन्न दरों के अध्याधीन हैं, मूल्य पृथक-पृथक दर्शाया जाएगा। आगे प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी जिसे किसी प्राधिकारी द्वारा 'सी' फार्म घोषणा जारी किया जाए, ऐसे सभी फार्म का फार्म VII पंजी में सही लेखा संधारित करेगा।

छ.ग.मू.स.क.अधिनियम 2005 सहपठित अनुसूची II के अनुसार होम एप्लाइंसेस और प्लास्टिक सामान 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय हैं और अधिसूचना क्रमांक 57 दिनांक जून 2006 के अनुसार, प्लास्टिक बाल्टी चार प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। छ.ग.मू.स.क. अधिनियम, 2005 के धारा 54 के अनुसार, यदि कोई भी व्यवसायी अपने टर्नओवर को या किसी माल के संबंध में क्रय कीमतों की कुल रकम छिपाई है या क्रय विक्रय का विवरणी में मिथ्या विशिष्टियां दी हैं तो आयुक्त अपवंचित कर के तीन से पांच गुना शास्ति आरोपण की कार्यवाही कर सकता है।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-IV रायपुर के कर निर्धारण अभिलेख के नमूना जांच (जनवरी 2011) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो कि घरेलू उपकरण, बाल्टी, कुकर आदि के खरीद बिक्री में संलग्न थे, के अप्रैल 2006 से मार्च 2007 जिसका कर निर्धारण जनवरी 2010 में किया गया, ने आयातित बाल्टी खरीदी को फार्म VII एवं खरीद सूची दोनो में ₹ 48.88 लाख दर्ज किया। कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्री ₹ 45.59 लाख पर चार प्रतिशत की दर से करारोपण किया। आगे फार्म 59-ए एवं लेजर लेखा जो कि विक्रेता द्वारा जारी किया गया था, से प्रतिसत्यापन में पाया गया कि वास्तव में ₹ 48.88 लाख का होम एप्लाइंसेस प्लास्टिक सामान था न की बाल्टी। इस तरह कर निर्धारण

अधिकारी ने निम्न दर पर बिना कागजात जांच किये कर निर्धारण किया जिससे कर ₹ 45.59 लाख के बिक्री पर 8.5 प्रतिशत के अन्तर दर से कम कर आरोपण ₹ 3.88 लाख एवं न्यूनतम शास्ति ₹ 11.64 लाख का अनारोपण हुआ।

इस प्रकरण को इंगित करने पर (जनवरी 2011) विभाग द्वारा सूचित (जुलाई 2011) किया गया कि प्रकरण को दोबारा खोलते हुए ₹ 11.63 लाख का मांग प्रस्तुत किया गया।

2.12.31 फार्म 'एफ' के अभाव में गलत छूट

के० वि० क० अधिनियम की धारा 6-ए सहपठित के० वि० क० नियम (पंजीयन एवं टर्नओवर) का नियम 12(5) यह प्रावधानित करता है कि एक पंजीकृत व्यवसायी को शाखा अन्तरण/कन्साईन्मेंट बिक्री पर कर छूट प्राप्त हैं बशर्ते कि वे 'एफ' फार्म घोषणा पत्र समर्थित हो।

सहायक आयुक्त राजनांदगांव के अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि व्यवसायी जो खाद्य तेल के खरीद एवं बिक्री करते थे, के अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक के कर निर्धारण जनवरी 2008 में किया गया, को ₹ 31.98 करोड़ के स्टॉक अन्तरण की छूट प्रदान की गयी। आगे जांच के क्रम में यह पाया गया कि स्टॉक अन्तरण के समर्थन में कोई 'एफ' फार्म संलग्न नहीं था। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना

समर्थित कागजातों के जांच के छूट प्रदत्त करने के फलस्वरूप ₹ 3.20 करोड़ के कर अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर था कि जांच के बाद कार्यवाही किया जायेगा।

2.12.32 खरीद/आयातीत मालों का कम लेखाकरण

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 41 यह प्रावधानित करता है कि कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी अपने क्रयों/विक्रयों तथा स्टॉक का सही लेखा रखेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के उन मालों का जिन पर कर की भिन्न-भिन्न दरों के अध्याधीन हैं, मूल्य पृथक-पृथक दर्शाया जाएगा।

2.12.32.1 दूसरे राज्यों से प्रतिसत्यापन के क्रम में यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ के 36 व्यवसायियों ने 49 'सी' फार्मों के विरुद्ध क्रय राशि ₹ 6.60 करोड़ को छिपाते हुए अपने लेखा पुस्तकों कम खरीदी प्रदर्शित किये। इन तथ्यों को संबंधित दूसरे राज्यों के कर निर्धारण प्राधिकारी विक्रेता व्यवसायी के अभिलेखों को सत्यापन कर बताया गया। छत्तीसगढ़ व्यवसायियों द्वारा अन्य राज्यों से खरीदे हुए माल का वास्तविक मूल्य छिपाये जाने से और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसका

सत्यापन न किये जाने से ₹ 31.22 लाख कर अनारोपण एवं शास्ति ₹ 93.65 लाख का अनारोपण नीचे वर्णित है :

(₹ लाख में)

स. क्र.	प्राप्त कर्ता राज्य का नाम	सी फार्म की संख्या	अन्तर राशि	कर अपवंचन	शास्ति
1	दिल्ली	1	5.35	0.21	0.64
2	गुजरात	6	5.47	0.31	0.94
3	हरियाणा	2	48.40	1.94	5.81
4	महाराष्ट्र	1	28.45	1.14	3.41
5	ओडिसा	27	369.43	15.25	45.74
6	राजस्थान	8	90.12	3.92	11.76
7	तमिलनाडू	2	46.60	5.82	17.47
8	उत्तर प्रदेश	2	65.68	2.63	7.88
	कुल	49	659.50	31.22	93.65

2.12.32.2 इसी तरह नौ छत्तीसगढ़ व्यवसायियों द्वारा 24 फार्म 'एफ' पर खरीदी ₹ 8.98 करोड़ कम कर लेखाकरण अपने लेखा में अन्तरण के तथ्य को छुपाते हुए किया (दूसरे राज्य से आयातित) इन तथ्यों की सम्बन्धित दूसरे राज्य के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गयी। छत्तीसगढ़ व्यवसायियों द्वारा अन्य राज्यों से माल अन्तरण अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन न किये जाने से ₹ 41.01 लाख कर अनारोपण एवं शास्ति ₹ 1.23 करोड़ का अनारोपण नीचे वर्णित है :

(₹ लाख में)

स. क्र.	राज्य का नाम	फार्म की संख्या	राशि सन्निहित	कर अपवंचन	शास्ति
1	बिहार	1	18.00	2.25	6.75
2	गुजरात	3	7.72	0.32	0.96
3	महाराष्ट्र	2	40.76	5.09	15.27
4	ओडिसा	17	826.17	33.12	99.36
5	पश्चिम बंगाल	1	5.80	0.23	0.69
	कुल	24	898.45	41.01	123.03

2.12.33 कम्प्यूटरीकरण

विभाग द्वारा जुलाई 2010 से व्यवसायी जिसका टर्नओवर 40 लाख से अधिक हैं उन्हें ई-रिटर्न फाईल करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि विभाग द्वारा ऑन-लाईन वैधानिक फार्म निर्गत करने का कोई प्रक्रिया शुरू नहीं किया है चूंकि विभाग द्वारा घोषणापत्र फार्म 'सी'/'एफ'/'एच'/'ई' I/'ई' II इत्यादि के उपयोगिता के अपलोडिंग के नहीं किया जा रहा था अतः इन फार्मों के विश्वसनीयता का प्रतिसत्यापन संभव नहीं था।

2.12.34 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं जो संस्था को यह सुनिश्चित करने में समर्थ करता हैं कि संस्था में निहित प्रणालियों का सुचारु रूप से अनुपालन हो रहा हैं। आयुक्त कार्यालय में स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ (आ0ले0) में मात्र एक सहायक आयुक्त के स्तर का अधिकारी पदस्थ हैं प्रकोष्ठ में अन्य कोई कर्मचारी पदस्थ नहीं हैं प्रकोष्ठ द्वारा गत तीन वर्षों में निम्नानुसार आंतरिक लेखापरीक्षा की गई ।

स. क्र.	वर्ष	कर इकाईयों की कुल संख्या	आंतरिक लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या		निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या	वर्ष में निरा.प्रतिवेदनों की संख्या
			ले.प.इकाईयों की संख्या/लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कर निर्धारण प्रकरण की संख्या		
1	2008-09	43	3	117	3	-
2	2009-10	43	8	217	8	-
3	2010-11	43	1	21	1	-

इस प्रकार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की पहुँच, समयबद्धता और आक्षेपों की संख्या का प्रदर्शन दो से 18 प्रतिशत के मध्य था और प्रकोष्ठ द्वारा लिये गये आक्षेपों का आवश्यक कार्यवाही कर निराकृत नहीं किया जा रहा था । यह प्रदर्शित करता हैं कि विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा की उचित महत्व नहीं दे रहा था और ले0प0प्र0 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निराकरण के लिए उचित कार्यवाही नहीं किये थे ।

2.12.35 निष्कर्ष

विवरणी की जांच एवं टैक्स ऑडिट करने के दौरान विभाग के पास घोषणा पत्र की उपयोगिता विवरण सत्यापन कोई प्रणाली नहीं थी । आगे विभाग ने ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की थी जिससे कि कर छूट/रियायत स्वीकृत करने से पूर्व व्यवसायी द्वारा जमा किये गये प्रत्येक घोषणा पत्र को TINXSYS वेबसाइट से सत्यापन किये जा सके ।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी द्वारा जमा किये गये घोषणापत्रों जिसमें छूट/रियायत दूसरे राज्य के क्रम में दावा किया गया था, के प्रति सत्यापन करने में चूक का उदाहरण थे । विभाग द्वारा जाली, अयोग्य एवं त्रुटिपूर्ण फार्मों के पता चलने पर उचित कदम नहीं उठाया गया । लेखापरीक्षा ने अपने पूर्व समीक्षा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09) " केन्द्रीय विक्रय कर के आरोपण एवं संग्रह " में फार्मों का आसानी से पहचान हेतु अन्य राज्यों से घोषणापत्रों का नमूना संग्रह को प्राप्त करने की अनुशंसा की थी ।

हालांकि विभाग द्वारा एक वर्ष बीत जाने पर भी नमूना संग्रह नहीं किया गया । विभाग द्वारा स्वीकृत एवं प्राप्त कर छूट /रियायत का कोई केन्द्रीय डाटाबेस नहीं बनाया गया । लेखापरीक्षा ने अनियमित 'सी' और 'एफ' फार्म की स्वीकृति अपूर्व 'सी' फार्म पर

अनियमित कर छूट क्रय/आयातित माल का कम लेखाकंन इत्यादि प्रकरणों को आपत्तियाँ पाई । आंतरिक लेखापरीक्षा जो आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली का भाग हैं अपर्याप्त पाया गया ।

2.12.36 अनुशंसाएँ

शासन विचार कर सकता है :

- दूसरे राज्य से घोषणापत्र फार्म के नमूने के प्रति प्राप्त करना चाहिये ताकि प्रकरणों के निर्धारण के समय इनकी सत्यता की आसानी से सुनिश्चित की जा सके ;
- व्यवसायियों द्वारा जमा किये गये वैधानिक फार्मों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र वृत्तों से सहायक आयुक्तों को प्रतिसत्यापन के लिए अग्रेषित करना ;
- प्रदत्त छूट/राहत की परिमाण के मूल्याकंन हेतु डाटाबेस तैयार करना ;
- इन फार्मों की स्वीकृति के पहले, अनिवार्य जांच हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर एक चेक लिस्ट तैयार करना ;
- आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ को मजबूत करना एवं उनके द्वारा प्रदत्त सुझावों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना ;
- ऑनलाइन फार्म निर्गम करने की व्यवस्था आरम्भ करना ।

2.13 निर्धारण/विवरणी पर लेखा परीक्षा के अवलोकन

हमने वाणिज्यिक कर विभाग के विक्रय कर/मूल्य संवर्धित कर (वेट) के कर निर्धारण अभिलेखों का सूक्ष्म निरीक्षण किया और कुछ प्रकरणों में पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों, कर का अनारोपण/कम आरोपण/शास्ति/ब्याज, कर की दर गलत लगाया जाना, कर योग्य आवर्त पर गलत कटौती, गलत छूट और अन्य प्रकरणों को अनदेखा किया गया जैसा कि इस अध्याय में अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाया गया है । हमारे द्वारा ये प्रकरण केवल उदाहरण स्वरूप और नमूना जांच के आधार पर लिये गये हैं । प्रत्येक वर्ष की लेखापरीक्षा में इंगित की गई कुछ त्रुटियाँ जो कर निर्धारण प्राधिकारी से संबंधित हैं, को न केवल अनियमितताओं के न होने के लिए आग्रह किया गया वरन् यह लेखापरीक्षा होने तक यह पता न लगाये जाना भी शेष रहा । कुछ त्रुटियों के पता लगाये जाने एवं सुधार बाबत आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन को चाहिए कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति को मजबूती के साथ उन्नत किया जावे ।

2.14 अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन न करना

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक अधिनियम 1994 प्रदाय करता है:-

- (i) अधिनियम के प्रावधानों और जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित दर से कर का आरोपण ;
- (ii) कर का भुगतान न होना/विलम्ब से होने पर अधिनियम में निर्धारित दरों पर ब्याज का आरोपण ;
- (iii) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर निर्धारित दर से शास्ति का आरोपण ;

(iv) आवर्त की छूट प्रदाय किये जाने विषयक निर्धारित शर्तों का पूरा किया जाना ।

हमने देखा कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा जब कर निर्धारण प्रकरणों को निराकरण करने पर कुछ प्रावधानों का अवलोकन नहीं किया जिससे राजस्व के कम/वसूली न होने का अनुवर्ती कंडिकाओं में नीचे दर्शाया गया है ।

2.15 कर योग्य माल पर गलत छूट

अधिसूचना संख्या ए-3-46-2000- ST -V (52) दिनांक 17.07.2000 के अनुसार ट्रेक्टर ट्राली जो कृषि कार्य में व्यवहृत होगा बिक्री कर भुगतान से मुक्त होगा, अन्यथा 4.6 प्रतिशत (सरचार्ज सहित) की दर से कर आरोपणीय हैं ।

हमने अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के मध्य तीन वाणिज्यिक कर अधिकारियों⁸ (वा0क0अ0) के कर निर्धारण अभिलेखों में पाया कि आठ व्यवसायी जो ट्रेक्टर ट्रालर के निर्माण एवं बिक्री करते थे, का अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2006 तक का कर निर्धारण जून 2005 और अप्रैल 2009 के मध्य किया गया, ने ₹ 8.63 करोड़ मूल्य के ट्रेक्टर ट्रालर बिक्री वर्ष 2002-2006 के मध्य किया । वा0क0अ0 ने कर निर्धारण करते समय बिक्री को करारोपण से छूट

प्रदान की जबकि क्रेताओं द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ बिक्री का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । हमने उनके बिक्री सूची एवं दूसरे व्यवसायियों की क्रय लेखा को देखने पर पाया कि निर्माता व्यवसायी ने अन्य व्यवसायियों को माल बिक्री की थी न कि किसानों को। अतः दिया गया छूट गलत था और ₹ 39.70 लाख राजस्व की क्षति फलित हुई ।

हमारे द्वारा पूछे जाने पर, शासन ने (सितम्बर 2011) में पांच प्रकरणों को जांच हेतु पुनः खोलकर तीन प्रकरणों में मांग पत्र जारी किया । शेष प्रकरणों में उत्तर अप्राप्त है ।

2.16 कर योग्य टर्नओवर से गलत कटौती

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम 1995 के तहत प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी को माल लेखा, क्रय-सूची, गणना पत्रक और विवरणी में प्रदर्शित कटौती से संबंधित दस्तावेज की एक प्रति वर्ष के अंतिम विवरणी के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक हैं अन्यथा अनुसूची में निर्दिष्ट कर की दर आरोपणीय है दवा 9.2 प्रतिशत (सरचार्ज सहित) की दर से करारोपणीय हैं ।

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों (जून 2009) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो दवा के क्लियरिंग एवं अग्रेषण में संलग्न था, के अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2005 के कर निर्धारण नवंबर 2007 में किया गया, को ₹ 2.57 करोड़ का कटौती जीवन रक्षक दवा में प्राप्त किया परन्तु समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं था। इनके बावजूद

कर निर्धारण अधिकारी ने पूरी राशि में कटौती स्वीकृत किया जो कि नियम के तहत अनियमित था एवं कर 9.2 प्रतिशत (दवा पर सरचार्ज सहित) की दर से आरोपित किया जाना चाहिये था। इस तरह कर का अनारोपण से राजस्व ₹ 23.61 लाख वसूल न किया जाना फलित हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (दिसम्बर 2011) कि प्रकरण पुनः खोला जाकर व्यवसायियों को सूचित किया गया है।

2.17 शास्ति का अनारोपण

छत्तीसगढ़ मूल्य संबंधित कर (छ.ग.मू.सं.क.) अधिनियम 2005 के तहत कच्चा मटर कर मुक्त वस्तु है। भुना मटर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। आगे अधिनियम यह प्रावधानित करता है कि यदि कोई भी व्यवसायी अपने टर्नओवर को छिपाता है या अपने विक्रय या क्रय का गलत ब्यौरा देता है तो आयुक्त शास्ति आरोपण हेतु कार्यवाही आरम्भ कर सकता है जो कि देय कर अपवंचन की राशि के तीन गुने से कम नहीं और पांच गुने से अधिक नहीं होगा। यह व्यवसायी द्वारा देय कर के अतिरिक्त होगा।

वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.) वृत्त-V, रायपुर के कर निर्धारण अभिलेखों में हमने पाया (फरवरी 2011) कि एक व्यवसायी जो भुने मटर के निर्माता के रूप में पंजीकृत थे, वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण मार्च 2010 में किया गया, को कच्चा मटर बिक्री मूल्य ₹ 1.44 करोड़ की कर भुगतान से छूट प्रदान की गई। व्यवसायी द्वारा जमा कराये गये ऑडिट रिपोर्ट के क्रम में हमने पाया कि ऑडिट रिपोर्ट में संलग्न परिशिष्ट में कच्चे मटर की बिक्री निरंक दर्शाया गया था और तैयार माल की बिक्री यथा भुना मटर जो

कि करयोग्य माल था, ₹ 8.83 लाख किलोग्राम जिसकी कीमत ₹ 1.43 करोड़ था, दिखाया गया था। व्यवसायी ने निर्माण एवं व्यापार खाता के पन्ना को बदलकर जाली बनाया जिससे स्पष्ट था कि खाते जाली थे। अतः व्यवसायी को दी गई छूट गलत थी।

आगे हमने आयकर विभाग के अभिलेख से व्यवसायी के लेखे का प्रतिसत्यापन के क्रम में पाया कि वस्तु निर्माण एवं व्यापार खाता में व्यवसायी ने भुना मटर बिक्री किया था जो कि कर योग्य माल है न कि कच्चा मटर। इस तरह छूट प्रदाय करना गलत था जिससे ₹ 17.89 लाख कर का अनारोपण हुआ। चूंकि व्यवसायी ने कर अपवंचन के लिए अभिलेखों के छेड़छाड़ के माध्यम से गलत तथ्य प्रस्तुत किया इसीलिए अधिनियम के तहत शास्ति ₹ 89.43 लाख भी आरोपणीय था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने (सितम्बर 2011) आक्षेप स्वीकार किया एवं प्रकरण को पुनः धारा 22(1) के अन्तर्गत खोलकर ₹ 1.07 करोड़ का मांग पत्र व्यवसायी को जारी किया।

2.18 कर के गलत दर का प्रयोग

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वस्तुओं पर कर समय-समय पर निर्दिष्ट दरों से आरोपणीय है।

चार वाणिज्यिक कर अधिकारियों (वा0क0अ0) के कर निर्धारण अभिलेखों में हमने (जुलाई 2010 से फरवरी 2011 के मध्य) पाया कि वा0क0अ0 ने पाँच व्यवसायियों के अवशिष्ट माल के कुल बिक्री राशि ₹ 439.27 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर की जगह चार प्रतिशत की दर से ₹ 16.28 लाख कर का आरोपण किया। एक अन्य व्यवसायी के प्रकरण में

सम्पूर्ण कर छूट प्रदान की गई। अतः चार प्रकरणों में कम दर से करारोपण एवं एक प्रकरण में कर छूट प्रदान करना अनियमित था जिसके फलस्वरूप राजस्व ₹ 32.86 लाख की हानि हुई जो नीचे वर्णित हैं :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	अवशिष्ट माल	विक्रीत राशि (लाख में)	कर आरोपित (@4 प्रतिशत)	कर आरोपणीय (@12.5 प्रतिशत)	कम आरोपण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	वा.क.अ. वृत्त - II दुर्ग	ताम्बा स्क्रैप पीतल स्क्रैप	179.57	7.18	19.95	12.77
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित (दिसम्बर 2011) किया कि ताम्बा स्क्रैप, और पीतल स्क्रैप छ0ग0 मू0स0क0 अधिनियम के अनुसूची II के प्रविष्टि क्रमांक 48 के अंतर्गत आता है जिस पर कर की दर 4 प्रतिशत है और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सही करारोपण किया गया है। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि अधिसूचना क्रमांक F-10/56/2006/CT/V(73) दिनांक 26.09.2006 के तहत एल्युमिनियम स्क्रैप के इंडस्ट्रीयल इनपुट के रूप में सम्मिलित किया गया था जो चार प्रतिशत से करारोपणीय है स्पष्ट करता है कि जो मेटल स्क्रैप छ0ग0 मू0स0क0 अधिनियम 2005 के अनुसूची II के प्रविष्टि 48 के तहत नहीं आता था।						
2	वा.क.अ. वृत्त - I रायपुर	शल्य वस्तु	90.35	3.56	10.04	6.48
इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा कहा गया कि व्यवसायी औषध उपकरण के व्यवसाय करते थे न कि शल्य उपकरण के और टंकन भूल के कारण कर निर्धारण आदेश में औषध उपकरण के स्थान पर शल्य उपकरण दर्ज हो गया था। उत्तर सही नहीं था, कारण प्रकरण में संलग्न माल आयात करने के लिये घोषणा पत्र फार्म 59-A से स्पष्ट है कि व्यवसायी ने शल्य वस्तु खरीदा था न की औषध उपकरण।						
3	वा.क.अ. वृत्त -V रायपुर	ड्रिप लाइन पाइप	70.59	2.71	7.83	5.12
इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि व्यवसायी ने राशि ₹ 5.12 लाख ई-भुगतान से जमा किया।						
4	वा.क.अ. वृत्त - VI रायपुर	शीशे का सामान/ चीनी के मिट्टी के सामान	73.62	2.83	8.18	5.35
यह विभाग एवं शासन को सूचित किया गया था (जुलाई 2011); उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2011)।						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	वा.क.अ. वृत्त - I रायपुर	तिरपाल	25.14	..	3.14	3.14
कुल			439.27	16.28	49.14	32.86

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग का उत्तर था कि व्यवसायी ने अवधि 30.09.06 तक राशि ₹ 25.14 लाख का कैनवस कपड़ा बिक्री किया और दिनांक 01.10.06 के पश्चात् तारपोलिन की बिक्री की इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सही कर निर्धारण किया गया है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि इस व्यवसायी के कर निर्धारण नस्ती में व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत खरीदी सूची एवं गणना पत्रक जो कर निर्धारण आदेश के साथ संलग्न पाये गये थे, से स्पष्ट था कि व्यवसायी द्वारा उक्त अवधि में तिरपाल की ही खरीदी-बिक्री की गई थी।

2.19 प्रवेश कर का अनियमित छूट

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, के अंतर्गत चीनी एक कर मुक्त वस्तु है, हालांकि छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 के अंतर्गत चीनी का प्रवेश एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में होने पर एक प्रतिशत की दर से आरोपणीय है। अगर कोई व्यवसायी अपने टर्नओवर को छिपाता है या गलत ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं तो संबंधित प्राधिकारी कर अपवंचन की तीन गुणा शास्ति लगाने की कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

सहायक आयुक्त (स.आ.) रायपुर के अवधि 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 तक के संधारण अभिलेखों में हमने पाया (मई 2009) कि एक व्यवसायी जिसने प्रांत बाहर से चीनी ₹ 3.99 करोड़ का क्रय किया था, का कर निर्धारण दिसम्बर 2006 में किया गया था। इसमें से व्यवसायी ने ₹ 3.87 करोड़ का अन्तर्राज्यीय बिक्री उड़ीसा के व्यवसायियों को किया।

हमने कर निर्धारण आदेश में संलग्न वाहन रसीद को उड़ीसा राज्य के परिवहन विभाग से प्रतिसत्यापन किया

और पाया कि दुलाई में प्रयुक्त वाहन संख्या दो चक्का वाहन का था न कि ट्रक का। अतः व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत वाहन रसीद बनावटी थी एवं इस प्रकरण में प्रदत्त छूट गलत था। व्यवसायी प्रवेश कर ₹ 3.87 लाख एवं शास्ति ₹ 11.61 लाख चुकाने का उत्तरदायी था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग (दिसम्बर 2011) ने बताया कि प्रकरण धारा 22 (1) में खोला जाकर ₹ 7.74 लाख का मांग पत्र व्यवसायी को जारी किया गया है।

2.20 प्रवेश कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, की धारा 3, सहपठित अनुसूची II के अनुसार, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उस व्यक्ति द्वारा प्रवेश कर देय होगा जो माल को उस स्थानीय क्षेत्र में प्राप्त करता है। सीमेंट पर प्रवेश कर 1 प्रतिशत और आयरन और स्टील पर डेढ़ प्रतिशत से आरोपणीय है।

सहायक आयुक्त-I, दुर्ग के निर्धारण अभिलेखों के जांच (फरवरी 2010) में हमने पाया कि तीन व्यवसायियों के चार प्रकरणों जो सीमेंट, आयरन एंड स्टील के क्रय-विक्रय करते थे, के अवधि अप्रैल 2004 से मार्च 2006 तक का कर निर्धारण नवम्बर 2006 और दिसम्बर 2008 के मध्य किया गया था।

प्रवेश कर के निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 7.44 करोड़ (3.99 करोड़ सीमेंट एवं 3.45 करोड़ आयरन और स्टील) के क्रय राशि पर छूट ग्राहक को सीधे फैक्टरी से बिक्री मानते हुए प्रदान की। हालांकि क्रय देयकों को देखने पर यह पाया गया कि निर्माताओं ने केवल पंजीकृत व्यवसायियों के नाम से ही देयक जारी किया था इसके बाद इन व्यवसायियों ने ग्रहकों अर्थात् क्रेताओं को सादे कागज पर कच्चा बिक्री बीजक जारी किया। सीधे बिक्री के प्रमाण नहीं प्रस्तुत करने के बावजूद भी, कर निर्धारण अधिकारी ने छूट प्रदान की जो गलत था और इससे ₹ 9.17 लाख का प्रवेश कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने (दिसम्बर 2011) बताया कि प्रकरण धारा 22(1) में खोला जाकर मांग पत्र व्यवसायी को जारी किया गया है।

2.21 घोषणा पत्र बिक्री पर कर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, सहपठित अधिसूचना सं. 70 दिनांक नवम्बर 2001 के तहत आयरन एवं स्टील निर्माता द्वारा तैयार माल की बिक्री पर भुगतान से मुक्त है अगर वे उस माल से बने हैं जो दो प्रतिशत की दर से कर भरित है।

सहायक आयुक्त - I (स.आ.) दुर्ग के संधारण अभिलेखों में हमने पाया (फरवरी 2010) कि व्यवसायी जो रीरोल्ड उत्पाद जैसे स्टील राउन्ड्स, रॉड, फ्लेट, एंगल इत्यादि के निर्माण एवं बिक्री करता था, का अवधि 2004-05 का कर निर्धारण जनवरी 2008 में किया गया, को ₹ 4.04 करोड़ के निर्मित माल की बिक्री पर छूट प्रदान किया गया।

हमारे जांच में पाया गया कि व्यवसायी ने कच्चा माल छूट प्राप्त इकाई से बिना कोई कर चुकाये खरीदा था इसीलिए वह निर्मित माल

की बिक्री पर कर का भुगतान की छूट का पात्र नहीं था। हालांकि स.आ. ने प्रकरण का निर्धारण के क्रम में छूट प्रदान किया जिससे ₹ 8.08 लाख कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने (दिसम्बर 2011) बताया कि निर्मित मालों पर कर की गणना की गई है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि कच्चा मालों पर कर जमा नहीं किया गया फलस्वरूप निर्मित मालों की बिक्री पर छूट प्रदाय करना अमान्य है।

2.22 इनपुट कर छूट का गलत अनुमति

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के धारा 13 सहपठित अनुसूची III के प्रविष्टि क्रमांक 2 एवं 4 के अनुसार, निर्माण अथवा व्यवसाय में उपयोग के लिए भूमि एवं सिविल निर्माण जिसमें कार्यालय भवन तथा अन्य संबंधित निर्माण सम्मिलित हैं, पर किया गया पूँजीगत व्यय, फर्नीचर एवं फिक्श्चर, जिसमें वातानुकूलन तथा प्रशीतक सम्मिलित हैं आगत कर रिबेट के पात्र नहीं हैं।

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा. क.अ.) वृत्त - V रायपुर के निर्धारण अभिलेखों में हमने पाया (फरवरी 2011) कि एक व्यवसायी जो वर्ष 2006-07 में निर्माण एवं बिक्री करता था और जिसका कर निर्धारण दिसम्बर 2009 में किया

गया था को सीमेंट प्लांट के सिविल निर्माण में आगत कर रिबेट (आई.टी.आर.) ₹ 3.96 लाख प्रयुक्त माइल्ड स्टील (एस.एस.), राउण्ड, एम.एस. एंगल, कम्प्यूटर और विद्युत सामान इत्यादि (पूँजीगत माल) की क्रय ₹ 1.03 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से एवं ₹ 0.62 लाख सीमेंट (पूँजीगत माल) क्रय ₹ 5.58 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर स्वीकृत किया गया। प्रदत्त आई.टी.आर. अधिनियम के प्रावधान के तहत अनियमित था। परिणामस्वरूप आगत कर रिबेट ₹ 4.57 लाख का अधिक दावा फलित हुआ।

विभाग/शासन के ध्यान में लाये जाने पर उनके द्वारा आपत्ति स्वीकृत की गयी (सितम्बर 2011) एवं कहा गया कि प्रकरण को आगे की कार्रवाही हेतु पुनः खोला गया। आगे की प्रगति अभी अप्राप्त है (अक्टूबर 2011)

2.23 करयोग्य माल के बिक्री पर गलत छूट

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994, के धारा 9 सहपठित अनुसूची II के अनुसार, इलेक्ट्रानिक सामान की बिक्री पर कर की दर 9.2 प्रतिशत (सरचार्ज सहित) हैं।

वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-I, रायपुर के संधारण अभिलेखों (सितम्बर 2009) में हमने पाया कि एक व्यवसायी जो इलेक्ट्रानिक्स सामानों के क्रय-विक्रय करते थे, का अवधि 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 तक का कर निर्धारण दिसम्बर 2007 में किया गया, का कुल टर्नओवर ₹ 1.50 करोड़ था, जिसमें से ₹ 26.48 लाख की बिक्री कर मुक्त रिचार्ज वाउचर को दिखलाया गया। व्यवसायी का लेखा देखने पर हमने पाया कि व्यवसायी ने कोई भी रिचार्ज वाउचर नहीं खरीदा था बल्कि इलेक्ट्रानिक सामान की खरीद दिखलाई गई थी। अतः छूट प्रदान करना गलत था जिससे ₹ 2.44 लाख कर का अनारोपण फलित हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने (दिसम्बर 2011) बताया कि प्रकरण को धारा 22 (1) में खोला जाकर ₹ 2.44 लाख का मांग पत्र व्यवसायी को जारी किया गया।

तीसरा अध्याय : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

3.1. कर प्रशासन

पंजीयन विभाग शासन के लिए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में राजस्व एकत्र करता है जो कि शासन के राजस्व आय का मुख्य स्रोत है। लिखतों के निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क आरोपित किया जाता है तथा पंजीयन फीस निर्धारित दरों पर देय होता है। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस से बचने के उपाय सामान्यतः सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन, दस्तावेजों को पंजीयन प्राधिकारियों के कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना और निष्पादक द्वारा पंजीयन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क का कम भुगतान या भुगतान नहीं किया जाना है। विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों का पालन मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस प्राप्ति करने के लिए करता है :

- भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899;
- पंजीयन अधिनियम 1908;
- छत्तीसगढ़ दस्तावेजों के न्यून मूल्यांकन का निषेध नियम 1975; और
- छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य दिशानिर्देश नियम 2000 ।

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण एवं संग्रहण का कार्य पंजीयन विभाग करता है जिसका प्रमुख महानिरीक्षक पंजीयन सह अधीक्षक मुद्रांक (म.नि.पं.) है। उसके सहायता के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन, जिला पंजीयक (जि.प.) सह मुद्रांक संग्राहक तथा उप पंजीयक (उप.पंजी.) होते हैं ।

3.2. बजट तैयारी का विश्लेषण

बजट अनुमान छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के अनुसान तैयार किया जाता है । राजस्व प्राप्तियां इकाईयों से प्राप्त किये जाते हैं एवं विभाग में एकत्र किये जाते हैं । पंजीबद्ध प्रकरणों एवं पिछले वर्ष के राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है । राजस्व संग्रह और पंजीकृत प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की समीक्षा करने के बाद वित्त विभाग बजट स्वीकृत करता है ।

3.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान पंजीयन विभाग की वास्तविक प्राप्तियां उस अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर आधिक्य(+)/ कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर राजस्व के सापेक्ष में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2006-07	379.90	389.51	(+)9.61	(+)2.53	5045.70	7.72
2007-08	471.47	462.72	(-)8.75	(-)1.86	5618.10	8.24
2008-09	520.00	495.59	(-)24.41	(-)4.69	6593.72	7.52
2009-10	515.00	583.13	(+)68.13	(+)13.23	7123.25	8.19
2010-11	650.35	785.85	(+)135.50	(+)20.83	9005.14	8.73

पिछले पाँच वर्षों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का राज्य के कर राजस्व में 7.52 से लेकर 8.73 प्रतिशत योगदान था। वर्ष 2010-11 के दौरान वृद्धि (+20.83 प्रतिशत) पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि तथा संपत्तियों के बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण हुई।

3.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2011 की स्थिति में ₹ 5.43 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 2.86 करोड़ पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित था। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान बकाया राजस्व की स्थिति प्रदर्शित करता है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान उठायी गयी मांग	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकाया का अन्तिम शेष
2006-07	2.86	0.26	0.25	2.87
2007-08	2.87	0.60	0.42	3.05
2008-09	3.05	1.02	0.39	3.68
2009-10	3.68	2.00	0.99	4.69
2010-11	4.69	3.46	2.72	5.43

शासन को बकाया राजस्व की वसूली हेतु तुरन्त कदम उठाने चाहिए जो कि बढ़त के लक्षण दर्शाते हैं।

चर्चा के दौरान शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि बकाया वसूली हेतु प्रयास किए जायेंगे।

3.5 संग्रहण की लागत

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के संदर्भ में संग्रहण पर व्यय के अखिल भारतीय औसत प्रतिशत सहित वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान सकल संग्रहण तथा संग्रहण पर किये गये व्यय एवं संग्रहण पर व्यय के प्रतिशत निम्नानुसार थे :

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष में संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष में संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2008-09	495.59	11.69	2.36	2.09	
	2009-10	583.13	13.97	2.40	2.77	
मु. शीर्ष 0030	2010-11	785.85	17.75	2.26	2.47	

3.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

3.6.1 : निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति: पिछले पांच वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 1829 प्रकरणों जिसमें ₹ 15.57 करोड़ निहित थे

जिसमें मुद्रांक शुल्क के अवनिर्धारण, दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण इत्यादि को इंगित किया। इनमें से 1174 प्रकरणों में शामिल ₹ 9.19 करोड़ को विभाग ने स्वीकार किया एवं ₹ 15.26 लाख की वसूली किये। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है :

(₹ लाख में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	परिक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार्य राशि		वसूल की गयी राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2005-06	27	221	318.63	221	318.63	6	0.73
2006-07	14	132	182.33	131	182.33	3	0.32
2007-08	30	515	100.31	511	97.86	4	2.45
2008-09	20	635	663.00	13	38.00	7	1.76
2009-10	11	326	293.00	298	282.00	81	10.00
योग	102	1829	1557.27	1174	918.82	101	15.26

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों में स्वीकार्य प्रकरणों केवल 1.6 प्रतिशत की वसूली की गयी। विभाग को उनके द्वारा स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली के प्रयास करने चाहिये।

चर्चा के दौरान शासन ने सूचित किया कि, प्रकरणों में ध्यान दिया जाकर शीघ्र वसूली के प्रयास किये जावेंगे।

3.6.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 से 2009-10 में न्यून मूल्यांकन, मुद्रांक शुल्क से छूट तथा चोरी के प्रकरणों में ₹ 10.63 करोड़ समाहित है।

विभाग द्वारा ₹ 1.34 करोड़ के लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की गई तथा ₹ 1.42 करोड़ राशि वर्ष मार्च 2011 तक वसूल की गई जो निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	विभाग द्वारा स्वीकार राशि	मार्च 2011 तक वसूल की गई राशि
1	2005-06	0.34	0.17	0.10
2	2006-07	8.69	0.03	1.23
3	2007-08	-	-	-
4	2008-09	1.60	1.14	0.09
5	2009-10	-	-	-
	योग	10.63	1.34	1.42

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित बकाया के वसूली हेतु कदम उठाने चाहिए।

3.7 आंतरिक लेखा परीक्षा

किसी भी संगठन का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है एवं सामान्यतः यह परिभाषित है कि संगठन के सभी नियंत्रणों का एक नियंत्रण है जो यह सुनिश्चित करता है कि निर्धारित प्रणाली के अनुरूप कार्य हो रहा है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन से संबद्ध है और इसमें एक सहायक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी है जिसे जिला पंजीयक एवं उप-पंजीयक के कार्यालय की क्रमशः वर्ष में एक बार व दो वर्ष में एक बार आंतरिक लेखा परीक्षा कतनी होती है। वर्ष 2010-11 के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा ने 33 उप-पंजीयक कार्यालयों का आडिट करने की योजना बनायी जिसमे से मात्र 11 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। इकाईयों की निरीक्षण की कम प्रतिशतता यह प्रदर्शित करती है कि, विभाग के पास इकाईयों के निरीक्षण की प्रभावी योजना नहीं थी।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, आंतरिक लेखा परीक्षा अपेक्षित इकाईयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करें और आंतरिक लेखा परीक्षा की अभियुक्तियों पर पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा समय बद्ध तरीके से कदम उठाया जाना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार राजस्व का संग्रहण सुनिश्चित किया जा सकें साथ ही राजस्व का बचाव और त्रुटियों का भविष्य में दुहराव से बचाव हो सकें।

3.8 लेखा परीक्षा के परिणाम

पंजीयन विभाग से सम्बंधित 28 इकाईयों का नमूना जाँच में 542 प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क का कम निर्धारण, विलखो का गलत वर्गीकरण आदि जिसमें ₹ 6.29 करोड़ निहित थी पाया गया जो कि निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत है :

(₹ करोड़ में)			
स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रकरणों के निराकरण में अपरिमित विलंब	106	1.49
2.	मुद्रांक शुल्क के कम निर्धारण विलेखों में गलत वर्गीकरण एवं कम निर्धारण से राजस्व हानि	254	2.67
3.	अन्य अनियमितताएँ	182	2.13
	योग	542	6.29

वर्ष के दौरान, विभाग ने 486 प्रकरणों में ₹ 4.20 करोड़ का कम निर्धारण स्वीकार किया। विभाग ने ₹ 11.47 लाख वसूल किया जिसे लेखा परीक्षा ने पहले के वर्षों में इंगित किया था।

कुछ उल्लेखनीय प्रकरण, जिसमे ₹ 1.88 करोड़ की राशि निहित है, को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

3.9 लेखा परीक्षा निरीक्षण

हमने विभिन्न पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों की जांच को तथा अधिनियमों/नियमों/शासन की अधिसूचनाओं/निर्देशों के पालन न किये जाने के कई प्रकरण पाये जिससे मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की हानि हुई। अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित अनियमितताएं/कमियां अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु निहित मार्गदर्शिका के संदर्भ में बाजार मूल्य के गलत निर्धारण से संबंधित हैं एवं कुछ प्रकरण दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण से संबंधित हैं उक्त प्रकरण उदाहरणात्मक तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित हैं पंजीयकों द्वारा की गई ऐसी गलतियां हमारे द्वारा प्रतिवर्ष इंगित की जाती हैं, किन्तु न केवल यह अनियमितताएं बनी रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा क संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है शासन को आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उन्नत किया जावे तथा आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किया जाए जिससे ऐसी गलतियों से बचा जा सके ।

3.10 संपत्तियों के अवमूल्यांकन से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम उप-पंजीयक को अधिकृत करता है, कि यदि उसके पास यह विश्वास योग्य कारण हैं कि दस्तावेजों में वर्णित मुख्य केंद्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमादित मार्गदर्शिका से कम हैं, तो ऐसे दस्तावेजों को उचित मूल्यांकन हेतु मुद्रांक संग्राहक को प्रेषित करेगा ।

दस्तावेजों की नमूना जांच में हमने देखा की, 67 दस्तावेज जो मार्च 2007 से मार्च 2010 के मध्य पंजीकृत किये गये थे, उप पंजीयक द्वारा न तो इनके बाजार मूल्य सही निर्धारित किये, न हि जिला पंजीयक की ओर उचित मूल्यांकन हेतु प्रेषित किया। अनुमादित मार्गदर्शिका के अनुसार इन दस्तावेजों में वर्णित संपत्ति का बाजार मूल्य ₹ 16.50 करोड़ था,

इसके ऐवज में निष्पादकों द्वारा ₹ 7.18 करोड़ निर्दिष्ट किया गया। परिणाम स्वरूप ₹ 9.32 करोड़ से संपत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ। संबंधित उप-पंजीयकों ने दस्तावेजों के पंजीयन के समय उक्त कमियों का अन्वेषण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 71.99 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं ₹ 7.41 लाख के पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ । जिन परिणामतः संपत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ जिससे मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआ निम्नलिखित तालिका में वर्णित हैं-

दस्तावेजों की संख्या	दस्तावेजों के अनुसार		मार्गदर्शिका एवं प्रावधानों के अनुसार		अधोमूल्यांकन	मुद्रांक शुल्क/पंजीयन शुल्क का कम आरोपण
	मूल्य	मुद्रांक शुल्क/पंजी. शुल्क	मूल्य	मुद्रांक शुल्क/पंजी. शुल्क		
8	202.08	18.23/1.63	461.40	37.34/3.70	259.32	21.01/ 2.07
<p>गलती की प्रकृति: मार्गदर्शिका के प्रारूप एक के उपबंध एक के अनुसार वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में रायपुर में संपत्तियों के मूल्यांकन में 0.243 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि (अपरिवर्तित) का मूल्यांकन स्लैब के आधार पर किया जावेगा और ऐसी भूमि जो 0.243 हेक्टेयर से अधिक है का मूल्यांकन प्रति हेक्टेयर की दर से किया जावेगा। उप पंजीयक रायपुर के कार्यालय में हमने देखा कि, क्रेताओं ने 8 दस्तावेज निष्पादित किये। प्रत्येक दस्तावेज दो या दो से अधिक विक्रेताओं द्वारा निष्पादित किया गया जिनका क्षेत्रफल प्रत्येक 0.243 हेक्टेयर से कम था, इस प्रकार इस भूमि का दस्तावेजों में वर्णित कुल क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर से अधिक हो गया। प्रत्येक विक्रेता के पास अपने भूमि के तुकड़े हेतु अलग-अलग, ऋण पुस्तिका एवं खसरा थे। इस प्रकार, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के उद्देश्य हेतु प्रत्येक भूमि के तुकड़े को अलग इकाई मानना चाहीये था। हमने देखा कि, निष्पादकों द्वारा इसे मुद्रांक शुल्क के उद्देश्य हेतु एक दस्तावेज में एकत्र इकाई मानकर भूमि के उस दर से निर्धारित किया जो 0.243 हेक्टेयर से अधिक के लिये दर निर्धारित थी। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क ₹ 21.01 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 2.07 लाख का कम आरोपण हुआ।</p>						
29	329.06	24.96/2.70	667.54	50.39/5.38	338.48	25.43/ 2.67
<p>गलती की प्रकृति: - मार्गदर्शिका के अनुसार मुख्य मार्ग पद स्थित भूमि/प्लांट के तुकड़े का दर मुख्य मार्ग से अंदर स्थित भूमि/प्लांट के तुकड़े के मूल्य उच्च है। विभिन्न जगह हेतु विभिन्न दर हैं। चार उप पंजीयक¹ के कार्यालय में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जांच में हमने देखा कि, निष्पादन के समय संलग्न दस्तावेज जैसे पटवारी प्रतिवेदन, नक्शा आदि को मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के उद्देश्य हेतु गृहित नहीं किया। हमने देखा कि, प्रपत्र जो दस्तावेजों के साथ संलग्न थे के अनुसार भूमि मुख्य मार्ग पर थी। किन्तु उप पंजीयकों ने इसे मुख्य मार्ग से अंदर की ओर मानकर मूल्यांकित किया तथा साधारण दर से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयक फीस आरोपित की। इस प्रकार मुद्रांक शुल्क ₹ 25.43 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 2.67 लाख का कम आरोपण हुआ।</p>						
30	187.20	14.75/1.55	521.49	40.30/4.22	334.29	25.55/2.67
<p>गलती की प्रकृति: सात उप पंजीयकों² के कार्यालयों में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जांच में हमने देखा कि, 30 दस्तावेजों में उप पंजीयक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत, मुद्रांक शुल्क का आरोपण/केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शिका के अनुसार बाजार मूल्य पर न कर दस्तावेजों में वर्णित मूल्य के आधार पर किया। परिणामत स्वरूप बाजार मूल्य ₹ 3.34 करोड़ का गलत निर्धारण हुआ और इसी वजह से ₹ 28.22 लाख का कम शासकीय राजस्व मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।</p>						
67	718.34	57.94/5.87	1650.43	128.03/13.30	932.09	71.99/ 7.41

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ती को स्वीकार किया और कहा कि, 8 प्रकरणों में ₹ 51241 की वसूली की जा चुकी है तथा शेष प्रकरण मुद्रांक संग्राहक की ओर उचित मूल्य के निर्धारण हेतु अग्रेषित किये गये हैं (सितम्बर 2011) की गई कार्रवाई पर आगे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2012)।

¹ बैकुण्ठपुर, भरतपुर, रायपुर, और सुरजपुर

² बैकुण्ठपुर, भरतपुर, बिलासपुर, धमधा, पेन्द्र रोड, रायपुर और सुरजपुर

मार्गदर्शिका के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तित भूमि जो मुख्य मार्ग से लगी हो का बाजार मूल्य उस क्षेत्र की मुख्य मार्ग पर स्थित कृषि भूमि के ढाई गुना होगा।

3.10.1 उप पंजीयक कार्यालय, रायपुर में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जांच (सितंबर 2010) में हमने देखा कि दो दस्तावेजों से ग्रामीण क्षेत्र (कचना) में 4.28 हेक्टेयर भूमि का विक्रय किया गया, जिसमें से 4.22 हेक्टेयर भूमि परिवर्तित थी, तथा मुख्य मार्ग से लगी हुई थी। मार्गदर्शिका के अनुसार उस क्षेत्र में भूमि का बाजार मूल्य ₹ 85 लाख प्रति हेक्टेयर था। उप पंजीयक ने इस दस्तावेज को वर्णित मूल्य ₹ 3.63 करोड़ के विक्रय पत्र पर पंजीकृत कर मुद्रांक शुल्क ₹ 28.47 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 2.91 लाख आरोपित किया। यद्यपि, दस्तावेज के साथ संलग्न प्रपत्रों से भूमि मुख्य मार्ग पर थी, अतः संपत्ति का बाजार मूल्य ₹ 9.06³ करोड़ निर्धारित होता है जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 70.88 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 7.25 लाख आरोपणीय था। इस प्रकार बाजार मूल्य के त्रुटीपूर्ण निर्धारण के कारण मुद्रांक शुल्क ₹ 42.41 लाख एवं पंजीयन फीस ₹ 4.34 लाख की कम प्राप्ति हुई।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने सितंबर 2011 में सूचित किया कि प्रकरणों को जिला पंजीयक को भेजा गया है। कि गई कार्रवाई पर आगे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2012)।

3.11 दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण

हस्तांतरण पत्र में चल या अचल संपत्ति का अंतरण किया जाता है। दस्तावेज का वर्गीकरण उसके विलेख दिये गये तथ्यों के आधार पर किया जावेगा न कि उसके शीर्षक के आधार पर।

उप पंजीयक रायपुर में पंजीकृत अभिलेखों की नमूना जांच में हमने देखा कि (सितम्बर 2010) कि, तीन दस्तावेज जो अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के मध्य पंजीकृत किये गये थे, इनका वर्गीकरण डेव्हलपमेंट एग्रीमेंट के रूप में कर मुद्रांक शुल्क ₹ 10.98 लाख वसूल किया गया था। तथापि इन दस्तावेजों में वर्णित तथ्यों की जांच में हमने देखा की अनुबंध के पूर्व ही विक्रय मूल्य के प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि ₹ 3.35 करोड़ प्रथम पक्ष को प्राप्त हो गई थी तथा द्वितीय पक्ष को कब्जा भी दिया गया था। अनुबंध में यह भी निर्धारित किया गया है कि, प्रथम पक्ष (विक्रेता) द्वारा क्रेता से इससे अधिक राशि की मांग नहीं करेगा। पुनश्च: यदि भूमि के पेटे अधिक राशि पाना पाया जाता है तो आयकर एवं समस्त प्रकार के करो का भुगतान क्रेता द्वारा निष्पादन पश्चात् किया जावेगा। इस प्रकार, इन दस्तावेजों का वर्गीकरण हस्तांतरण पत्र में किया जाकर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 59.17 लाख आरोपणीय था। उप पंजीयक ने पंजीयन के समय इसका सही वर्गीकरण नहीं किया परिणाम स्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 48.19 लाख का कम आरोपण हुआ।

³ ₹ 3.63 करोड़ *2.5= ₹ 9.06 करोड़

इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने कहा कि प्रकरण जिला पंजीयक को भेजे गये हैं (सितम्बर 2011)। की गई कार्रवाई पर आगे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2012)।

3.12 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 48 (एफ-1) के अनुसार यदि मुख्यारनामा, बिना प्रतिफल प्राप्त किए, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किया जाता है जो कि निष्पादनकर्ता का पति, पत्नी, संतान माता या पिता नहीं है, तब वही मुद्रांक शुल्क आरोपणीय होगा जो कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत संपत्ति के हस्तांतरण पर आरोपणीय है।

उप पंजीयक कार्यालय कटघोरा में पंजीकृत मुख्यार नामा विलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2009) में हमने पाया कि 3.589 हेक्टेयर भूमि का मुख्यार नामा निष्पादनकर्ता द्वारा ननद के पक्ष में अप्रैल 2007 में किया गया। उक्त भूमि में से 0.948 हेक्टेयर

भूमि परिवर्तित थी तथा शेष 2.641 हेक्टेयर अपरिवर्तित भूमि थी। उक्त क्षेत्र में भूमि का बाजार मूल्य ₹ 4.94 लाख प्रति हेक्टेयर था। अतः संपत्ति का बाजार मूल्य ₹ 24.73⁴ लाख होता है। जिस पर मुद्रांक शुल्क ₹ 2.16 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.20 लाख आरोपणीय था। जबकि, उप पंजीयक ने हस्तांतरण पत्र के अनुरूप मुद्रांक शुल्क ₹1.33 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 100 आरोपित किया। परिणामतः मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के रूप में ₹ 1.03 लाख का कम आरोपण हुआ।

इन प्रकरणों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर में सूचित किया कि, प्रकरण का मुद्रांक संग्राहक ने सुनवाई हेतु पंजीकृत किया था तथा आदेशित किया कि, प्रकरण को मुख्यारनामा के रूप में उचित वर्गीकृत किया है। (सितम्बर 2011)। उत्तर हमारे आक्षेप के अनुरूप नहीं हैं। हमारा आक्षेप बाजार मूल्य पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण बाबत था न कि दस्तावेज के वर्गीकरण बाबत। उप पंजीयक द्वारा ही इसका वर्गीकरण हस्तांतरण के अनुसार ही किया था किन्तु इसके बाजार मूल्य ₹ 24.73 लाख पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 2.36 लाख के एवज में ₹ 1.33 लाख ही विभाग ने आरोपित किया। इस प्रकार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयक फीस का त्रुटिपूर्ण आरोपण हुआ।

⁴ 2.641*4,93,500=1303334,

0.948*12,33,750=11,69,595

योग- 24,72,929

(4,93,500 के 2.5 गुणा दर)

3.13 मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 2(12) के अनुसार जैसे ही कोई दस्तावेज निष्पादित होता है, वह आरोपण योग्य हो जाता है। अधिनियम की धारा 35 के अनुसार जैसे ही दस्तावेज उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो धारा 2(11) के अनुरूप उसे सुनिश्चित करना चाहिये कि दस्तावेज सम्यक रूप से मुद्रांकित है। यदि नहीं तो वह धारा 38(2) के अंतर्गत वह इसे रोक लेगा तथा मुद्रांक की कमी की वसूली हेतु मुद्रांक संग्राहक को भेज सकेगा।

उप पंजीयक कार्यालय, रायपुर में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जांच में हमने पाया कि एक दस्तावेज मार्च 2006 में निष्पादित हुआ। आवश्यक दस्तावेज जैसे खसरा, बी-1, नक्शा आदि अप्रैल 2006 में यानि निष्पादन के पश्चात् जारी किये गये थे और मई 2006 में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। इसमें विक्रय मूल्य ₹ 9.40 लाख दर्ज था तथा ₹ 500/- के शुल्क पर प्रस्तुत किया गया था। इसे वर्ष

2005-06 के बाजार मूल्य के आधार पर मुद्रांक शुल्क ₹ 2.36 लाख वसूलकर मार्च 2010 में पंजीकृत किया गया। इस प्रकार उप पंजीयक ने अनियमित रूप से चार साल तक अपने पास रखा। इस प्रकार दस्तावेज में पंजीयन के विलंब के कारण शासकीय राजस्व का प्रेषण चार वर्ष की देरी से हुआ जो निष्पादक को अनियमित रूप से दिया गया फायदा है।

वर्ष 2009-10 के दोनों के अनुसार मार्च 2010 में इस संपत्ती का बाजार मूल्य ₹ 1.49 करोड़ था इस प्रकार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में शासन को ₹ 11.77 लाख अतिरिक्त प्राप्त हो सकते थे।

इसी प्रकार अन्य दो दस्तावेजों में हमने देखा की दो दस्तावेजों मार्च 2008 में निष्पादित किये गये थे तथा जून 2008 में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। आवश्यक दस्तावेज जैसे खसरा, बी-1, नक्शा आदि निष्पादन के समय नहीं थे। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवहार जो राशि के भुगतान से संबंधित थे वह जून 2008 में किये गये थे। क्योंकि व्यवहार जून 2008 में किये गये थे अतः इसका बाजार मूल्य वर्ष 2008-09 के अनुसार पंजीकृत करना चाहिये था जो न किया जाकर उप पंजीयक ने वर्ष 2007-08 का बाजार मूल्य अपनाया। इस अनियमितता से ₹ 58,667/- मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की हानी हुई।

इन प्रकरणों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2011) शासन ने आक्षेप को मान्य किया और सूचित किया कि संबंधित उप पंजीयकों को कारण बताओ ज्ञापन जारी किये जावेंगे।

4.1 कर प्रशासन

आबकारी विभाग राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त कर देने वाला विभाग है, एवं पिछले पांच वर्ष की अवधि में आबकारी राजस्व प्राप्ति का कुल योगदान 14 से 16.73 प्रतिशत के बीच रहा। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अंतर्गत जारी किये गये नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार आरोपित अथवा आदेशित शुल्क, फीस अथवा राजसात के द्वारा होने वाली आय आबकारी राजस्व में समाहित होती है। इसमें मदिरा, भांग तथा पोस्ता के निर्माण, धारण तथा विक्रय द्वारा होने वाली आय भी सम्मिलित है। विभाग मदिरा दुकानों को समूहों में संधारित करता है तथा निजी अनुज्ञप्तिधारियों को इन दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा, भांग तथा पोस्ता विक्रय करने की अनुज्ञप्ति देता है। मदिरा के निर्माण हेतु आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त कर प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। विभाग के अधिनियम एवं नियम नीचे दिये गये हैं।

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995; एवं
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996.

आबकारी आयुक्त आबकारी विभाग के प्रमुख है। उसकी सहायता अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, उप-आयुक्त, सहायक आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा की जाती है।

4.2 बजट तैयारी का विश्लेषण

छत्तीसगढ़ बजट मैनुअल के अनुसार बजट तैयार किया जाता है। वर्ष में बजट प्रक्रिया के प्राक्कलन में अनुमानित प्राप्तियों के वास्तविक अपेक्षित राशि को दिखाना चाहिए। आबकारी के वार्षिक बजट तैयारी के लिये वर्ष में संग्रहण का आधार अनुज्ञप्ति फीस, आबकारी शुल्क, परमीट फीस, बोटल भराई फीस आदि संभावित प्राप्तियाँ होती है। वर्ष 2010-11 के लिए अनुमानित ₹ 1,390.00 करोड़ थी एवं वास्तविक प्राप्ति ₹ 1,506.44 करोड़ थी इसमें 8.38 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। शासन को चाहिए कि वह वास्तविक बजट तैयार करे जिससे बजट अनुसार वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ प्राप्त हो सकें।

4.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा राज्य को वास्तविक प्राप्तियों का विवरण नीचे दिये गये तालिका प्रदर्शित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित बजट	वास्तविक बजट	अंतर अधिक (+)/ कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य का कुल प्राप्त कर	वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत (कुल कर)
2006-07	704.44	706.81	(+) 2.37	(+) 0.34	5045.70	14.00
2007-08	840.00	843.10	(+) 3.10	(+) 0.37	5618.10	15.00
2008-09	950.00	964.10	(+) 14.10	(+) 1.48	6593.72	14.62
2009-10	1158.00	1187.72	(+) 29.72	(+) 2.57	7123.25	16.67
2010-11	1390.00	1506.44	(+) 116.44	(+) 8.38	9005.14	16.73

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि 2006-07 से 2010-11 के मध्य वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से अधिक रही एवं 2010-11 में प्राप्तियों में बहुत वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रोसेस फीस के अधिक संग्रहण तथा मदिरा के अधिक विक्रय के कारण आबकारी शुल्क के अधिक संग्रहण के कारण हुई। यह स्पष्ट इंगित करता है कि, विभाग ने बजट तैयार करते समय सभी कारक को ध्यान में नहीं रखा, परिणामस्वरूप बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतर रहा।

4.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2011 की स्थिति में राजस्व बकाया ₹ 25.30 करोड़ था। जिसमें ₹ 23.07 करोड़ पिछले पांच वर्षों से अधिक लंबित थे। निम्न तालिका में अवधि 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजस्व बकाया स्थिति को दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक बकाया का शेष	वर्ष के दौरान की गयी मांग	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	अंतिम बकाया शेष
2006-07	23.07	0.01	0.29	22.79
2007-08	22.79	0.21	0.18	22.82
2008-09	22.82	0.49	0.05	23.26
2009-10	23.26	2.42	0.08	25.60
2010-11	25.60	0.37	0.67	25.30

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि, बकाया राजस्व की तुलना में वसूली बहुत कम हुई।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन अधिनियम के अंतर्गत, बकाया की वसूली हेतु प्रमाण पत्र प्रक्रिया (आर आर सी) के माध्यम से उचित कदम उठाये।

4.5 संग्रहण की लागत

राज्य आबकारी से संबंधित सकल प्राप्तियों के संग्रहण पर हुआ व्यय, कुल संग्रहण पर वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में हुये व्यय का प्रतिशत तथा संग्रहण पर व्यय का तथा संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशत नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

प्राप्ति का शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण प्राप्ति पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष का संकल संग्रहण एवं व्यय का औसत प्रतिशत
राज्य आबकारी मुख्यशीर्ष 0039	2008-09	964.10	26.30	2.73	3.27
	2009-10	1187.72	35.35	2.98	3.66
	2010-11	1506.44	40.68	2.70	3.64

4.6 लेखा परीक्षा का प्रभाव

4.6.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति - पिछले पांच वर्षों में लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा शुल्क की अवसूली, अनुज्ञप्ति फीस की कम वसूली, शास्ती की अवसूली, मनोरंजन कर की अवसूली/कम वसूली के 3355 प्रकरणों में ₹ 102.45 करोड़ की राजस्व हानि को इंगित किया गया। इनमें से विभाग/शासन ने 2027 प्रकरणों में ₹ 31.99 करोड़ स्वीकार किया एवं ₹ 0.10 करोड़ की वसूली की, विस्तृत विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	निरीक्षित युनिटों की संख्या	आपत्ति की राशि		मान्य की गयी राशि		वसूल की गयी राशि	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2005-06	10	759	45.40	577	20.32	32	0.042
2006-07	3	194	3.81	145	0.76	-	-
2007-08	12	1143	18.74	912	0.54	55	0.038
2008-09	10	223	17.79	56	2.85	2	0.02
2009-10	16	1036	16.71	337	7.52	-	-
योग		3355	102.45	2027	31.99	89	0.10

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि पिछले पांच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों में केवल 0.31 प्रतिशत की वसूली की गयी जो की नगण्य है। शासन को चाहिए की वह बकाया राजस्व की वसूली हेतु ठोस प्रयास करें।

चर्चा के दौरान (सितम्बर 2011) शासन ने बताया की प्रकरणों में शीघ्र वसूली हेतु प्रयास किये जावेंगे।

4.6.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति:- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक में अनारोपण/अवनिर्धारण हानि के तथा शास्ती दर्शाकर आरोपण के ₹ 30.97 करोड़ के प्रकरण पाये गये। विभाग द्वारा ₹ 9.42 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकृत की गई,

जिसमें से ₹ 0.07 करोड़ की वसूली मार्च 2011 तक की गई, जो निम्न तालिका में दर्शायी गई है।

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	कुल मूल्य राशि	विभाग द्वारा स्वीकार राशि	मार्च 2011 तक वसूल गयी राशि
1	2004-05	10.25	0.11	0.04
2	2005-06	4.09	0.08	-
3	2006-07	-	-	-
4	2007-08	14.95	8.68	-
5	2008-09	1.20	0.07	0.03
6	2009-10	0.48	0.48	-
योग		30.97	9.42	0.07

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गये तथा मान्य किये प्रकरणों में विभाग द्वारा मात्र 0.74 प्रतिशत वसूली की गई जो कि नगण्य हैं।

4.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का उद्देश्य त्रुटियों को रोकने में एक सख्त तथा सुधारात्मक प्रभाव तथा गलतियों को बनाकर एवं बिना समय व्यर्थ किए समाधान सुनिश्चित कर एक सुधारक भूमिका का निर्वाह करना है। हालांकि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु एक संयुक्त निदेशक, वित्त तथा सहायक आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी का पद स्वीकृत है। किन्तु संयुक्त निदेशक निदेशक वित्त का पद रिक्त होने के कारण किसी भी कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा न ही नियत हुई और न ही की गई।

4.8 लेखा परीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य आबकारी विभाग के नौ कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच की। हमने 1332 प्रकरणों में ₹ 64.62 करोड़ राशि के शुल्क के असंग्रहण, शास्ति अनारोपण, अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली, मनोरंजन शुल्क के अनारोपण/ कम अनारोपण आदि पाया। प्रकरणों को मुख्यतः निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है -

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क का अनारोपण/ कम आरोपण	116	10.05
2.	भण्डागारों में स्परिट का न्यूनतम स्कध में विफल रहने पर शास्ती का अनारोपण	143	9.81
3.	अधिक हानि पर शुल्क का अनारोपण/असंग्रहण	987	12.13
4.	अन्य अनियमितताएं	86	32.63
योग		1332	64.62

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा 1084 प्रकरणों में सन्निहित ₹ 22.02 करोड़ के शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण, अनुज्ञप्ति फीस के अवनिर्धारण स्वीकार किया गया। विभाग ने ₹3.34 लाख वसूल किया जिसे लेखा परीक्षा ने पहले के वर्षों में इंगित किया था।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों में ₹2.47 करोड़ की राशि समाहित करते हुए कंडिकाओं में नीचे वर्णित है।

4.9 लेखापरीक्षा टिप्पणी

हमारे द्वारा जिला आबकारी कार्यालयों के आबकारी शुल्क, फीस एवं प्रभार के निर्धारण संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई। जिसमें कई प्रकार के हानि/ कम आरोपण/ अनारोपण एवं आबकारी शुल्क, फीस, प्रभार, शास्ति तथा आबकारी से संबंधित वस्तुओं की समाप्ति आदि, जो कि अधिनियम/ नियम वार्षिक आबकारी प्रणाली के अनुसार पालन न करने के कारण कई प्रकरण तथा अन्य प्रकरण जैसा की अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है, यह उदाहरणात्मक प्रकरण है। लेखा परीक्षा के नमूना जाँच पर आधारित है। आबकारी अधिकारियों द्वारा की गई इस प्रकार की अनियमितताये लेखापरीक्षा में इंगित की जाती है। यह अनियमितताये न केवल बनी रहती है बल्कि लेखा परीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। विभाग को आवश्यकता है कि, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

4.10 मद्यभण्डागारों में स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध रखने में विफल रहने पर शास्ति का अनारोपण

छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम के नियम 4(4) (क) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक भण्डारण भण्डारगार पर बोतलबंद देशी मदिरा का उतना न्यूनतम स्कंध रखेगा जो पूर्ववर्ती मास की पांच दिनों की खफत के समतुल्य हो। भण्डागार में न्यूनतम स्कंध रखने में विफल रहने पर कलेक्टर विहित न्यूनतम स्कंध से कम रखी गयी मात्रा पर ₹ 2/- प्रति प्रूफ लीटर की अनधिक दर से अनुज्ञप्तिधारी पर शास्ती आरोपित कर सकेगा। यह शास्ती इस बात पर विचार किए बिना अधिरोपित की जावेगी कि इससे शासन को कोई हानि हुई है या नहीं।

चार¹ जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2010 से नवम्बर 2010) में हमने पाया कि 1124 अवसरों पर, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विहित न्यूनतम मात्रा 804.07 करोड़ प्रूफ लीटर² के विरुद्ध 802.91 करोड़ प्रूफ लीटर बोतलबंद देशी मदिरा का स्कंध रखा गया। अतः 1.16 करोड़ प्रूफ लीटर स्कंध कम रखा गया जिस पर अनुज्ञप्तिधारियों पर ₹ 2.32 करोड़ की शास्ति आरोपणीय थी। तथापि विभाग ने न तो अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया और न ही शास्ति का आरोपण किया। परिणामतः ₹ 2.32 करोड़ शास्ति का अनारोपण हुआ।

¹ कोरिया,जांजगीर चांपा, धमतरी एवं रायपुर

² प्रूफ लीटर - प्रूफ लीटर, बोतलों में बंद मदिरा की तेजी के अनुसार अल्कोहल की मानक माप हैं।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि जांजगीर एवं कोरिया जिले में कलेक्टर ने शास्ति के आरोपण हेतु आदेश पारित किया हैं, रायपुर जिले के संबंध में बताया कि प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा धमतरी जिले के संबंध में यह बताया गया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कलेक्टर के शास्ति के आरोपण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त, राज्य आबकारी के समक्ष अपील की हैं।

4.11 बोटल बंद देशी मदिरा के परिवहन में छीजन

छत्तीसगढ़. देशी मदिरा नियम के नियम 10 (क) (i) के अनुसार बोटलबंद देशी मदिरा के छीजन की मात्रा सीमा: यदि विनिर्माण भण्डागार एवं भण्डारण भण्डागार एक ही जिले में हैं, 0.1 प्रतिशत है। तथा, यदि विनिर्माण भण्डागार एवं भण्डारण भण्डागार पृथक जिलों में हैं तो 0.25 प्रतिशत हैं, पुनः नियम 10(अ)(3) के अनुसार, यदि छीजन मान्य सीमा से अधिक हैं, तो अधिक छीजन की मात्रा पर 48 प्रति प्रूफ लीटर की दर से विहित शुल्क अनुज्ञप्तिधारी से वसूल किया जावेगा।

जिला आबकारी अधिकारी, धमतरी के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2010) में हमने पाया कि अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के मध्य विनिर्माण भण्डागार से भण्डारण भण्डागार को 15.00 लाख प्रूफ लीटर देशी मदिरा भेजी गई जिसमें से 14.82 लाख प्रूफ लीटर की प्राप्ति हुई छीजन की मान्य सीमा 3751.31 प्रूफ लीटर के विरुद्ध 14848.90 प्रूफ लीटर की अधिक छीजन हुई, परिणामतः 14848.90 प्रूफ लीटर की आधिक्य छीजन को मान्य किया गया जिस पर ₹ 7.12 लाख का आबकारी शुल्क आरोपणीय

था। इसके बाद भी जिला आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञप्तिधारी को न तो कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया और न ही शास्ति का आरोपण किया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने टिप्पणी को स्वीकारते हुए सूचित किया (सितम्बर 2011) कि अनुज्ञप्तिधारी ने कलेक्टर के ₹ 7.12 लाख की शास्ति आरोपण के आदेश के विरुद्ध आयुक्त, राज्य आबकारी के समक्ष अपील की हैं।

4.12 गलत दर से अनुज्ञप्ति शुल्क का आरोपण

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 (2 जे) तथा इसके अंतर्गत जारी निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क नियत की:-

परिधि	वर्ष		
	2008-09	2009-10	2010-11
क्षेत्र जहाँ जनसंख्या एक लाख से कम हैं।	4 लाख	6 लाख	6 लाख
क्षेत्र जहाँ जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से कम हैं।	6 लाख	8 लाख	8 लाख

जिला आबकारी अधिकारी, अंबिकापुर के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि अंबिकापुर की जनसंख्या एक लाख से कम मानते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने 4/2008 से 3/2010 की अवधि हेतु दो अनुज्ञप्तिधारियों पर वर्ष 2008-09 हेतु ₹ 4 लाख एवं 2009-10 एवं

2010-11 हेतु ₹ 6 लाख की दर से ₹20.00 लाख का अनुज्ञप्ति शुल्क आरोपित किया, किन्तु दिनांक 12/03/2003 को जारी निर्देशानुसार राज्य शासन ने नगर पालिका, अम्बिकापुर का गठन किया, चूँकि, जिन शहरों की जनसंख्या एक लाख से अधिक होती हैं, उन्हीं को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जाता है, अतः अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में ₹ 28.00 लाख का आरोपण किया जाना चाहिये था। परिणामतः ₹8.00 लाख की हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर, शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार अम्बिकापुर की जनसंख्या 95,823 है और, तदनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गई अनुज्ञप्ति शुल्क सही है।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि शासन के निर्देश दिनांक 12.03.2003 के अनुसार नगर परिषद के स्थान पर नगर पालिका, अम्बिकापुर का गठन किया गया तथा दिनांक 28.02.2003 को जारी निर्देशानुसार: वह क्षेत्र जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, उन्हीं को नगर पालिका घोषित किया जा सकता है। यह शासकीय विभागों के मध्य सामंजस्य की कमी दिखाता है।

5.1 प्रस्तावना

समस्त भूमि, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिये उपयोजित की जाती हो और चाहे वह कहीं भी स्थित हो, राज्य सरकार को राजस्व भुगतान के लिये दायित्वाधीन हैं सिवाय ऐसी भूमि के जिसे राज्य सरकार के विशेष अनुदान या राज्य सरकार के साथ की गयी संविदा द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के उपबंधों के अधीन ऐसे दायित्व से पूर्णतः छूट दे दी गयी हैं। ऐसा राजस्व भू-राजस्व कहलाता है और उस शब्द के अंतर्गत भूमि के लिये राज्य सरकार को देय समस्त धन है, भले ही ऐसे धन किसी अधिनियम, नियम संविदा या विलेख में प्रीमियम, लगान, पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक के रूप में या किसी अन्य रूप में वर्णित किये जावें। बंदोबस्त के समय निर्धारित दरों के अनुसार कृषि भूमि पर भू-राजस्व लगाया जाता है। जब कृषि भूमि को आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित की जाती है, परिवर्तित लगान और प्रब्याजि का निर्धारण उप-संभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। राज्य में स्थायी/अस्थायी पट्टों पर आबंटित नजूल/शासकीय भूमि पर नजूल भाटक, प्रब्याजि और ब्याज आरोपित की जाती है। भूमि विकास कर, ग्रामीण विकास कर, अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकरण का आरोपण एवं संग्रहण विभाग द्वारा किया जाता है। पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि के भू-राजस्व पर पंचायत उपकरण का भी आरोपण किया जाता है। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959, राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं समय-समय पर जारी कार्यपालिक निर्देशों के प्रावधानों के अधीन, दण्ड, शास्ति, प्रक्रिया फी एवं ब्याज का आरोपण किया जाता है।

5.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर राजस्व विभाग, प्रमुख सचिव के अधीन होता है। इनकी सहायता के लिये आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू-अभिलेख (आ.व भू-अभि.) तथा चार संभागीय आयुक्त होते हैं, संभागों के अंतर्गत सभी जिलों के उपर संभागीय आयुक्त, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण का कार्य करते हैं। प्रत्येक जिले में, विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर प्रशासन करता है। जिले में एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या उप-संभागों के प्रभारी या डिप्टी कलेक्टर रखना जिले के कलेक्टर पर निर्भर करता है। इस प्रकार उपसंभाग में पदस्थ प्रभारी अधिकारियों को उपसंभागीय अधिकारी कहा जाता है। ये कलेक्टर की ऐसी शास्तियों का जो राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा निर्देशित हैं, उपयोग करते हैं। अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (अधी/सहा.अधी भू-अभि.) की पदस्थापना कलेक्टर में बंदोबस्त व राजस्व अभिलेखों के संधारण हेतु की जाती है। उपसंभागीय न्यायाधीश (एस.डी.एम.) तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार को तहसील में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में रखा जाता है। राज्य में चार राजस्व संभाग जिसमें प्रत्येक संभागीय आयुक्त द्वारा, संचालित 18 जिले जिसमें प्रत्येक कलेक्टर द्वारा संचालित एवं 149 तहसीलें हैं।

5.3 बजट तैयारी का विश्लेषण

छत्तीसगढ़ बजट मेनुअल के अनुसार बजट तैयार किया गया। बजट प्रक्रियायें उपबंध करती हैं कि प्राप्तियों के अनुमानों में वर्ष में सृजित होने वाली अपेक्षित राशियों को दर्शाया जाना चाहिये। राजस्व के आंकलन करते समय गणना पिछली वर्षों के देय अवशेषों को शामिलकर वास्तविक मांग और वर्ष के दौरान उनकी वसूली की संभावनाओं पर आधारित होना चाहिये। नियंत्रण अधिकारी को एकीकरण हेतु, वर्ष के दौरान प्राप्तियों की जानकारी द्वारा संबंधित फील्ड अधिकारियों से प्राप्त बजट प्रस्तावों की जांच करना एवं अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करना अपेक्षित होता है। वित्त विभाग राजस्व विभाग से चर्चा करने के बाद बजट को अनुमोदित करता है।

5.4 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006-2007 से 2010-2011 के दौरान भू-राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों का अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन आधिक्य(+)/ कमी (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर - भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर प्राप्तियों की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2006-07	73.86	60.86	(-) 13.00	(-)17.60	5045.70	1.20
2007-08	96.76	88.12	(-)8.64	(-)8.93	5618.10	1.57
2008-09	100.00	359.50	(+)259.5	(+)259.5	6593.72	5.45
2009-10	120.36	159.69	(+)39.33	(+)32.68	7123.25	2.24
2010-11	170.00	247.37	(+)77.37	(+)45.51	9005.14	2.75

(स्रोत - वित्तीय लेख 2010-2011)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य की कुल कर राजस्व की तुलना में भू-राजस्व प्राप्तियाँ 1.20 और 5.45 प्रतिशत के सीमा में थी। उपरोक्त तालिका से यह अवलोकित हो सकता है कि जब वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से 259.50 प्रतिशत, 32.68 प्रतिशत, 45.51 प्रतिशत वर्ष 2008-09, 2009-2010 एवं 2010-2011 में क्रमशः बढ़ी, लेकिन वहीं बजट अनुमानों से 18 प्रतिशत व 9 प्रतिशत वर्ष 2006-2007 व 2007-2008 में क्रमशः कम थी भारी विचलन के मुख्य कारण भू-राजस्व एवं अन्य प्राप्तियों की वर्ष 2008-2009 के दौरान अधिक वसूली थी। इसी प्रकार भू-राजस्व अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर और पंचायत उपकर के अवशेषों की वर्ष 2010-2011 के दौरान अधिक वसूली के कारण थे। यह भी पाया कि वर्ष 2006-2007 के दौरान अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर और पंचायत उपकर के राजस्व की कम वसूली हुयी थी।

5.5 राजस्व बकाया का विश्लेषण

अवधि 2006-2007 से 2010-2011 तक के दौरान राजस्व अवशेषों का विवरण नीचे बताया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्व शेष	वर्ष में जारी की गयी मांग	वर्ष में वसूल की गयी राशि	बकाया का अंत शेष
2006-07	10.16	30.54	26.01	14.69
2007-08	14.69	35.80	40.97	9.52
2008-09	9.52	37.75	35.42	11.85
2009-10	11.85	56.06	30.54	37.37
2010-11	37.37	115.88	114.95	38.30

(स्रोत - कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वसूलत 45 और 81 प्रतिशत के सीमा में थी यद्यपि विभाग ने राजस्व की पर्याप्त वसूली की, लेकिन राशि ₹ 38.30 करोड़ फिर भी वसूली हेतु मार्च 2011 में बकाया थी।

लेखा परीक्षा का प्रभाव

5.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले पाँच वर्षों में लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 10593 प्रकरणों में, प्रक्रिया फीस, प्रब्याजि, शास्ति आदि की अवसूली जिसमें राजस्व ₹ 122.68 करोड़ सन्निहित, को इंगित किया गया है इनमें से 8566 प्रकरणों में ₹ 99.13 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ विभाग/शासन, स्वीकार कर चुका था। लेकिन वसूली केवल ₹ 0.12 करोड़ की थी विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार की गई राशि		वसूल की गई राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2006-07	16	219	931.13	201	539.13	2	0.85
2007-08	24	2721	2570.00	2700	2516.00	1	0.36
2008-09	24	3616	6023.00	2566	4147.92	2	4.96
2009-10	20	4037	2744.00	3099	2710.00	360	5.77
योग	84	10593	12,268.13	8566	9913.05	365	11.94

यद्यपि, समीक्षा अवधि के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा इंगित राजस्व वसूली ₹ 99.13 करोड़ को विभाग ने स्वीकार किया लेकिन वसूली केवल एक प्रतिशत से कम की हुयी (₹ 0.12 करोड़) यह इंगित करती है कि शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभाग द्वारा स्वीकार्य राशि की वसूली करने को, प्रभावकारी कदमों की शुरुआत करके कोई प्राथमिकता नहीं दी।

शासन, राजस्व हित में, कम से कम विभाग द्वारा स्वीकार्य प्रकरणों में वसूलीयाँ करने हेतु शीघ्र एवं प्रभावी कदमों को उठाने हेतु विभाग को निर्देशित करने पर विचार कर सकता हैं।

5.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

अवधि 2007-2008 से 2009-2010 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, उपकर, प्रक्रिया फीस, प्रिमियम और शास्ति के अवनिर्धारण के प्रकरणों जिनमें ₹ 3.01 करोड़ सन्निहित को दर्शाया गया। विभाग द्वारा ₹ 0.65 करोड़ की आपत्तियाँ स्वीकार की और ₹ 0.05 करोड़ की वसूली मार्च 2011 तक की जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया है।

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा का वर्ष	कुल राशि	स्वीकार की गई राशि	मार्च 2011 तक कुल वसूली राशि
2007-08	0.07	-	-
2008-09	2.23	-	0.05
2009-10	0.71	0.65	-
योग	3.01	0.65	0.05

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित की गयी और विभाग द्वारा स्वीकार्य राशि की वसूली बाबत कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये। विभाग में वसूली हेतु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये अनुसार कदम उठाने चाहिये।

5.7.1 लेखापरीक्षा का परिणाम

हमने भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित एक सम्पादन समीक्षा "भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण" पर अवधि अप्रैल 2011 से जून 2011 तक के दौरान संचालित किया। यह राजस्व के अनिर्धारण/ अवनिर्धारण और मांग सृजित न करने आदि संबंधी अनेक कमियों जिसमें ₹ 10.86 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित को प्रकट करता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलिब्धियों को प्रमुखता से नीचे बताया गया है।

5.8 "भू-राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हमने भू-राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण संबंधित अभिलेखों का अप्रैल 2011 से जून 2011 तक के दौरान नमूना जांच की। यह भू-राजस्व के अनिर्धारण/ अवनिर्धारण और मांग सृजित न करने आदि संबंधी अनेक कमियाँ जिनमें ₹ 10.86 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, को प्रकट करता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :

- हमने पाया कि यद्यपि 36 स्थायी पट्टा विलेखों को कलेक्टर दुर्ग द्वारा अंतिम रूप दिया गया, इन पट्टा विलेखों का निष्पादन किया गया लेकिन पंजीयन नहीं किया गया।

(कंडिका 5.8.7)

- चार कलेक्टर और छह तहसीलों में, यद्यपि विभाग ने राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के संदर्भ में ₹ 24.76 करोड़ की वसूली की जिस पर वसूली योग्य प्रक्रिया व्यय ₹ 74.27 लाख की वसूली संबंधित तहसीलदारों द्वारा नहीं की गयी।

(कंडिका 5.8.8)

- छह जिलों के संबंधित एस.डी.ओ./कलेक्टरों द्वारा भाटक दरों के पुनरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव शासन को दस वर्षों की अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं भेजे गये थे धमतरी को छोड़कर जिसमें तीन वर्षों से अधिक व्यतीत होने के बाद प्रस्ताव भेजे गये थे।

(कंडिका 5.8.9)

- अप्रैल 2006 और मार्च 2011 के मध्य 642 प्रकरणों में प्रब्याजि ₹ 2.60 करोड़ पर पंचायत उपकर ₹ 1.30 करोड़ का निर्धारण एवं आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 5.8.10)

- हमने दस कार्यालयों में पाया कि परवीक्षण प्रणाली के अभाव में पुनरीक्षण हेतु अपेक्षित 1843 स्थायी पट्टों का पुनरीक्षण नहीं होने के परिणाम स्वरूप नजूल भाटक ₹ 62.79 लाख की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.8.11)

- हमने कार्यालय कलेक्टर दुर्ग में पाया कि 186 पट्टों में से 8 प्रकरणों में भाटक राशि ₹ 3.73 लाख का भुगतान पट्टाधारी द्वारा 1987 से नहीं किया गया। आगे कोरबा में नजूल अधिकारी द्वारा 32 प्रकरणों में ₹ 90.66 लाख की मांग सृजित नहीं की गयी थी।

(कंडिका 5.8.11.1)

- जगदलपुर में, 19286 वर्गफुट भूमि नगर निगम जगदलपुर को मार्च 2003 में हस्तांतरित की गयी जिस पर प्रिमियम और भू-भाटक क्रमशः ₹ 94.09 लाख एवं ₹ 7.05 लाख का आरोपण/वसूली कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया।

(कंडिका 5.8.11.2)

- हमने देखा कि तहसीलदार द्वारा अवधि जुलाई 2004 से अप्रैल 2010 के दौरान 377 प्रकरणों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को खाली कराने हेतु कोई कार्यवाही

नहीं की। इसके अलावा, अप्राधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा अवधि हेतु ₹ 60.18 लाख की शास्ति का आरोपण नहीं किया था।

(कंडिका 5.8.14)

- हमने देखा कि कलेक्टर दुर्ग ने 122 प्रकरणों में पूर्वपुनरीक्षित दरों से परिवर्तित भूमि की कीमत का निर्धारण करने के फलस्वरूप व्यपवर्तन लगान ₹ 7.85 लाख का कम निर्धारण हुआ इसके अलावा उप संभागीय अधिकारी, जांजगीर और दो तहसीलदारों द्वारा व्यपवर्तन लगान एवं प्रिमियम ₹ 89.14 लाख की मांग सृजित नहीं की गयी।

(कंडिका 5.8.15 एवं 5.8.16)

- नगर निगम महासमुन्द और सूरजपुर एवं कृषि उपजमंडी, चांपा से प्रिमियम व भू-भाटक ₹ 86.73 लाख की अवसूली। इसके अलावा विलम्बित भुगतान पर ब्याज के ₹ 1.60 करोड़ आरोपणीय थी।

(कंडिका 5.8.17)

- अवधि 2006-07 से 2010-11 तक के दौरान, व्यपवर्तन लगान, पट्टा किराया और अन्य भू-राजस्व पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर का आरोपण नहीं करने के परिणामस्वरूप छह कलेक्टर और नौ तहसीलों में ₹ 1.02 करोड़ की शासकीय राजस्व की अप्राप्ति।

(कंडिका 5.8.18)

- भूमि के आवंटन में स्कूल को अनावश्यक पक्षपात करने से प्रिमियम व भू-भाटक राशि ₹ 54.87 लाख का कम आरोपण।

(कंडिका 5.8.19)

5.8.1 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यपध्दति

भू-राजस्व संहिता के अधीन, भाटक, प्रिमियम फीस और शास्तियों के निर्धारण और संग्रहण की पध्दति और प्रक्रियाओं की दक्षता एवं प्रभावकारिता के मूल्यांकन करने की दृष्टि से हमने कलेक्टर, एस डी ओ, तहसीलदारों के अभिलेखों, संभागीय आयुक्तों और आयुक्त भू-राजस्व एवं बंदोबस्त की अवधि 2006-2007 से 2010-2011 तक की संग्रहित जानकारियों की जांच की। इकाईयों का चयन उनमें उच्च व न्यून राजस्व संग्रहण आधार पर यादृच्छिक नमूना आधारित पध्दति से किया गया। समीक्षा में 18 में से 10 कलेक्टर और 149 तहसीलों में से 28 तहसीलदार कार्यालयों को सम्मिलित करते हुये फरवरी 2011 और जुलाई 2011 के मध्य संचालित की गयी। लेखापरीक्षा कार्यपध्दति में अवधि 2006-07 से 2010-11 तक के दौरान चयनित इकाईयों द्वारा सृजित मांग की संवीक्षा शामिल थी।

5.8.2 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

विभाग जैसा कि नीचे दर्शाये अधिनियमों, परिपत्रों, संहिता आदि का अनुसरण करता है।

- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (छ.ग.भू-राजस्व संहिता), 1959
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी) खंड I से VI
- छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम, 2005

- छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, 1993
- छत्तीसगढ़ लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 एवं नियम 1988

5.8.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

सम्पादन लेखापरीक्षा इस दृष्टि से संचालित किया गया कि -

- अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप, भू-राजस्व, प्रब्याजि/भू-भाटक, व्यपवर्तन लगान, शास्ति एवं उपकर के निर्धारण आरोपण तथा संग्रहण के लिये प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना ।
- सुनिश्चित करना कि एक समुचित एवं प्रभावशील प्रणाली, समय से भाटक /उपकर का संग्रहण तथा उनकी खजाने/बैंकों में प्रेषित सुनिश्चित करने हेतु विद्यमान है ।
- सुनिश्चित करना कि एक प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी और वह उपकर एवं भू-भाटक के समय से निर्धारण एवं वसूली हेतु दक्षतापूर्वक कार्यशील थी ।

5.8.4 अभि-स्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक जानकारियाँ और अभिलेखों को लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराने के सहयोग को स्वीकार करता है । लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यपद्धति पर विभाग के प्रमुख सचिव से दिनांक 10.06.2011 को एक प्रवेश सम्मेलन में चर्चा हुयी । सम्पादन प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को अगस्त 2011 में अग्रेषित किया गया ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष अक्टूबर 2011 में हुये बहिर्गमन सम्मेलन में चर्चा हुई । शासन की तरफ से प्रमुख सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया । लेखापरीक्षा संकथन सभी प्रकरणों में अधिकांशतः स्वीकार्य किया और कमियों को सुधार करने हेतु कार्यवाही और हमारे द्वारा इंगित राशियों की वसूली का आश्वासन दिया । बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान प्राप्त उत्तरों और समय के अन्य बिन्दुओं पर संबंधित कंडिकाओं में उचित टिप्पणियाँ दी गयी ।

लेखापरीक्षा की उपलब्धियाँ

सम्पादन लेखापरीक्षा द्वारा प्रणालीगत एवं अनुपालन की कई कमियाँ को प्रकट किया जिसका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

प्रणालीगत कमियाँ

5.8.5 आंतरिक लेखा परीक्षा

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र का जीवाधार अंग होता है, फिर भी, विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है । आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अभाव में विभाग अवशेषों की वसूली, नियमित मांग सृजित करना, प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण के सुधार आदि हेतु प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने में असफल रहा है ।

शासन उचित एवं समय से राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने हेतु विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना हेतु विचार कर सकती है।

5.8.6 विभागीय मेनुअल तैयार न करना

विभाग/शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी वर्गों के कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और कार्यों के विस्तृत विवरण सहित कोई विभागीय मेनुअल भू-राजस्व विभाग में नहीं था। इस मेनुअल के अभाव में विभिन्न जांच और शेषों को जानने बाबत जिसे विभाग के विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा करों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण आदि को उपयोग में लाने को सुनिश्चित नहीं कर सके और यह आंकड़ों के छलयोजन में, शासकीय धन के घोखाधड़ी में, शासकीय प्राप्ति के गलत वर्गीकरण करने में, अवशेषों की वसूली के नियंत्रण में कमी और नियमित मांग सृजित करने, आदि को असफल करने में सुविधा देता है।

5.8.7 पट्टा विलेखों का अपंजीयन

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड IV (1) की कंडिका 28, नजूल भूमि आवंटन के बाद उचित समय सीमा के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन एवं पंजीयन करने का उपबंध करती हैं। और, 12 माह से अधिक अवधि हेतु पट्टा विलेख, पंजीयन अधिनियम 1908 के अधीन अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य दस्तावेज हैं। तथापि, राजस्व पुस्तक परिपत्र या छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में पट्टा विलेख के निष्पादन और उसके पंजीयन हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

नजूल कार्यालय (कलेक्टर दुर्ग) में संधारित पट्टा पंजी से अवधि अप्रैल 2006 से सितम्बर 2010 तक के मध्य हमने पाया कि 36 स्थायी पट्टा विलेखों का निष्पादन हुआ था तथापि पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन फीस के रूप में ₹ 20.50 लाख तक की राजस्व की अप्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, नजूल अधिकारी ने उत्तर दिया कि पट्टाधारी को पट्टा विलेखों के

पंजीयन निष्पादन करने हेतु पत्र जारी किये जा चुके हैं।

पट्टों के क्रियान्वयन करने के पूर्व पट्टा विलेखों का निष्पादन आवश्यक करने हेतु अधिनियमों में प्रावधान बनाने पर तथा, तत्संबंधी नियम/अधिनियम में भी प्रावधान करने पर शासन विचार कर सकता है।

5.8.8 परवीक्षण प्रणाली की कमी के कारण प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ लोकधन (शोध राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता और उसके अधीन बने नियमों अनुसार प्रक्रिया व्यय मूल राशि का तीन प्रतिशत दर से आरोपणीय है।

चार¹ कलेक्टर और छह² तहसीलों के राजस्व वसूली प्रकरण पंजियों (2005-06 और 2010-11 के मध्य) की हमारे

¹ अम्बिकापुर, जगदलपुर, जांजगीर, महासमुन्द

² बालोद (दुर्ग), धमतरी, गुरू (दुर्ग), खरसिया (रायगढ़), पाटन (दुर्ग), रायगढ़

द्वारा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 24.76 करोड़ बैंक और अन्य विभागों के आर.आर.सी के विरुद्ध वसूली हुयी जिस पर प्रक्रिया व्यय ₹ 74.27 लाख वसूली योग्य थे की संबंधित तहसीलदारों ने वसूली नहीं की। विभाग ने प्रक्रिया व्यय की वसूली का परवीक्षण नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप प्रक्रिया व्यय ₹ 74.27 लाख की अप्राप्ति हुई ।

प्रक्रिया व्यय की सही एवं समय से वसूली पर परवीक्षण करने के क्रम में यह उपयुक्त हैं कि कलेक्टर तहसीलदारों से प्रक्रिया व्यय की देयता एवं उसको वास्तविक रूप से संग्रहित की गयी राशि समावेश करने वाला एक मासिक पत्रक प्राप्त करें ।

यह अनुशंसा की जाती है कि प्रक्रिया व्यय की समय से वसूली पर परवीक्षण हेतु एक मासिक विवरणी निर्धारित करने पर शासन विचार कर सकता है ।

5.8.9 व्यपवर्तन लगान की दरों का अपुनरीक्षण

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 97 तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों अनुसार कलेक्टर, राज्य शासन के अनुमोदन से धारा 98 के उपबंधों के अनुसार निर्धारण की मानक दर कृषि भिन्न भूमि की दशा में प्रति एक सौ वर्ग फीट भूमि के हिसाब से तथा कृषि भूमि की दशा में प्रति एकड़ भूमि के हिसाब से नियत करेगा। और इस प्रकार मानक दरें ऐसी रीति से प्रकाशित की जावेगी जैसी कि विहित की जायें। यह दरें व्यपवर्तन दरें कहीं जाती हैं। ऐसी प्रकाशित दरें 10 वर्ष तक प्रभावशील रहेंगी।

हमने एस.डी.ओ. के अभिलेखों का अवलोकन कर पाया कि 862 प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान की दरें जो 2004-2005 और 2007-2008 के मध्य पुनरीक्षण हेतु अपेक्षित थी लेकिन एस.डी.ओ. द्वारा इनको पुनरीक्षण हेतु

नहीं उठाया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं ।

स. क्र.	जिले का नाम	प्रकरणों की संख्या	पुराने दरों की तिथि	नये दरों की देय तिथि	भेजें या न भेजे जाने का प्रस्ताव	प्रस्ताव के अनुमोदन की प्राप्ति हुई या नहीं हुई
1	बिलासपुर	493	03.07.98	03.10.08	नहीं भेजा	आवश्यक नहीं
2	धमतरी	174	05.01.94	05.04.04	20.02.08	प्राप्त नहीं
3	महासमुन्द	111	20.01.98	20.01.08	नहीं भेजा	आवश्यक नहीं
4	रायगढ़	1	09.09.98	09.09.08	नहीं भेजा	आवश्यक नहीं
5	रायपुर	1	03.07.98	03.07.08	नहीं भेजा	आवश्यक नहीं
6	सराईपाली (महासमुन्द)	82	20.01.98	20.01.08	नहीं भेजा	आवश्यक नहीं
योग		862				

उक्त तालिका से यह स्पष्ट हैं कि दस वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी पुनरीक्षण हेतु कोई प्रस्ताव संबंधित एस.डी.ओ./कलेक्टर द्वारा शासन को नहीं भेजे गये थे धमतरी को छोड़कर जिसमें प्रस्ताव तीन वर्ष से अधिक व्यतीत होने के बाद भेजे गये । हमने आगे पाया कि किसी भी स्तर पर इस दृष्टिकोण की देख-रेख नहीं की गयी । इस प्रकार, परवीक्षण की

कमी के परिणामस्वरूप शासन द्वारा व्यपवर्तन लगान की दरों के पुनरीक्षण में विलंब के फलस्वरूप राजस्व की हानि हुयी ।

हमारे द्वारा इसको इंगित किये जाने के बाद, एस.डी.ओं. ने उत्तर दिया कि व्यपवर्तन लगान की दरों के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

तत्संबंधी नियमों/अधिनियम में निर्धारित अवधि पश्चात् दरों के स्वतः पुनरीक्षण का प्रावधान बनाने और मानदण्ड/मापदण्ड जिस पर दरों का पुनरीक्षण होना चाहिये के निर्धारण पर शासन विचार कर सकता है ।

अनुपालन संबंधी कमियाँ

5.8.10 ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रिमियम पर पंचायत उपकर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58(2) के अनुसार शब्द भू-राजस्व के अंतर्गत भूमि के लिये राज्य सरकार को प्रिमियम, भू- भाटक, पट्टाधन, प्रमुक्ति भाटक आदि के रूप में देय समस्त धन आते हैं । आगे, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 74, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, प्रत्येक राजस्व वर्ष में विशिष्ट दरों से पंचायत उपकर आरोपण हेतु उपबंध करती है । इस प्रकार पंचायत उपकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में संग्रहित व्यपवर्तन लगान के साथ-साथ प्रिमियम पर भी आरोपणीय हैं चूँकि प्रिमियम भी छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 58 (2) के अनुसार भू-राजस्व हैं ।

हमने 11³ एस.डी.ओं के व्यपवर्तन संबंधी अभिलेखों (अप्रैल 2006 से मार्च 2011) अवलोकन में पाया कि अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक के मध्य निर्णित ग्राम पंचायत क्षेत्र के व्यपवर्तन के 642 प्रकरणों में प्रिमियम ₹ 2.60 करोड़ पर पंचायत उपकर ₹ 1.30 करोड़ का निर्धारण एवं आरोपण नहीं हुआ था । कलेक्टर कार्यालय द्वारा वार्षिक निरीक्षण करने के बावजूद भी एस.डी. ओ. द्वारा अनिर्धारण के प्रकरण का पता नहीं कर सकें । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.30 करोड़ का पंचायत उपकर का आरोपण नहीं हुआ ।

हमारे यह इंगित किये जाने के बाद, एस.डी.ओं. जांजगीर और चांपा

(जांजगीर) ने उत्तर दिया कि भू-राजस्व संहिता की धारा 58(ए) के अनुसार इस भूमि के प्रिमियम पर भू-राजस्व के भुगतान की छूट हैं ।

एस.डी.ओं. का उत्तर सही नहीं था, क्योंकि, धारा 58(ए) के अनुसार छूट उन भूमियों पर दी जावेगी जो पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिये अनन्यरूपेण कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये गये अलाभप्रद खातों की है । इस प्रकरण में भूमियाँ कृषि भिन्न उद्देश्य की थी इस प्रकार पंचायत उपकर आरोपणीय था । एस.डी.ओं. दुर्ग ने बताया कि पंचायत

³ अम्बिकापुर, चांपा, (जांजगीर) दुर्ग, जांजगीर, कटघोरा (कोरबा) कोरबा, रायपुर, राजपुर (अम्बिकापुर) सक्ति (जांजगीर) सीतापुर सूरजपुर (अम्बिकापुर)

अधिनियम 1993 की धारा 74 के अनुसार प्रब्याजि पर पंचायत उपकर के आरोपण हेतु कोई प्रावधान नहीं है। एस.डी.ओ. दुर्ग का उत्तर गलत था चूँकि प्रब्याजि एवं व्यपवर्तन लगान भू-राजस्व हैं। तथापि शेष एस.डी.ओ. ने उत्तर दिया कि नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5.8.11 नजूल भूमि के स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न होना

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(1) की कंडिका 35 के अनुसार, नजूल अधिकारी नजूल पट्टों के नवीनीकरण हेतु जिम्मेदार हैं और यदि पट्टा विलेख के नवीनीकरण हेतु पट्टाधारी अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो पट्टा निरस्त माना जावेगा (कंडिका 28 रा.पु.परि) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(1) के अनुसार नगरीय क्षेत्र में पट्टे पर धारित नजूल भू-खण्ड पर देय भाटक पुनरीक्षण हेतु अपेक्षित समझा जावेगा जब पट्टा नवीनीकरण हेतु अपेक्षित होता है।

हमने 10⁴ नजूल अधिकारियों के पट्टा पंजी का अवलोकन कर पाया कि 1843 स्थायी पट्टे 30 वर्ष के लिये स्वीकृत जो अवधि 1960-61 से 2010-11 तक के दौरान नवीनीकरण हेतु अपेक्षित थे। तथापि, ये प्रकरण नजूल अधिकारी द्वारा नवीनीकरण हेतु नहीं उठाये गये। इन प्रकरणों में से कुछ नीचे दर्शाये गये हैं।

- छत्तीसगढ़ प्रदर्शक (सत्यंम टाकीज) बिलासपुर पट्टा दिनांक 30.06.1960 को नवीनीकरण हेतु अपेक्षित था,
- बद्री सिंह (चन्द्रिका लॉज) बिलासपुर पट्टा दिनांक 31.03.1990 को नवीनीकरण हेतु अपेक्षित था।

हमने अवलोकित किया कि यद्यपि नजूल अधिकारी, पट्टा पंजीयों को संधारित कर रहें थे लेकिन पंजीयों का नियमित परवीक्षण द्वारा नवीनीकरण हेतु अपेक्षित पट्टा प्रकरणों पर सघन निगरानी/परवीक्षण नहीं किया गया। पट्टों का निरस्तीकरण हेतु कोई सूचना पत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस प्रकार पट्टों के अनवीनीकरण के परिणामस्वरूप इन प्रकरणों में नजूल भाटक ₹ 62.79 लाख तक की अप्राप्ति हुयी।

हमारे द्वारा यह इंगित किये जाने के बाद नजूल अधिकारियों ने कहा कि प्रकरणों की संवीक्षा करने के बाद पट्टों के नवीनीकरण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

⁴ अम्बिकापुर, बिलासपुर भाटापारा (रायपुर), चांपा (जांजगीर) दुर्ग, जगदलपुर महासुन्द, रायगढ़ सीतापुर सूरजपुर (अम्बिकापुर)

5.8.11.1 नजूल भूमियों में पट्टा किराया की वसूली न होना

छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 39 क्रमांक 1 के अनुसार स्थायी पट्टा धारको की मांग और वसूली पंजी फार्म ओ में शहरी सर्वेयर द्वारा तैयार की जायेगी। नजूल किराया की वसूली हेतु प्रक्रिया तहसीलदार द्वारा प्रत्येक वर्ष पूरा होने के बाद प्रारम्भ की जावेगी। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड IV की कंडिका 38 के अनुसार नजूल अधिकारी को पट्टा किराया का एक मासिक पत्रक संबंधित तहसीलदार को, कलेक्टर को आगे सम्प्रेषण हेतु भेजना अपेक्षित होता है।

कलेक्टर दुर्ग के नजूल कार्यालय में नजूल भूमि की मांग एवं वसूली पंजी (अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक के दौरान) से पाया कि 186 पट्टा प्रकरण 1982 से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित थे। इनमें से 133 प्रकरणों में किराये को अंतिम रूप देने हेतु सचिव मध्यप्रदेश शासन के पास 1982 से 2001 तक लंबित थे। 52 प्रकरणों में पट्टे स्वीकृति थे लेकिन नजूल भाटक केवल नौ प्रकरणों में वसूल हुआ था। उनमें शेष 43

प्रकरणों में से आठ प्रकरणों की जांच की गयी जिसमें नजूल भाटक राशि ₹ 3.73 लाख 1987 से वसूल नहीं हुये थे। एक प्रकरण सिविल न्यायालय दुर्ग में लंबित होना बताया। आगे कोरबा में यह पाया कि नजूल अधिकारी ने 32 प्रकरणों में पट्टा किराया राशि ₹ 90.66 लाख की मांग सृजित नहीं की थी।

यद्यपि कलेक्टर कार्यालय द्वारा विवरणियाँ अभिलेखित की जा रही थी लेकिन अवशेषों की वसूली हेतु कोई निर्देश जारी होना नहीं पाया गया। इसके अलावा मध्यप्रदेश राज्य अलग बनने के बाद, मध्यप्रदेश शासन से प्रकरणों को वापस प्राप्त न करने के कारण जो अभिलेखों में नहीं पाये थे लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त तथ्य इंगित करते हैं कि यद्यपि राजस्व की वसूली की परवीक्षण हेतु पद्धति विद्यमान हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं किया गया।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित करने के बाद, नजूल अधिकारी ने बताया (जून 2011) कि पट्टा किराये की वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी।

5.8.11.2 शहरी स्थानीय संस्थाओं को नजूल भूमि पर भू-भाटक और प्रब्याजि का अनारोपण

राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(1) की कंडिका 26 के अंतर्गत रियायती सारिणी की प्रविष्टि क्रं. 10 के अनुसार, नजूल भूमि नगर निगम को भूमि के बाजार मूल्य पर प्रिमियम के 50 प्रतिशत और भू-राजस्व प्रिमियम का 5 प्रतिशत दर से रिहायसी प्रयोजन हेतु और 7.5 प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजन हेतु के भुगतान पर आवंटित की जा सकती हैं। किराया प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर या पूर्व में वसूली योग्य हैं।

हमने कलेक्टर कार्यालय जगदलपुर के नजूल अभिलेखों से पाया कि 19286 वर्गफुट भूमि मार्च 2003 में नगर निगम जगदलपुर को हस्तांतरित की गयी थी, इसमें से 13151 वर्गफुट भूमि व्यावसायिक प्रयोजन हेतु थी। इसके होते हुये प्रिमियम व भू-भाटक क्रमशः ₹ 94.09 लाख व ₹ 7.05 लाख का आरोपण एवं संग्रहण नहीं किया गया।

हमारे यह इंगित किये जाने पर नजूल अधिकारी जगदलपुर ने

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और आयुक्त नगर निगम जगदलपुर को भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर राशि ₹ 1.01 करोड़ जमा करने हेतु निर्देश जारी किये।

5.8.12 शासकीय प्राप्तिओं का गलत जमा करना

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र के उपबंधों अनुसार भू-राजस्व की सभी प्राप्तियाँ जैसे भू-राजस्व कर और अन्य विविध प्राप्तियाँ (प्रिमियम भू-भाटक एवं शास्ति व दण्ड आदि) मुख्यशीर्ष 0029 भू-राजस्व के अंतर्गत जमा की जानी चाहिये।

कलेक्टर जगदलपुर की राजस्व शाखा⁵ और जगदलपुर तहसील कार्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को अवलोकित किया कि संबंधित तहसील कार्यालयों द्वारा सितम्बर 2003 से अप्रैल 2011 तक में प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान और उपकर बाबत् राशि ₹ 16.53 लाख की वसूली की जो राज्य की समेकित निधि में जमा नहीं की थी लेकिन संबंधित तहसील कार्यालयों ने गलत तरीके से पंचायती निधि में प्रेषण किया। धन को

शासकीय लेखों से बाहर रखना वित्तीय नियमों के विपरीत था और फलतः उस सीमा तक शासकीय राजस्व का कम आकलन हुआ।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित करने पर, नजूल अधिकारी और तहसीलदार (जगदलपुर) ने बताया कि मामले की जांच होगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा।

⁵ तहसील कार्यालय एवं जगदलपुर से प्राप्त व्यपवर्तन प्रकरण पंजी से

5.8.13 भूमि धारक द्वारा व्यपवर्तन लगान कम जमा करना

छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड एक भाग दो की कंडिका 7 व 14 के अनुसार प्रत्येक तहसीलदार को फार्म ए-5 व सी-3 में एक मासिक तौजी (वसूली विवरण पत्रक) तैयार कर और वसूली पर निगरानी रखने हेतु कलेक्टर कार्यालय को अग्रेषित करना चाहिये।

हमारी कलेक्टर (व्यपवर्तन) रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच प्रकट करती है कि एक व्यपवर्तन प्रकरण में ₹ 2.22 लाख का मांग सूचना पत्र माह अप्रैल 2010 में जारी किया गया था जिसके विरुद्ध भूमि स्वामी ने मात्र ₹ 21819 चालान क्र 611 दिनांक 22.04.2010 द्वारा जमा किये और भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गयी चालान प्रतिलिपि के आधार पर एस. डी.ओ. द्वारा

पार्टी के पक्ष में अप्रैल 2010 में व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी किया। इस प्रकार देय व्यपवर्तन भाटक की वसूली के बिना सत्यापन के व्यपवर्तन प्रमाण पत्र जारी करने से राशि ₹ दो लाख के व्यपवर्तन लगान की कम वसूली को दर्शाता है। उपरोक्त भाटक की कम वसूली को टाला जा सकता था यदि एस.डी. ओ. भूमि स्वामी द्वारा वास्तविक भुगतान राशि का सत्यापन मांग सूचना पत्र से प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व करते।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार करते समय भूमिधारक को अंतर की राशि ₹ दो लाख को जमा करने के लिये कहा। आगे, यह सितम्बर 2011 में अवगत कराया कि भूमि धारक द्वारा धन जमा कर दिया था। एस.डी.ओ. रायपुर ने बताया कि जाँच में गलती होने के कारण ऐसा हुआ।

5.8.14 भूमि के अप्राधिकृत रूप से कब्जा रखने पर शास्ति/ दण्ड का अनारोपण

छत्तीसगढ़, भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो कि अप्राधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा रखता है, तहसीलदार के आदेश द्वारा पूर्णतः खाली कराया जा सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति, तहसीलदार के विवेकानुसार, भूमि का लगान विहित दर का दुगुनी दर से और अप्राधिकृत रूप से कब्जा अवधि हेतु विहित दर से शास्ति के भुगतान हेतु दायी है। (रु 20 प्रतिदिन)

हमने अवलोकन किया कि तीन⁶ तहसीलों में अवधि जुलाई 2004 से अप्रैल 2010 तक के दौरान शासकीय भूमिपर अतिक्रमण के 377 प्रकरणों को संबंधित तहसीलदारों के ध्यान में लाया गया था। यद्यपि ये अतिक्रमण तहसीलदार के संज्ञान में थे, लेकिन शासकीय भूमि के खाली कराने हेतु कोई

कार्यवाही संबंधित तहसीलदारों के द्वारा नहीं की गयी जो कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता

⁶ चांपा (जांजगीर), जांजगीर एवं सरायपाली (महासमुन्द)

की धारा 248 के अधीन अपेक्षित थी। इसके अलावा, शासकीय भूमि के अप्राधिकृति रूप से कब्जा हेतु शास्ति ₹ 60.18 लाख का आरोपण नहीं किया गया। हमारे यह इंगित किये जाने के बाद तहसीलदार ने लेखापरीक्षा आक्षेप स्वीकार किया और उत्तर दिया कि नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5.8.15 व्यपवर्तन लगान का कम निर्धारण

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 59 (2) के अनुसार जहां कोई भूमि जिस पर किसी एक प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी जाने के हेतु निर्धारण किया गया हो, किसी अन्य प्रयोजन के लिये परवर्तित कर दी जावें वहाँ ऐसी भूमि पर देय भू-राजस्व उस प्रयोजन के अनुसार परवर्तित एवं व्यपवर्तन दिनांक से शासन द्वारा समय समय पर नियत/विहित दरें जैसा कि गजट में उपलब्ध हो में प्रचलित दरों से निर्धारण किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 10.03.2006 द्वारा व्यपवर्तन की दरें पुनरीक्षित की गयी थी।

कलेक्टर दुर्ग के अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक के अभिलेखों की हमारे द्वारा नमूना जांच प्रकट करती हैं कि 122 प्रकरण (2006-2007) जिनमें 1.98 हेक्टेयर भूमि व्यपवर्तन की गयी और व्यपवर्तन की कीमत पूर्व पुनरीक्षित दरों के आधार पर ₹ 0.40 लाख निर्धारित की गयी जबकि छत्तीसगढ़ शासन गजट अधिसूचना दिनांक 10.03.2006 द्वारा दरों का पूर्व में ही पुनरीक्षण कर चुका था। भूमि की पुनरीक्षित दरों के अनुसार व्यपवर्तन कीमत ₹ 0.40 लाख के स्थान पर ₹ 1.96 लाख परगणित होनी चाहिये थी। इस

प्रकार पुनरीक्षित दरों के उपयोग न करने में एस.डी.ओ.की असफलता से पाँच वर्षों में (2006-11) व्यपवर्तन लगान के विरुद्ध ₹ 7.85 लाख का कम निर्धारण प्रदर्शित हुआ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद, एस.डी.ओ.ने उत्तर दिया कि पुनरीक्षित दरों हेतु अधिसूचना विभाग से दिनांक 01.10.2007 को प्राप्त हुयी थी इस प्रकार विभाग द्वारा गजट अधिसूचना के परिचालित करने में देरी और पुनरीक्षित आदेशों के प्राप्त न करने के परिणामस्वरूप व्यपवर्तन लगान का कम निर्धारण हुआ।

5.8.16 व्यपवर्तन लगान, प्रिमियम व दण्ड की मांग सृजित न करना

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 58 व 59 और राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 14 के अनुसार जब भूमि कोई अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित होती हैं, राजस्व अधिकारी फार्म - वी -1 भूमि धारक वार खतौनी जिसमें वर्ष के दौरान निर्धारित किये गये व्यपवर्तित प्रकरणों का विवरण रहता हैं, प्रस्तावित करेगा तथा इसे तहसीलदार को अपने अभिलेख अद्यतन करने और व्यपवर्तन लगान एवं प्रब्याजि की वसूली के लिये अग्रेषित करेंगे।

र मंगली बिलासपुर

कलेक्टर जांजगीर और दो तहसीलों के व्यपवर्तन अनुभाग के अभिलेखों की हमारी नमूना जांच प्रकट करती हैं कि व्यपवर्तन लगान और प्रिमियम ₹ 89.14 लाख की मांग संबंधित एस. डी. ओ. द्वारा सृजित नहीं

की थी इसके विवरण निम्नतालिका में दिये हैं ।

(₹लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम	मांग सृजित न करने की अवधि	मदो की सम्मिलित संख्या	सम्मिलित राशि
1	तहसीलदार मुंगौली	2008-09 से 2010-11	238	4.23
2	कलेक्टर जांजगीर	2010-2011	536	66.96
3	तहसीलदार बिलासपुर	2009-10 से 2010-11	429	17.95
योग			1203	89.14

हमारे इंगित किये जाने के बाद, एस डी ओ/ तहसीलदार ने बताया कि प्रकरणों के सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी ।

5.8.17 प्रब्याजि एवं भू-भाटक और ब्याज की अवसूली

राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4 (1) के प्रावधानों और शासन द्वारा जारी निर्देशों (दिसम्बर 1991) के अनुसार पट्टाधारी को आवंटित नजूल भूमि पर अनुमानित प्रिमियम और भू-भाटक अनुबंधित अवधि में भुगतान करना आवश्यक हैं इसमें असफल होने पर विलम्बित भुगतानों पर ब्याज 12 से 18 प्रतिशत सीमा में वार्षिक दर से आरोपणीय हैं ।

हमारे द्वारा अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रदर्शित करती हैं कि नजूल कार्यालय महासमुंद और दो⁸ तहसीलों के तीन स्थानीय संस्थाओं को 1987-88 से 1999-2000 के बीच नजूल भूमि निर्धारित प्रिमियम ₹ 63.48 लाख एवं वार्षिक भू-भाटक ₹ 57.89 लाख पर आवंटित की गयी । इसमें से प्रिमियम ₹ 15.00 लाख की वसूली हुयी तथा भू-भाटक की ₹ 19.64 लाख की वसूली हुयी, इस प्रकार प्रिमियम और भू-भाटक

राशि ₹ 86.73 लाख अदत्त रही इसके अतिरिक्त ब्याज 12 से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से आरोपणीय थी जो ₹ 1.60 करोड़ परगणित होती हैं, जिसका विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया हैं ।

⁸ चांपा (जांजगीर) सूरजपुर (अम्बिकापुर)

(₹ लाख में)

स. क्र.	कार्यालय का नाम	स्थानीय संस्थाओं का विवरण जिनको भूमि हस्तांतरित की	वसूली योग्य राशि		वसूली राशि	बकाया राशि
1	कलेक्ट्रेट महासमुन्द	नगर निगम महासमुन्द (दुकानें) 23140 वर्गफुट भूमि प्रिमियम - ₹ 46.17 भाटक - ₹ 3.46 प्रतिवर्ष 24.06.2000 से	प्रिमियम	46.17	15.00	31.17
			भाटक	34.63	0.00	34.63
			ब्याज	117.17	0.00	117.17
			योग	197.97	15.00	182.97
2	तहसील चांपा	कृषि उपज मंडी चांपा 17.08 एकड़ प्रिमियम ₹ 3.46 भाटक ₹ 0.10 प्रतिवर्ष 1987-88 से	प्रिमियम	3.46	0.00	3.46
			भाटक	2.49	0.00	2.49
			ब्याज	14.62	0.00	14.62
			योग	20.57	0.00	20.57
3	तहसील सूरजपुर (अम्बिकापुर)	नगर निगम सूरजपुर, बस स्टैंड 3.95 एकड़ प्रिमियम ₹ 13.85 भाटक ₹ 2.08 प्रतिवर्ष 23.05.2000 से	प्रिमियम	13.85	0.00	13.85
			भाटक	20.77	19.64	1.13
			ब्याज	27.76	0.00	27.76
			योग	62.38	19.64	42.74
कुल योग			280.92	34.64	246.28	

इस प्रकार नजूल अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ न करना और प्रिमियम व भू-भाटक की वसूली बाबत कलेक्टर के परवीक्षण की कमी के परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 2.46 करोड़ की वसूली नहीं हुयी ।

हमारे यह इंगित करने के बाद नजूल अधिकारी महासमुन्द ने बताया कि वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी जबकि तहसीलदार ने बताया कि प्रिमियम और भू-भाटक की वसूली हेतु प्रक्रिया प्रगति में हैं और ब्याज के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

5.8.18 अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर का अनारोपण

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर अधिनियम 2005 की अनुसूची दो के अनुसार, ऐसी भूमि जिस पर भू-राजस्व या भू-भाटक संग्रहित होता है उस भूमि पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर दर 5 प्रतिशत प्रत्येक के हिसाब से आरोपणीय हैं इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार (दिसम्बर 2005) कलेक्टर उपरोक्त उपकर के संग्रहण हेतु जिम्मेदार होगा।

छह⁹ कलेक्टर एवं नौ¹⁰ तहसीलों के अभिलेखों की हमारे द्वारा नमूना जांच ने प्रकट किया कि अवधि 2006-2007 से 2010-11 के दौरान व्यपवर्तन लागन, पट्टा भाटक और अन्य भू-राजस्व पर संबंधित तहसीलदारों/एसडीओ द्वारा अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर का न तो आरोपण किया

और न ही उसका संग्रहण किया, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं अधिसूचना के प्रावधान की अवहेलना की गयी। यह अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर राशि ₹ 1.02 करोड़ का अनारोपण प्रदर्शित करता है।

हमारे यह इंगित किये जाने के बाद नजूल अधिकारी ने उत्तर दिया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

5.8.18.1 अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की कम वसूली

तहसीलदार रायपुर के व्यपवर्तन अभिलेखों की हमारी नमूना जांच से प्रदर्शित हुआ कि अवधि 2006-2007 से 2010-11 के दौरान व्यपवर्तन लगान राशि ₹ 3.74 करोड़ की वसूली हुयी जिस पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर दर 5 प्रतिशत प्रत्येक के हिसाब से ₹ 37.37 लाख आरोपणीय थे। इसके विरुद्ध, तहसीलदार ने केवल ₹ 13.09 लाख संग्रहित किये परिणामस्वरूप उपकर राशि ₹ 24.28 लाख की कम वसूली हुयी।

इंगित किये जाने पर, तहसीलदार रायपुर ने लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार कर बताया कि शेष उपकर की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।

⁹ अम्बिकापुर, जांजगीर, जगदलपुर, कोरबा रायगढ़, रायपुर

¹⁰ चांपा (जांजगीर), गुरू (दुर्ग), जांजगीर, कटघोरा (कोरबा), खरसिया (रायगढ़), मुंगेली (बिलासपुर), सारगढ़ (रायगढ़), सरायपाली (महासमुन्द), सक्ति(जांजगीर)

5.8.19 शिक्षण संस्था को अनावश्यक पक्षपात करना

राजस्व पुस्तक परिपत्र 4 (1) की कंडिका 26 जो जनवरी 1992 में संसोधित (दि. 01.01.1992) के अनुसार, आवंटित भूमि की कीमत का 50 प्रतिशत दर से प्रिमियम, जो कि सम्पत्तियों की प्रचलित गाइड लाइन में दर्शायी दरों या शासन की पुनरीक्षित न्यूनतम दरों अनुसार जो भी अधिक हो के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को आवंटित भूमि पर परगणित होगा। इसके अलावा, भूमि भाटक इस प्रकार निर्धारित प्रिमियम के दो प्रतिशत वार्षिक दर से आरोपणीय होगा।

कलेक्टर दुर्ग (नजूल) के अवधि अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक के अभिलेखों की हमारी नमूना जांच ने प्रकट किया कि 87,120 वर्गफुट भूमि सितम्बर 2008 में के.डी पब्लिक स्कूल को आवंटित की गयी थी और भूमि का ₹ 1.04 करोड़ मूल्य था। रा. पु. परि. के नियमों के अनुसार भूमि की कीमत का 50 प्रतिशत दर से प्रिमियम की राशि ₹ 52.26 लाख और प्रिमियम का 2 प्रतिशत दर से भू-भाटक ₹ 10.45 लाख (10 वर्षों हेतु)

आरोपण योग्य था जिसके विरुद्ध कलेक्टर ने प्रिमियम राशि ₹ 5.23 लाख एवं भू-भाटक ₹ 2.61 लाख का आरोपण एवं संग्रहण किया। कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर प्रिमियम और भू-भाटक का आरोपण करने के परिणामस्वरूप प्रिमियम और भू-भाटक क्रमशः राशि ₹ 47.03 लाख और ₹ 7.84 लाख का कम आरोपण हुआ ।

यह इंगित किये जाने के बाद नजूल अधिकारी ने उत्तर दिया कि शासन के आदेशानुसार प्रिमियम और भू-भाटक की दर निश्चित की गयी थी । तथापि हमारी सवीक्षा प्रदर्शित करती हैं कि अन्य तीन स्कूलों को भूमि आवंटित की थी जिनमें कलेक्टर ने प्रिमियम और भू-भाटक का आरोपण विहित दरों से किया था । स्कूल के केवल एक प्रकरण में प्रिमियम और भू-भाटक की विहित दरों से आरोपण न करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया । भूमि के आवंटन में एक स्कूल को पक्षपात करने से प्रिमियम और भू-भाटक की राशि ₹ 54.87 लाख का कम आरोपण प्रदर्शित होता है । मामला जुलाई 2011 में शासन को प्रेषित किया गया जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2011) ।

5.8.20 निष्कर्ष

हमने देखा कि राज्य में भू-राजस्व के आरोपण और संग्रहण हेतु प्रणाली में कमियाँ थी। कलेक्टर कार्यालयों में उपयुक्त परवीक्षण प्रणाली के अभाव तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के कार्यान्वयन में कमियों के कारण भू-राजस्व की प्रचुर मात्रा में हानि हुयी थी। संस्वीकृतियाँ के जारी होने के बाद, पट्टा विलेख, निष्पादन, प्रिमियम और भाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रियाँ शुरुआत करने हेतु अधिनियम/नियमों में कोई समय सीमा निर्धारित न होने की कमी के कारण राजस्व की भारी राशि की अवसूली रही। प्रिमियम, भाटक, उपकर, ब्याज और दण्ड, पट्टों का अनवीनीकरण आदि की कम एवं अवसूली थी। राजस्व उचित लेखाशीर्ष में जमा नहीं किया गया था और कलेक्टर व तहसीलों में तौजियों के संधारण पर बहुत कम ध्यान दिया गया। विभाग में एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गयी।

5.8.21 अनुशंसाओं का संक्षेप

शासन निम्नलिखित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर विचार कर सकता है :

- स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ करना, और इन आपत्तियों के उपचार उपाय करने हेतु समय सीमा निर्धारित करना;
- भू-राजस्व को उचित लेखाशीर्ष में जमा करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने पर विचार;
- ग्राम पंचायत क्षेत्र में संग्रहित प्रिमियम पर पंचायत उपकर के आरोपण हेतु निर्देश जारी करना;
- अधिनियमों/नियमों में, वसूली की कार्यवाही प्रक्रियायें प्रारम्भ करने, पट्टा विलेखों के निष्पादन हेतु समयसीमा का समावेश करने और संस्वीकृतियों के समय से निष्पादन में विफलता हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण करने पर विचार करना;
- समय वद्ध रीति से अवशेषों की वसूली हेतु निर्देश जारी करना;
- व्यपवर्तन लगान निर्धारण के प्रकरणों को तहसीलदार द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत मांग और संग्रहण के अभिलेखों से परस्पर संबंध करने हेतु प्रणाली का निर्धारण;
- उचित वसूली संबंधी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु और शासकीय लेखों में समय से जमा करने बाबत कलेक्टर व तहसीलदारों को आवश्यक निर्देश जारी करना;
- सभी प्रकार की भूमि, जिस पर भू-राजस्व या भाटक संग्रहित होता है पर अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर के आरोपण हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।

छठवां अध्याय - परिवहन विभाग

6.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रहणकर्ता विभागों में से एक है। राज्य में मोटरयान कर का आरोपण एवं संग्रहण छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991(अधिनियम) और समय-समय पर इसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अर्न्तगत किया जाता है। व्यापार कर के अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस अन्य फीस जैसे पंजीयन फीस, फिटनेस फीस और अनुज्ञा फीस, मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अर्न्तगत केन्द्रीय और राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार आरोपणीय है। समय पर करों के भुगतान न होने की स्थिति में निर्धारित दर से शास्ति और ब्याज भी आरोपणीय है।

गैर परिवहन यानों के प्रकरण में कर की प्राप्ति जीवनकाल कर के रूप में एकमुश्त और परिवहन यानों के प्रकरणों में अधिनियम के प्रावधानानुसार मासिक/त्रैमासिक रूप में किया जाता है।

6.2 बजट तैयारियों का विश्लेषण

छत्तीसगढ़ बजटरी मैनुअल के आधार पर बजट तैयार किया जाता है। बजट प्रक्रिया में प्राप्तियों का अनुमान वह मूल्य प्रदर्शित करता है जो उस वर्ष में वसूल होना संभावित है। मोटरयान कर के सन्दर्भ में वार्षिक बजट अनुमान की तैयारी, वर्ष के अन्दर वाहनों के पंजीयन, कर के आरोपण, करो के विलम्ब पर शास्ति के भुगतान, फिटनेस फीस इत्यादि के रूप में कर एवं फीस से प्राप्त होने वाली राजस्व पर आधारित है।

राजस्व प्राप्तियों के अनुमान की गणना करते समय पिछले वर्षों के बकाया राजस्व एवं उनके वर्ष के दौरान वसूल होने की संभावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। परिवहन आयुक्त, ईकाइयों से प्राप्ति का विवरण प्राप्त कर उनका जाँच कर बजट अनुमान तैयार कर अंतिम रूप से मंजूरी हेतु वित्त विभाग को भेजते हैं। और वित्त विभाग बजट को मंजूर करता है।

6.3 राजस्व प्राप्ति का रूझान

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान परिवहन विभाग से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों उस अवधि में कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर कमी(-) अधिक (+)	अंतर का प्रतिशत (कॉलम 2 से 3)	राज्य की कुल प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों में वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2006-07	250.00	253.05	(+) 3.05	(+) 1.22	5045.70	5.01
2007-08	297.00	276.94	(-) 20.06	(-) 6.75	5618.10	4.93
2008-09	315.50	313.78	(-) 1.72	(-) 0.55	6593.72	4.76
2009-10	351.47	351.88	(+) 0.41	(+) 0.12	7123.25	4.94
2010-11	410.00	427.52	(+) 17.52	(+) 4.27	9005.14	4.75

हमने देखा कि यद्यपि वर्ष 2006-07, 2009-2010 और 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से क्रमशः 1.22, 0.12 और 4.27 प्रतिशत ज्यादा थी लेकिन बाद के वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में 6.75 से 0.55 प्रतिशत की कमी आई। उसी तरह राज्य के कुल कर प्राप्तियों में विभाग की कुल प्राप्तियाँ का प्रतिशत 4.75 से 5.01 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण नई वाहनों के पंजीयन में वृद्धि एवं जीवनकाल कर की दरों में वृद्धि था।

6.4 बकाया राजस्व की स्थिति

31 मार्च 2010 की स्थिति में ₹ 14.65 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 3.47 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था। वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक बकाया राजस्व का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष में सृजित मांग	वर्ष में प्राप्त राशि	बकाया का अंतशेष
2006-07	3.47	253.73	253.05	4.15
2007-08	4.15	276.77	277.00	3.92
2008-09	3.92	313.89	313.80	4.01
2009-10	4.01	356.41	351.85	8.57
2010-11	8.57	432.82	426.74	14.65

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान महालेखाकार द्वारा बकाया राजस्व एवं स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली बाबत प्रश्न किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं और स्थिति आगामी माहों में सूचित की जावेगी।

शासन को चाहिए कि बकाया की समय बद्ध वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें।

6.5 संग्रहण की लागत

मोटर यान कर का कुल संग्रहण, इन संग्रहणों पर किये गये व्यय और वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में अखिल भारतीय औसत से तुलना जो इनके संग्रहण पर हुआ है नीचे तालिका में दर्शित है :

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
मोटर यान कर	2008-09	313.78	13.12	4.18	2.58
	2009-10	351.00	10.00	2.85	2.93
	2010-11	427.52	7.93	1.85	3.07

6.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

6.6.1 : निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति : विगत पाँच वर्षों में, लेखा परीक्षा ने लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा मोटर यान कर की अवसूली, मोटर यान कर का अनारोपण

और राजस्व हानि के ₹ 39.01 करोड़ के 4656 प्रकरणों को इंगित किया था, जिसमें से विभाग/शासन ने ₹ 18.27 करोड़ के 3005 प्रकरणों को मान्य किया। विस्तृत विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि		वसूल की गई राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2005-06	6	852	2.99	852	2.99	142	0.37
2006-07	2	15	3.10	12	2.89	-	-
2007-08	7	1686	14.18	1051	7.61	-	-
2008-09	8	1758	11.89	746	3.89	-	-
2009-10	11	345	6.85	344	0.89	49	0.04
योग		4656	39.01	3005	18.27	191	0.41

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो रहा है कि, विभाग द्वारा विगत पाँच वर्षों में केवल 2.24 प्रतिशत की ही वसूली स्वीकार्य प्रकरणों में की गयी जो कि नगण्य है।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2011) शासन ने आश्वस्त किया कि प्रकरणों का परीक्षण कर वसूली के प्रयास किये जायेंगे।

हम शासन को यह सुझाव देते हैं कि स्वीकार्य प्रकरणों में राजस्व की त्वरित वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाने चाहिए।

6.6.2 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति: वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में ₹ 19.51 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, शास्ती से संबधित प्रकरण सूचित किये थे। विभाग ने इनमें से ₹ 10.87 करोड़ के प्रकरण स्वीकार कर ₹ 0.67 करोड़ की वसूली मार्च 2011 तक की है जो, निम्न तालिका में दर्शित है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि	मार्च 2011 तक वसूल की राशि
2005-06	2.11	-	-
2006-07	1.27	1.27	0.30
2007-08	6.69	3.58	-
2008-09	3.48	0.17	0.37
2009-10	5.96	5.85	-
योग	19.51	10.87	0.67

उपरिलिखित तालिका से यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाये गये स्वीकार्य प्रकरणों में 6.16 प्रतिशत की वसूली की गयी है। विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाये गये शेष रकम की वसूली हेतु कदम उठाये जाने चाहिए।

हम शासन को यह सुझाव देते हैं कि वे विभाग को यह निर्देश दें कि स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली हेतु कदम उठाये ।

6.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा किसी भी संगठन को निर्धारित प्रणाली के परिपालन की कोटि सुनिश्चित करता है । वर्ष के दौरान विभाग द्वारा 16 ईकाइयों लेखा परीक्षा हेतु चयनित की गयी जिसमे से केवल आठ की जाँच की गयी ।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए की आ.ले.प. खण्ड योजनान्दत ईकाइयों की जाँच करे और उनके टिप्पणियों के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करें जिससे कि नियमानुसार राजस्व का संग्रहण किया जा सके और राजस्व की सुरक्षा और त्रुटियों की भविष्य में पुनरावृद्धि की रोकथाम हो सके ।

6.8 लेखा परीक्षा के परिणाम

परिवहन विभाग के तीन ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में वर्ष 2010-11 के दौरान मोटरयान कर एवं शास्ति की अ/कम वसूली के राशि ₹ 3.25 करोड़ के 357 प्रकरण इंगित किये गये, जिन्हे मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ।

(₹ करोड. में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	"परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण " - निष्पादन लेखापरीक्षा	1	0.10
2.	व्यापार कर की कम वसूली	9	1.99
3.	कर एवं शास्ति की अवसूली	240	1.04
4.	अन्य अनियमितताएं	107	0.12
योग		357	3.25

वर्ष 2010-11 के दौरान विभाग ने 314 प्रकरणों में ₹ 1.08 करोड़ वाहन पर कर के अनारोपण राजस्व की हानि एवं अन्य कमियाँ को स्वीकार किया ।

"वाहन' एवं 'सारथी' साफ्टवेयर की सूचना प्राधौगिकी " निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 0.10 करोड़ के वित्तिय प्रभाव एवं ₹ 20.23 लाख के वित्तिय प्रभाव वाले कुछ प्रकरण दृष्टांत स्वरूप अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है ।

6.9 परिवहन विभाग का कम्प्यूटरीकरण

मुख्यांश

- हमने वाहन एवं सारथी का मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम टूल के रूप में आंशिक उपयोग पाया । अन्तर्राज्यीय परिवहन सहित परमिट प्रवर्तन/वाहन जाँच रिपोर्ट, अस्थाई पंजीयन मांग संग्रहण एवं शेष प्रपत्र, मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, कण्डक्टर लाइसेंस माड्यूल अभी तक प्रयोग में नहीं लाये गये ।

(कंडिका 6.9.10)

- हमने पाया कि डाटा वेस प्रशासन को नियन्त्रित करने के लिए विभागीय लोगों को दक्ष बनाने के प्रयास नहीं किये गये, डाटावेस प्रशासन को रा.सू.के. द्वारा नियन्त्रित किया जा रहा है ।

(कंडिका 6.9.13)

- साफ्टवेयर द्वारा गलत डाटा की इन्ट्री को अस्वीकार नहीं किया गया । हमने पाया कि 6,26,699 वाहनों के पंजीयन अभिलेखों में 7670 वाहन समान चेसिस नम्बर और इन्जन नम्बर रखते थे। क्षे.प. कार्यालय रायपुर में 138 प्रकरणों में दोहरे चेसिस नम्बर पाये गये जबकि क्षे.प. कार्यालय, बिलासपुर में एक प्रकरण में शून्य संख्या चेसिस नम्बर में दर्ज थी ।

(कंडिका 6.9.14)

- हमने देखा कि आपदा के समय विभागीय गतिविधियों को संचालित करने के लिए बिजनेस निरन्तरता एवं आपदा रिकवरी योजना विभाग के पास नहीं थी । यहाँ कोई केन्द्रीकृत डाटावेस, वैकअप, स्टैण्ड वाई सर्वर क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित नहीं थे। अतः डाटा हानि की अवस्था में विभाग के पास डाटा को पुर्नजीवित करने का कोई साधन नहीं है ।

(कंडिका 6.9.18)

- च्वाइस नम्बर में फीस के रूप में ₹ 1.87 लाख की कम वसूली हुई जिसे वाहन साफ्टवेयर भी चिन्हित करने में असफल रहा क्योंकि च्वाइस नम्बर के लिए कोई मास्टर डाटा नहीं बनाया गया था बावजूद इसके कि साफ्टवेयर में इस प्रकार की सुविधा थी ।

(कंडिका 6.9.22)

- तीन क्षे.प.अ. के रिकार्डों की नमूना जाँच में हमने पाया कि 3527 वाहनों के सन्दर्भ में परिवहन अधिकारियों द्वारा कर चुकता से सम्बन्धित डाटा वाहन साफ्टवेयर में NOC स्वीकार करते समय नहीं भरा गया ।

(कंडिका 6.9.25)

- हमने पाया कि वाहन साफ्टवेयर में कर की दरों को परिवर्तित करने का सिस्टम था परन्तु विभाग ने उसे अद्यतन नहीं किया । आगे जाँच में पाया गया कि 1443 वाहनों में जीवन काल कर ₹ 49.07 लाख किया जाना था, परन्तु क्षे.प.अ. ने केवल ₹ 40.94 लाख आरोपित और वसूल किये जिससे ₹ 8.13 लाख कम वसूली हुई ।

(कंडिका 6.9.26)

6.9.1 प्रस्तावना

मोटरयान अधिनियम 1988, राज्य सरकार को एक प्रभावी परिवहन जन प्रणाली, वाहनों के पंजीयन, चालन अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना, रोड परमिट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और मार्ग कर का संग्रहण करने की जिम्मेदारी देता है। राज्य परिवहन विभाग उपरोक्त गतिविधियों को प्रशासित और लागू करता है। इसे योजना निर्माण, समन्वय, लागू करना, संचालन और नियामक गतिविधि सभी परिवहन सम्बन्धित गतिविधियों और कर एवं फीस को संग्रहित करने के लिए परिवहन नियमों को प्रवर्तन करने की भी जिम्मेदारी है।

भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग ने सड़क परिवहन क्षेत्र में सूचना प्राधौगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय डाटा वेस बनाने की योजना शुरू की थी। योजना को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से लागू करना था और इसे इस हिसाब से बनाया गया था कि सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों से डाटा राज्य रजिस्टर में और बाद में राष्ट्रीय स्तर रखा जायेगा। रा.सू. के द्वारा इस उद्देश्य लिए दो साफ्टवेयर निर्मित किये वाहन, वाहनों के पंजीयन हेतु और सारथी अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु।

परिवहन विभाग ने इस परियोजना को पायलट आधार पर क्षे.प. कार्यालय, रायपुर में 2005 में शुरू किया गया और चरण बद तरीके से अन्य आर.टी.ओ. में पाँच साल बाद फरवरी 2011 तक लागू किया गया। इसी प्रकार सारथी परियोजना को क्षे. प. कार्यालय रायपुर में सितम्बर 2009 में पायलट आधार पर शुरू किया गया एवं अन्य क्षे.प. कार्यालयों में दिसम्बर 2010 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा किया गया। यद्यपि परिवहन कार्यालय कांकेर एवं दंतेवाड़ा में सारथी साफ्टवेयर स्थापित किये जा चुके थे किन्तु लेखापरीक्षा होने की तारीख तक उन्हें शुरू नहीं किया गया।

6.9.2 संगठनात्मक संरचना

यह विभाग, परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में है। इनकी सहायता हेतु मुख्यालय में एक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, एक सयुक्त परिवहन आयुक्त, एक सहायक परिवहन आयुक्त, एक उप संचालक (वित्त) पदस्थ है। इसके साथ ही परिवहन आयुक्त के प्रशासकीय नियंत्रण में तीन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.), तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (अ.क्षे.प.अ.), 10 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 15 जांच चौकी और दो उप जांच चौकी, नौ उडन दस्ते संबंधित क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के नियंत्रण में कार्यरत है।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (रा.सू.के.) (छत्तीसगढ़ ईकाई) वाहन और सारथी की लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

6.9.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या-

- 1) रा.सू.के. द्वारा निर्मित वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटराइजेशन के सम्बन्ध में समस्त उद्देश्य प्राप्त हो गये
- 2) राज्य के लिए वाहन एवं सारथी कार्यक्रम समय बद्ध तरीके से नियत समय पर पूर्ण हुए

- 3) राज्य द्वारा वाहनों के पंजीयन और चालक अनुज्ञप्ति के स्थानीय साफ्टवेयर विकसित और लागू किये गये - संरचना के हिसाब से वे वाहन एवं सारथी से किस हद तक भिन्न थे।
- 4) कम्प्यूटर प्रणाली, जो लागू की गयी थी, परिपूर्ण थी (माड्यूल के हिसाब) और परिवहन कार्यालयों में लिये जा रहे डाटा, सही और पूर्ण है।
- 5) राज्य रजिस्टर, के राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के लिए से.प.अधिकारियों के बीच में सम्बन्ध स्थापित थे और केन्द्रीय सर्वर उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए स्थपित थे।
- 6) कम्प्यूटराइज्ड राष्ट्रीय परमिट प्रणाली योजना के मुताबित लागू की गई और परियोजना के उद्देश्य प्राप्त हुए।
- 7) डाटा सुरक्षा और बैकअप की सुनिश्चित करने के लिए विश्वनीय सामान्य और सुरक्षा नियन्त्रण स्थापित थे और कम्प्यूटर प्रणाली के संचालन के लिए वर्णित उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन थे।
- 8) परियोजना को लागू करने की देखभाल के लिए मंत्रालय और राज्य दोनो स्तर पर आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था स्थापित थी।

6.9.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यवाही पद्धति

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा क्षेत्र में वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर को लागू करने एवं नियंत्रणों की जाँच जिसमें, वाहनो का पंजीयन एवं सहायक गतिविधियाँ, कर एवं फीस संग्रहण चालन अनुज्ञप्ति का जारी करना एवं सहायक गतिविधियाँ शामिल थी की प्रारम्भ से अक्टूबर 2011 तक समीक्षा की गई। परिवहन आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त तीन¹ क्षे.प. कार्यालय उनके कार्यानुसार चयनित किये गये। तीनों क्षे.प. कार्यालयों के डाटा परिवहन विभाग द्वारा डी.एम.पी. फाइलों के रूप में प्रदान किये गये जिन्हे माइक्रोसाफ्ट स्कसल एवं एस.क्यू.एल. के जरिये विश्लेषित किया गया।

6.9.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के लिए निम्नलिखित अधिनियम एवं नियमों के प्रवधानों को लिया गया

- मोटरयान अधिनियम - 1988
- केन्द्रीय मोटरयान नियम - 1989
- छत्तीसगढ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं उसके अर्न्तगत बनाये गये नियम
- छत्तीसगढ मोटरयान कराधान अधिनियम - 1994,

¹ अम्बिकापुर, बिलासपुर एवं रायपुर

6.9.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग का सहयोग अभिस्वीकृत करता है। 2 सितम्बर 2011 को विभाग के साथ एक प्रवेश्य मंत्रणा आयोजित की गयी जिसमें विभाग को लेखापरीक्षा का कार्यपद्धति एवं क्षेत्र की जानकारी दी गयी। राज्य शासन को निष्पादन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट 4 नवम्बर 2011 को प्रेषित की गयी। बर्हिगमन सम्मेलन 9 जनवरी 2012 को सचिव, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ के साथ किया गया जिसमें मुख्य लेखापरीक्षा खोजों की चर्चा हुई। विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं को आगे जाँच करने का भरोसा दिलाया। विभाग के उत्तर सम्बन्धित कंडिकाओं में युक्तिपूर्वक शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा की उपलब्धियाँ

योजना निर्माण, लागू करने एवं पर्यावरण नियन्त्रण में कमियाँ

6.9.7 योजना बनाने में कमियाँ

इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समुचित सूचना प्राथमिकी नीति एवं सुस्पष्ट कार्यआयोजना होनी चाहिए। परन्तु आज दिनांक तक कोई भी नीति या कार्यआयोजना विकसित नहीं की गई। विभाग के पास किसी भी एफ्लिकेशन के लिए यूजर रिक्वायर्ड स्पेशिफिकेशन नहीं था। एफ्लिकेशन सिस्टम के रखरखाव, परीक्षण एवं उनके परिणाम से सम्बन्धित पत्रक भी विभाग के पास नहीं थे। आगे प्रणाली में किये गये परिवर्तनों को भी अभिलेखित नहीं किया गया और वे एड-हाक तरीके से किये गये। यह भी देखा गया कि विभाग के पास सुस्पष्ट एवं अभिलेखित पासवर्ड योजना नहीं थी।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि वाहन एवं सारथी प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा शुरू किये गये थे एवं रा.सू.के. को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया था इसलिए राज्य शासन द्वारा कोई कार्य योजना नहीं बनायी जानी थी। तथपि सचिव ने कहा कि साफ्टवेयर से सम्बन्धित कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाये गये थे एवं सम्बन्धित क्षे.प.अ./अ.क्षे.प.अ./जि.प.अ. को सलाह दी गयी है कि वे पासवर्ड को नियमित अंतराल पर बदलें।

पर्यावरण नियन्त्रण

पर्यावरण नियन्त्रण को यह सुनिश्चित करना होता है कि परियोजना के संसाधन खतरे में न पड़ें। इसके लिए आवश्यक है कि जोखिम निर्धारण और सुरक्षात्मक साधन को परियोजना के शुरू होने से पहले ही ध्यान में लिया जाय। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि सिस्टम को प्रयोग में लाने से पहले विभाग ने नहीं किसी प्रकार का जोखिम निर्धारण किया और ना कोई सुरक्षात्मक साधन जैसे दूर भण्डारण, आपदा प्रबन्धन योजना व्यापार निरन्तरता योजना, को अमल में लाया।

6.9.8 फील्ड सरंचना में अंतर के कारण वाहन साफ्टवेयर में डाटा स्थानांतरण न होना

डाटा लिगसी वर्तमान में प्रयुक्त स्टोरेज में रिकार्ड सूचना होती है सिस्टम जिसमें डाटाबेस रिकार्ड, स्प्रेडशीट, टैक्स फाईल, स्केन इमेज एवं पेपर पत्रक शामिल हैं ये सभी डाटा फार्मेट को स्थानान्तरित कर नये सिस्टम में स्थापित किया जाना चाहिये । जिससे पूरे विभाग के लिए एक पूर्ण डाटाबेस स्थापित की जा सके ।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया, कि वाहन सॉफ्टवेयर के लागू करने से पहले विभागीय स्तर पर सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसका उपयोग वाहनों के पंजीयनों के लिये उपयोग किया जा रहा था । परन्तु वाहन सॉफ्टवेयर के लागू किये जाने पर दोनों साफ्टवेयर के फील्ड्स में समानता नहीं होने के कारण उनके पुराने साफ्टवेयर के डाटा को नये साफ्टवेयर में ट्रांसफर नहीं किया जा सका । इस डाटा को भी वाहन साफ्टवेयर में मैनुवली इंद्राज करना पड़ रहा है ।

बर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में सभी वैकलाग प्रविष्टी केवल वाहन साफ्टवेयर के माध्यम से की जावेगी ।

6.9.9 युजर मैनुवल नहीं दिया गया

किसी भी साफ्टवेयर के सही मार्ग दर्शन के लिए युजर मैनुवल बनाया जाना आवश्यक होता है । युजर मैनुवल द्वारा किसी साफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन के बारे में प्रारंभिक एवं विशेषज्ञ के रूप में जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया, वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर के लिये युजर मैनुअल नहीं था ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा यह जानकारी दिया गया, कि युजर मैनुवल तैयार कराकर समस्त कर्मचारियों को उपलब्ध किया जायेगा ।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि रा.सू.के. के पास वाहन साफ्टवेयर से सम्बन्धित यूजर मैनुअल है और उनके द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को क्षे.प. कार्यालयों में बाटने हेतु प्रदान की जावेगी तथापि सारथी साफ्टवेयर के लिए कोई मैनुअल नहीं है जिसके लिए रा.सू.के. से चर्चा की जायेगी ।

6.9.10 प्रणाली का आंशिक उपयोग

वाहन एवं सारथी साफ्टवेयर को वाहनों के पंजीयन चालन आनुज्ञप्ति से सम्बंधित समपूर्ण जानकारी को संयोजित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यद्धपि वर्तमान मे सिस्टम, वाहन पंजीयन, वाहन स्वामी, वाहन वर्णन, कर/फीस का संग्रहण और फिटनेस और चालक अनुज्ञप्ति के जारी करने से सम्बंधित जानकारी भी अधिग्रहित करता है तथापि निम्नलिखित माडयूल/रिपोर्ट को अभी भी प्रयोग में आना शेष है ।

- परमिट, अन्तरराज्यीय परिवहन परिचालन
- प्रवर्तन/वाहन जाँच रिपोर्ट
- अस्थाई पंजीयन

- मांग, सग्रहण और शेष विवरण
- सूचना प्रणाली प्रवन्धन रिपोर्ट
- कण्डक्टर लाइसेंस

अतः प्रणाली के आंशिक उपयोग के कारण विभाग वाहन और सारथी को मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम टूल्स के रूप में लाभ ले पाने में असफल रहा ।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में रा.सू.के. को सूचना दी है और नया वेंडर भविष्य में इन बातों को ध्यान रखेंगे ।

6.9.11 वाहन साफ्टवेयर का पुराना सस्करण

कार्यालय क्षे.प.अ. अम्बिकापुर में हमने देखा कि वाहन साफ्टवेयर 1.2.61 जिसे एन.आई.सी. ने नवीनतम उपलब्ध कराया था की जगह 1.2.48 सस्करण में प्रयोग में था। क्षे.प कार्यालय अम्बिकापुर में कोई रजिस्टर संधारित नहीं था जिसकी अनुपलब्धता से अद्यतन सस्करण के प्रयोग को नियन्त्रण करना कठिन था ।

बर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मुद्दे को रा.सू.के. के संज्ञान में लाकर साफ्टवेयर को अद्यतन किया जावेगा ।

6.9.12 हार्डवेयर का उपयोग नहीं होना

क्षे.प.अ. बिलासपुर की लेखापरीक्षा में हमने पाया कि चार कम्प्यूटर एक सर्वर और 25 डोगल अप्रयुक्त पड़े थे ।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि तकनीकी स्टाफ की कमी और जगह की कमी के कारण उपरोक्त को प्रयोग में नहीं लाया गया ।

बर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि सभी हार्डवेयर को जल्द से जल्द प्रयोग में लाया जावेगा ।

6.9.13 विभागीय तकनीकी दक्षता विकसित नहीं किये गये

विभाग में प्रारम्भ में दक्ष व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं होने से आई.टी. सिस्टम को लागू करने एवं प्रारम्भिक स्थापना उसमें सुधार हेतु बाहरी व्यक्तियों की मदद लिया गया था। वाहन साफ्टवेयर के माध्यम से डाटा कैंपचर करना कठिन है क्योंकि इसमें, वाहन स्वामी, बीमा विवरण, राजस्व विवरण और मांग वसूली और शेष से सम्बंधित विवरण शामिल होते हैं। यद्यपि विभागीय कर्मचारी, विभागीय काउंटरो से समस्त डाटा इन्ट्राज करते हैं तथापि डाटा बेस का प्रशासन रा.सू.के. के पास है ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग के किसी भी कर्मचारी को डाटाबेस प्रशासन में विशेषज्ञता के लिए प्रयास नहीं किये गये ।

बर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि पहले इसे सुनिश्चित करने के लिए रा.सू.के. सहायक प्रोग्रामर उपलब्ध कराता था और स्मार्ट कार्ड का नया वेंडर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगा क्योंकि रा.सू.के. ने क्षे.प. कार्यालयों से अपने तकनीकी अधिकारी हटा लिए हैं ।

डाटा की वैधता

6.9.14 डाटा वेस में गलत चेसिस नम्बर और इन्जिन नम्बर के डाटा का होना

केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के अनुसार वाहन के पंजीयन के समय इन्जन नम्बर और चेसिस नम्बर आवेदन पत्र पर अंकित होना चाहिए।

तीन क्षे.प. अधि. के पंजीयन डाटा वेस की नमूना जाँच में पाया गया कि -

- 6,26,699 पंजीयन रिकार्डों में से 7670 वाहनों में समान इन्जिन और चेसिस नम्बर थे
- जाँच किये गये सभी क्षे. प. कार्यालयों में चेसिस नम्बर में अन्त के तीन से छह संख्याएँ ही इन्द्राज की गयी थी
- क्षे.प.का रायपुर में 138 प्रकरणों में दोहरे चेसिस नम्बर पाये गये
- क्षे.प.का. बिलासपुर में एक प्रकरण में चेसिस नम्बर कालम में शून्य संख्या प्रदर्शित थी

वैध डाटा इन्द्राज नहीं किये जाने की जाँच की जानी चाहिए थी और साफ्टवेयर द्वारा इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि मैनुअल अभिलेखों की जाँच कर डाटा में सुधार किया जावेगा।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रकरण की पुनः समीक्षा की जावेगी और आवश्यक कदम उठाये जावेगे।

6.9.15 मुख्य क्षेत्रों में सही डाटा प्रविष्टि न करना

मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार कर का आरोपण, निजी यान, मोटर साइकिल के सन्दर्भ में विक्रय राशि, लदान रहित भार, यात्री वसो के सन्दर्भ में बैठक क्षमता एवं माल यान के सन्दर्भ में भार क्षमता पैरामीटर पर आधारित होता है।

जाँच किये गये सभी क्षे.प. कार्यालयों के डाटा वेस की नमूना जाँच में पाया गया कि कई रिकार्डों में कुछ महत्वपूर्ण फील्ड्स में शून्य संख्या दर्ज था।

- 79405 प्रकरणों में बिक्री राशि शून्य दर्शित थी
- 2413 प्रकरणों में क्रय दिनांक निरंक था
- निर्माण वर्ष 75 प्रकरणों में दो/तीन अंकों में गलत तरीके से इन्द्राज था

उपरोक्त मुख्य शीर्षों में वैध डाटा इन्द्राज न होना यह प्रदर्शित करता है कि इनपुट नियंत्रण में कमियाँ एवं पर्यवेक्षण का अभाव था ।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ. ने उत्तर दिया कि डाटा इन्द्राज के सही होने के सम्बन्ध में डाटा इन्ट्री आपरेटरों को निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि 'स्मार्ट कार्ड' परियोजना के आरम्भ होने के बाद वाहन डीलर के यहाँ ही पजीकृत होंगे और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने से पहले क्षे.प. कार्यालय द्वारा इसे क्रास चेक किया जावेगा ।

6.9.16 फिटनेस अवधि का गलत इन्द्राज होना

केन्द्रीय मोटर यान नियम (1989) के नियम 62(1)के अनुसार 'धारा 56 के अधीन नये परिवहन यान को जारी किये गये फिटनेस प्रमाण-पत्र की अवधि दो वर्ष की होगी'।

जाँच किये गये तीन क्षे.प. कार्यालयों की नमूना जाँच के हमने पाया गया कि 140 ऐसे परिवहन यान थे जिनकी वैधता अवधि गलत तरीके से 15 वर्ष दर्ज की गयी थी। यह के.मो. यान नियम 1989 का उल्लंघन है ।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ. ने उत्तर दिया कि यान वर्ग के गलत चयन के कारण फिटनेस अवधि 15 वर्ष प्रदर्शित कर रही थी ।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरान शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि विशेषज्ञता एवं तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण गलत डाटा इन्द्राज हुए। भविष्य में इनका ध्यान रखा जावेगा ।

6.9.17 सूचना प्राथमिकी परिसम्पत्ति की देखभाल न होना

सूचना प्राथमिकी परिसम्पत्तियों के प्रभावी प्रबन्धन, जिसमें बेहतर देखभाल और सुरक्षा शामिल है हेतु एक सू. प्रौ. रजिस्टर संधारित होना चाहिए । किन्तु लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षे.प. कार्यालय अम्बिकापुर एवं रायपुर में सू.प्रौ. रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा है ।

लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर क्षे.प. अधि. ने उत्तर दिया कि रजिस्टर का संधारण किया जावेगा ।

बर्हिगमन सम्मेलन के शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि सभी कार्यालयों में रजिस्टर में रजिस्टर का संधारण किया जावेगा ।

डाटा की सुरक्षा एवं संरक्षा

6.9.18 व्यापार निरन्तरता और आपदा रिकवरी योजना नहीं होना

व्यापार निरन्तरता योजना विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्त है। लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग के पास आपदा परिस्थितियों में कार्य करने हेतु कोई सामान्य व्यापार निरन्तरता और आपदा रिकवरी योजना नहीं है। जाँच किये गये सभी क्षे.प. कार्यालयों में डाटा का बैकअप वाहय

मिडिया में नहीं लिया जा रही था जिससे कि इसे कार्य स्थल से अलग आग से सुरक्षित एवं तुरंत उपलब्ध होने वाले स्थान पर रखा जा सके ।

चूँकि यहाँ कोई भी केन्द्रीय डाटावेस नहीं है अतः डाटा की हानि होने की स्थिति में मैदानी कार्यालयों के पास कोई तरीका नहीं है कि डाटा की हानि को पुर्नजिवित कर सकें । यह भी देखा गया है कि किसी भी मैदानी कार्यालय में कोई भी सर्वर स्टैण्डवाइ में नहीं रखा गया है जिससे किसी सिस्टम के असफल होने की दशा में तुरन्त प्रयोग में लाया जा सके। अतः यह आवश्यक है कि कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर एवं डाटा को कडे अग्नि सुरक्षा मानकों में रखा जाये ।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरा शासन ने लेखा परीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते कहा कि क्षे.प. अधिकारियों को यह सलाह दी गयी है कि वे नियमित तौर पर बैंक अप ले एवं उसे अलग सीडी/ हार्डडिस्क में अलग सिस्टम में रखें। परन्तु कार्य की अधिकता एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के निरन्तर तबादले के कारण वाछित परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सके । इन सब को पार पाने के लिए विभाग गम्भीरतापूर्वक पूरे क्षे.प. कार्यालय की गतिविधियों को आउटसोर्स करने पर विचार कर रहा है इसके लिए अतिरिक्त मानव श्रम "स्मार्ट कार्ड" परियोजना के अन्तर्गत लगाये जायेगे जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर होने के बाद कार्य आरम्भ हो जावेगा ।

6.9.19 कमजोर फिजीकल एवं लाजीकल एक्सेस नियन्त्रण होने से अनाधिकृत पहुँच

कम्प्यूटर सूचना प्रणाली में लॉजिकल एक्सेस नियंत्रण हेतु पहचान, आथराइजेशन एवं एकाउन्टबलिटी का उपयोग किया जाता है। ये सभी प्रोग्राम प्रोसेस और सूचना प्रणाली के नियंत्रण हेतु बनाया जाता है ।

ये सभी अवयव होते है जिन्हे सिस्टम, प्रोग्राम प्रोसेस एवं सूचना के नियंत्रण को नियंत्रित करते है लाजिकल एक्सेस नियंत्रण आपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एड आन सुरक्षा पैकेज अथवा डाटा बैस किसी में भी एमवेडड हो सकते है ।

लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि यद्वपि प्रत्येक ऑपरेटर्स को अलग-अलग यूजर आई डी एवं पासवर्ड दिया गया है । परन्तु उनमें से किसी एक की भी अनुपस्थित होने पर उनके पासवर्ड पर दुसरे आपरेटर द्वारा कार्य किया जाता है ऑपरेटर आपस में पासवर्ड को एक दूसरे को देते हैं । पासवर्ड के शेयरींग करने से इस प्रणाली में गलत डाटा का इन्द्रराज कराने से जालसाजी होने की संभावना अधिक होती है ।

इसके लिये विभाग के पास अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए कोई पासवर्ड योजना नहीं बनाया गया है । इसके साथ अन-ऑथराइजड यूजर के लॉगिन करने हेतु रोका नहीं जाता । इससे सिस्टम में अन-ऑथराइजड पहुँच परिणाम स्वरूप डाटा की हानि/स्थानान्तरण सम्बन्धी खतरे की संभावना है ।

6.9.20 सर्वर रूम में अग्निशामक यंत्र का नहीं पाया जाना

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि दो² क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में किसी भी आकस्मिकता से लड़ने के लिए अग्निशामक यंत्र नहीं लगाया गया है ।

² अम्बिकापुर एवं रायपुर

लेखापरीक्षा द्वारा उठाये जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि इसके लिये अभी यंत्र उनके पास नहीं है अतः नहीं लगाये गये ।

बर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि सभी क्षे.प.अ. को अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराये जायेंगे ।

वाहन साफ्टवेयर में सज़ान में आयी कमियां

वैधता नियन्त्रण का अभाव

डाटा वैधता एक प्रोसेस है यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोग्राम साफ सही एवं उपयोगी डाटा पर संचालित होता है। यह रूटिन जिसे अक्सर वैधता नियम अथवा चेक रूटिन कहते हैं, सिस्टम में डाले जा रहे डाटा की शुद्धता, अर्थपूर्णता और संरक्षा को चेक करता है । यह नियम आटोमेटेड सुविधा युक्त डाटा शब्द कोश अथवा स्पष्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम वैधता वार्किकता के जरिये संचालित होता है ।

हमने देखा कि डाटा की वैधता, युक्तता, तार्किकता एवं सुरक्षित को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में कोई वैधता नियन्त्र नहीं था जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में प्रकरणों से स्पष्ट है :-

6.9.21 बिना व्यापार प्रमाण पत्र के वाहनों का विक्रय

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 के अनुसार किसी व्यापारी के कब्जे में रखी वाहन, पंजीयन की आवश्यकता से छूट इस शर्त पर होगी कि क्षेत्र की अधिकारिता सीमा के भीतर क्षे.प.अधि से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करता है ।

क्षे.प. अधिकारी रायपुर एवं अम्बिकापुर के वाहन साफ्टवेयर डाटा वेस की नमूना जाँच में हमने यह पाया कि दो व्यापारियों के व्यवसाय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी । बावजूद इसके पंजीयन अधिकारी ने वाहन साफ्टवेयर में वाहनों का पंजीयन किया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि साफ्टवेयर में वाहनों के पंजीयन के समय व्यवसाय

प्रमाण पत्र की वैधता अवधि की जाँच के लिए कोई भी प्रणाली नहीं थी ।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित जाने पर क्षे.प.अ. अम्बिकापुर ने प्रशमन शुल्क की राशि वसूल ली जबकि क्षे.प.अ. रायपुर ने कहा कि वसूली हेतु नोटिस भेजा जा रहा है ।

वर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि साफ्टवेयर में आवश्यक सुधार हेतु रा.सू.के. को अनुरोध किया जावेगा ।

6.9.22 फीस की कम वसूली रोकने के लिए वैधता का अभाव

छ.ग मोटरयान कराधान अधिनियम 1994 के नियम 55-ए (अ) (ब) एवं (स) के अनुसार शासन ने कुछ विशिष्ट पंजीयन चिन्हों हेतु निश्चित फीस निर्धारित की है।

दो क्षे.प.कार्यालयों के वाहन साफ्टवेयर डाटा वेस की नमूना जाँच में हमने पाया कि 25 वाहनों के सन्दर्भ में ₹ 2.69 लाख आरोपणीय था परन्तु क्षे.प.अ. में इन प्रकरणों में

³ बिलासपुर एवं रायपुर

केवल ₹ 82000/- आरोपित और वसूल किया जिससे ₹ 1.87 लाख कम वसूल किये गये। वाहन साफ्टवेयर भी इन प्रकरणों को पकड़ने में असफल रहा क्योंकि कोई भी मास्टर डाटा नहीं बनाया गया बावजूद इसके कि साफ्टवेयर में इस तरह की सुविधा थी। लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ. बिलासपुर ने पूरी राशि वसूली की जबकि क्षे.प.अ. रायपुर ने उत्तर दिया कि शेष राशि की वसूली हेतु नोटिस भेजे जा रहे हैं।

बर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि साफ्टवेयर की कमियों को रा.सू.के. द्वारा सुधार किया जावेगा एवं सम्बन्धित लोगों से शेष राशि की वसूली की जायेगी।

6.9.23 त्रुटिपूर्ण बीमा कवर का पंजीयन रोकने के लिए वैधता नियंत्रण का अभाव

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 47(1) (ब) के अनुसार वाहनों के पंजीयन के समय बीमा प्रमाण पत्र साथ होना चाहिए।

दो⁴ क्षे.प.अ के वाहन डाटा वेस की नमूना जाँच में हमने पाया कि --

- दो क्षे.प.अ. कार्यालय में 426 रिकार्ड में एक कवर नोट दो वाहनों के पंजीयन में प्रयुक्त हुआ इन रिकार्डों में 26 कवर नोट ऐसे थे जिनमें एक कवर नोट पर तीन वाहन तक पंजीकृत थे।

➤ क्षे.प.अ. रायपुर में बीमा के सन्दर्भ में “NOT AVAILABLE” 184772 प्रकरणों में प्रदर्शित किये गये।

साफ्टवेयर द्वारा वैध डाटा नहीं इन्द्राज किये जाने की जाँच होनी चाहिए और साफ्टवेयर द्वारा अस्वीकृत की जानी चाहिए अतः डाटा की अद्वितीय होने के प्रोविजन न होने से साफ्टवेयर के सन्दर्भ में प्रणाली असफल हुई। अतः वैलिडेशन चेक एवं पर्यवेक्षण की अनुपलब्धता के कारण सिस्टम दोहरे कवर नोट के प्रयुक्त होने को रोक नहीं सका जिसके चलते बीमा कवर नोट का गलत प्रयोग हुआ।

लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ. ने उत्तर दिया कि डाटा इन्द्राज करने में हुई त्रुटि के कारण उपरोक्त त्रुटि हुई एवं रिकार्डों से सत्यापित कर साफ्टवेयर में डाटा भरे जायेंगे। परिवहन अधिकारियों ने भी दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत बीमा कवर नोट की वास्तविकता की जाँच नहीं की।

बर्हिगमन सम्मेलन के दौरा शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि जाँच पश्चात बीमा प्रमाण पत्रों की वैधता को साफ्टवेयर में डालने के लिए वाहन साफ्टवेयर की टीम से पत्राचार किया जावेगा।

6.9.24 स्थायी खाता संख्या इन्द्राज नहीं होना

आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये PAN कार्ड की मोटरकार क्रय करते समय उद्धरित करना पडता है और वाहन साफ्टवेयर के पंजीयन माड्यूल के भी इस बाबत बंदोबस्त किया गया है। वाहन साफ्टवेयर की नमूना जाँच में यह पाया गया कि विभाग ने इसे

⁴ अम्बिकापुर एवं रायपुर

इन्द्राज करने के लिए अनिवार्य नहीं किया। अतः तीन क्षे.प. कार्यालय. के 14662 प्रकरणों में PAN डिटेल नहीं भरे गये।

लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर क्षे.प. अधिकारी ने उत्तर दिया कि डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा त्रुटि के फलस्वरूप PAN संस्था इन्द्राज नहीं किये गये। जिन फाइलों में PAN है उन्हें वाहन साफ्टवेयर में अद्यतन किया जावेगा।

वर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये सभी प्रकरणों की जाँच की जावेगी और गुम पैन संख्या को वैकलाग के माध्यम से दर्ज किया जावेगा।

6.9.25 NOC देते समय कर डाटा नहीं भरे गये

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 48(5) के अनुसार “NOC दिये जाते समय पंजीयन अधिकारी को यह जाँच करनी चाहिए कि शासन को मिलने वाली समस्त राशि, मार्ग कर सहित शासन के खाते में ली जा चुकी है।

तीन क्षे.प.अ. के रिकार्डों की नमूना जाँच में हमने पाया कि 3527 वाहनों के सन्दर्भ में परिवहन अधिकारियों द्वारा कर चुकता से सम्बन्धित डाटा वाहन साफ्टवेयर में NOC स्वीकार करते समय नहीं भरा गया।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ. ने कहा कि वाहनों को NOC सभी सम्बन्धित रिकार्डों की जाँच पश्चात दिये जाते हैं। आगे यह भी कहा गया कि आक्षेपित अधिकांश वाहन, जीवन काल कर से सम्बन्धित हैं में डाटा इन्ट्री आपरेटर ने कर अदायगी का उल्लेख नहीं किये जाने से कर का रिपोर्ट इन्द्राज नहीं हुआ। भविष्य में ध्यान रखा जावेगा।

वर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया और कहा कि प्रकरण की जाँच की जावेगी एवं अगर NOC जारी करना गलत पाया गया तो कर की राशि, शास्ति सहित वसूल की जायेगी।

विजनेस नियमों को अद्यतन नहीं करना

6.9.26 जीवनकाल कर का कम आरोपण

छ.ग. शासन ने दिनांक 10/11/10 के नोटिफिकेशन द्वारा प्रत्येक वर्ग में जीवनकाल कर की दरों में 1 प्रतिशत की वृद्धि की थी।

वाहन साफ्टवेयर के डाटा वेस की नमूना जाँच में हमने यह पाया गया कि यद्यपि साँफ्टवेयर में कर की दर को अद्यतन करने की व्यवस्था थी तथापि विभाग इसे अद्यतन करने में असफल रहा। आगे प्रकरणों की सूक्ष्म जाँच में पाया गया कि 1443 प्रकरणों में जीवनकाल कर ₹ 49,07,222/- आरोपणीय था परन्तु क्षे.प.अधि.

ने ₹ 40,93,548/- आरोपित और वसूल किये जिससे ₹ 8,13,404/- की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर क्षे.प.अधिकारी रायपुर ने आपत्ति को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि वाहन स्वामियों का शेष राशि की वसूली हेतु मांग पत्र भेजे जा रहे हैं अग्रिम कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जावेगा ।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि साफ्टवेयर प्रयोग में आने के बाद पहली बार करों की दरों में परिवर्तन हुआ था एवं रा.सू.के. से वार्तालाप में कमी के कारण दरों को परिवर्तित करने में विलम्ब हुआ भविष्य में यह सुनिश्चित किया जावेगा कि रा.सू.के. को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवगत कराया जावे ।

सारथी साफ्टवेयर में सजांन में आयी कमियां

6.9.27 सारथी साफ्टवेयर की संरक्षा मानकों में कमी

के. मो. या. नियम 1989 के 17 (1) (ब) के अनुसार परिवहन यान को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र, फार्म-5 में जारी किये गये चालन प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए । ऐसा प्रमाण पत्र मोटरयान 1988 की धारा 12 के अधीन पंजीकृत मोटर यान स्कूल द्वारा जारी होना चाहिए।

सारथी साफ्टवेयर की नमुना जाँच में हमने पाया कि नेशनल मोटर ट्रेनिंग स्कूल रायपुर की वैधता 1/7/2011 को समाप्त हो गयी थी लेकिन साफ्टवेयर द्वारा स्कूल द्वारा जारी किये गये फार्म - 5 को मान्य कर चालन अनुज्ञप्ति जारी किये गये।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ. रायपुर ने आक्षेपों को स्वीकार किया और उत्तर में कहा कि सस्थान को नोटिस भेजा जा रहा है और भविष्य में कार्यवाही कर लेखा परीक्षा को सूचित किया जावेगा ।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए कहा कि कमियों को दूर करने के लिए रा.सू.के. को सूचित किया जावेगा ।

6.9.28 निष्कर्ष

परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य, उपभोक्ताओं को बेहतर, प्रभावी और समय वृद्ध सेवा उपलब्ध कराना एवं राजस्व हानि को रोकना था। किन्तु देखा यह गया कि योजना एवं पर्यवेक्षण नियन्त्रण के अभाव में इन्द्राज किये गये डाटा की पूर्णता, सत्यता और अखण्डता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। माड्यूल के कई अवयव अभी भी उपयोग में नहीं थे साफ्टवेयर में कमियाँ थी जिसके सुधार के लिए हस्तक्षेप आवश्यक थे जिसके चलते प्रणाली अविश्वनीय हो गयी । प्रणाली को दो वर्ष तक वाणिज्यिक रूप से प्रयोग में लाये जाने के बावजूद भी सभी कागजी रिकार्डों को केन्द्रीकृत डाटा आधार में नहीं लाया जा सका । अतः वाहन साफ्टवेयर का उद्देश्य यथा बेहतर जन सेवा, क्षे.प.कार्यालय एवं प्रवर्तन दलों के कार्य में सुधार एवं प्रभावी एवं पारदर्शी राजस्व संग्रहण पूर्ण रूप से हासिल नहीं किया जा सका ।

6.9.29 अनुशासाएं

शासन को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए

- व्यापार निरंतरता योजना को परिभाषित करने के लिए सुरक्षा एवं बैंक अप योजना को गठित करना
- योजना में कमियों को विहित करना एवं उन्हें प्रोग्राम में शामिल करना
- इनपुट और वैध नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत बनाया जाय जिससे गलत और अपूर्ण डाटा सिस्टम में दर्ज नहीं किया जा सके
- पर्याप्त भौतिक एवं तार्किक अभिगम नियन्त्रण को सुनिश्चित करना ताकि डाटा की सुरक्षा एवं संरक्षा से समझौता न हो सके
- प्रणाली के उपर प्रभावी पर्यवेक्षण और नियन्त्रण सुनिश्चित करे
- विभागीय कर्मचारियों को सिस्टम प्रबंधन और डाटा के संचालन हेतु प्रशिक्षित करना

6.10 लेखापरीक्षा टिप्पणी

परिवहन विभाग के अभिलेखों की जाँच में अधिनियम के प्रावधानों के पालन न होने, कर के अनारोपण/कम आरोपण के अनेक प्रकरण प्रकाश में आये जो इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेखित हैं। यह उदाहरणात्मक प्रकरण है एवं लेखापरीक्षा के नमूना जाँच पर आधारित है। जो विभागीय कार्यवाही में कमियों को दर्शाता है। यद्यपि हम प्रत्येक वर्ष समान प्रकरण को उठाते हैं लेकिन अनियमितताएं बनी रहती हैं। अतएव हम यह महसूस करते हैं कि विभाग इस प्रकार की अनियमितता का दोहराव न होने देने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करे।

6.11 यात्री यान एवं मालयान के स्वामियों से कर की वसूली न होने बाबत

अधिनियम की धारा 3 एवं 5 के प्रावधानों के अनुसार वाहन जो कि राज्य में उपयोग किये गये या उपयोग हेतु रखे गये हैं पर प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दर के अनुसार कर आरोपित किया जावेगा। यदि शोध कर का संदाय नहीं किया गया है तो वाहन स्वामी शोध कर के संदाय के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिये कर की असंदत रकम के एक बारहवे की दर से किंतु रकम से अनाधिक ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो अधिनियम की धारा 13 (1) के अनुसार अधिरोपित की गई है। यदि कोई वाहन स्वामी शोध कर शास्ति अथवा दोनों का संदाय करने में असफल रहता है तो करायान अधिकारी को चाहिए की मांग पत्र जारी करके राशि को भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल करने की कार्यवाही करे।

दो⁵ जिला परिवहन कार्यालयों (जुलाई 2008) के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि यद्यपि जुलाई 2005 से मार्च 2008 के बीच 39 माल यान एवं 33 यात्री यान के स्वामियों ने ₹ 8.37 लाख का मार्ग कर संदाय नहीं किया तथापि जिला परिवहन अधिकारी द्वारा कर की वसूली के लिए कोई भी मांग पत्र जारी नहीं किया गया। इसके चलते ₹ 8.37 लाख का कर वसूल नहीं हुआ। कर के विलंबित भुगतान के लिए शास्ति ₹ 8.37 लाख भी आरोपणीय थी।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने (सितम्बर 2011) सूचित किया कि ₹ 6.28 लाख वाहन स्वामियों द्वारा जमा करा दिये गए हैं एवं ₹ 2.83 लाख कर के समय

पर जमा होने के कारण शास्ति देय नहीं है। बाकी के प्रकरण के बारे में पूछे जाने पर कहा गया कि ₹ 7.63 लाख की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किए जा रहे हैं।

यद्यपि वाहन स्वामियों द्वारा कर को समय पर जमा कर दिया गया था तथापि उसे न तो कर रजिस्टर में इन्द्राज किया गया था और ही ऑडिट के दौरान सूचित किया गया। यह विभाग के रिकार्डों के अव्यस्थित होने एवं आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की कमी को इंगित करता है।

⁵ कवर्धा एवं बैकुण्ठपुर

6.12 प्रशमन शूलक की कम वसूली

मोटर यान अधि. 1988 की धारा 194 (1) और सहपठित नोटिफिकेशन दिनांक 2/2/2007 के अनुसार नियत भार क्षमता से अधिक भार लेकर चलने पर ₹ 2000 प्रति टन की शास्ति एवं प्रत्येक अतिरिक्त टन पर ₹ 1000/- की शास्ति प्रथम बार और अन्य बार लागू है।

पाँच जाँच चौकियों की नमूना जाँच में हमने पाया कि फरवरी 2007 से जुलाई 2010 के बीच 327 प्रकरणों में बिल भार निर्धारित क्षमता से अधिक था। प्रभारी अधिकारी ने वाहन स्वमियों से ₹ 8.49 लाख की जगह ₹ 5.00 लाख की आरोपित एवं वसूल किया गया जिससे ₹ 3.49 लाख की कम वसूली हुई।

बर्हिगमन सम्मेलन में शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि ₹ 0.35 लाख राशि की वसूली तीन जाँच चौकी के सन्दर्भ में पूर्ण हो

चुकी है। वाड्डफनगर जाँचचौकी के सन्दर्भ में ₹ 1.71 लाख के विरुद्ध 10,000/- वसूल एवं पाटेकोहरा जाँच चौकी के सन्दर्भ में ₹ 1.43 लाख के विरुद्ध 27,300/- वसूल किये गये। शेष राशि ₹ 2.77 लाख की वसूली हेतु विभाग ने कहा कि सन्दर्भित प्रभारी अधिकारी को शीघ्र वसूली हेतु निर्देशित किया है और उन्होने भी इस बाबत आश्वासन दिया है।

सातवां अध्याय-विद्युत एवं सुरक्षा

7.1 कर प्रशासन

ऊर्जा विभाग राज्य के प्रमुख राजस्व संग्रहणकर्ता विभागों में से एक है विगत पाँच वर्षों में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में विद्युत पर कर का हिस्सा 5.58 से 9.29 प्रतिशत तक है। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम एवं इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार आरोपित अथवा अदेशित शुल्क, फीस तथा उपकार विद्युत राजस्व में समाहित होती है विभाग निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों का पालन करता है।

- म.प्र. विद्युत कर अधिनियम, 1949 (छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंगीकृत)
- म.प्र. उपकर अधिनियम, 1981 (छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अंगीकृत)
- छ.ग. उपकर संशोधन अधिनियम, 2004

7.2 बजट तैयारी का विश्लेषण

बजट तैयार करने हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। शासन की योजनाओं के अनुसार बजट तैयार करने की कार्यवाही की जाती है। ऊर्जा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में चार कार्यालय संचालित हैं, जिनके बजट पृथक - पृथक तैयार होते हैं। राज्य के बजट हेतु जानकारियों का संकलन मुख्य विद्युत निरीक्षक के द्वारा संकलित एवं शासन को पेश किया जाता है।

7.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान विद्युत विभाग की वास्तविक प्राप्तियाँ उस अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के साथ निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित बजट	वास्तविक बजट	अंतर अधिक (+)/ कमी (-)	अंतर का प्रतिशत	राज्य का कुल प्राप्त कर	वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत (कुल कर)
2006-07	500.95	469.12	(-)31.83	(-)6.35	5045.70	9.29
2007-08	481.10	394.86	(-)86.24	(-)17.93	5618.10	7.02
2008-09	476.75	415.10	(-)61.65	(-)12.93	6593.72	6.29
2009-10	528.25	416.91	(-)111.34	(-)21.08	7123.25	5.85
2010-11	554.31	502.53	(-)51.79	(-)9.34	9005.14	5.58

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उक्त अवधि में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से कम थीं। बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों की भिन्नता (-)21.08 और

(-)6.35 प्रतिशत के मध्य थी। उक्त अवधि में कुल वास्तविक प्राप्तियाँ, कुल कर प्राप्तियों के 5.58 और 9.29 प्रतिशत के मध्य थी।

बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य वृहद अन्तर यह दर्शाता है कि बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर निर्मित नहीं था। चूंकि बजट अनुमान सरकार के वित्तिय योजना का एक प्रमुख पहलु है, अतः इसे वास्तविक प्राप्तियों के समकक्ष होना वांछनीय है। वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों का हास जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया (सितम्बर 2011), स्वयं प्रयोज्य विद्युत संयंत्रों के उपभोक्ता द्वारा ऊर्जाशक्ति विकास उपकर जमा नहीं किये जाने के कारण था।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन, विभाग को वास्तविक आधारों पर बजट अनुमान बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दें जिससे वे वास्तविक प्राप्तियों के करीब हों।

7.4 राजस्व बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2011 को राजस्व की राशि ₹ 199.64 करोड़ थी जिसमे से ₹ 9.76 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। निम्नलिखित सारणी मे अवधि 2006-07 से 2010-11 के दौरान राजस्व बकाया स्थिति को दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक बकाया का शेष	वर्ष के दौरान उठाई गई मांग	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकाया का अंतिम शेष
2006-07	9.76	-	0.01	9.75
2007-08	9.75	35.23	-	44.98
2008-09	44.98	44.66	3.52	86.12
2009-10	86.12	68.34	-	154.46
2010-11	154.46	45.18	-	199.64

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग अवधि 2006-07 से 2010-11 के दौरान द्वारा बकाया की वसूली हेतु प्रभावी प्रयास नहीं किए गए। हांलाकि 2006-07 एवं 2008-09 में प्रयास किए गये किन्तु वसूली नगण्य थी।

हम अनुशंसा करते हैं कि राजस्व बकाया की वसूली बेहतर करने हेतु विभाग को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिये। शासन को बकाया राजस्व की वसूली हेतु यथोचित कदम उठाये चाहिये।

7.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति : पिछले पाँच वर्षों मे, लेखापरीक्षा ने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 45 प्रकरणों में शुल्क एवं उपकर की कम/अवसूली, तथा अनियमित छूट के कारण शुल्क की कम अवसूली इंगित किया गया जिसमे ₹ 113.73 करोड़ की राशि सन्निहित थी। इनमें से 10 प्रकरणों,मे जिनमें राशि ₹ 29.37 करोड़ समाहित है उनके

लेखा परीक्षा आक्षेप विभाग/शासन द्वारा स्वीकार किये गये है। विभाग ने 0.18 करोड़ की वसूली की। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये है :-

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरिक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार्य राशि		वसूल की गया राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2005-06	01	6	2.48	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-	-	-	-
2007-08	02	23	61.39	6	29.07	1	0.07
2008-09	02	16	49.86	4	0.30	1	0.11
2009-10	-	-	-	-	-	-	-
योग	05	45	113.73	10	29.37	2	0.18

7.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो की स्थिति : वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में ₹ 82.74 करोड़ के शुल्क एवं उपकर के कम/अवसूली आदि से संबंधित प्रकरण सूचित किये गये थे। विभाग ने इनमें से ₹ 49.97 करोड़ के प्रकरण स्वीकार किये तथा मार्च 2011 तक ₹ 0.36 करोड़ की वसूली मार्च 2011 तक की है जो कि निम्न तालिका में दर्शाते हैं।

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	विभाग द्वारा स्वीकार राशि	मार्च 2011 तक वसूल की गई राशि
1	2005-06	1.30	0.46	0.36
2	2006-07	-	-	-
3	2007-08	57.76	28.03	-
4	2008-09	23.68	21.48	-
5	2009-10	-	-	-
	योग	82.74	49.97	0.36

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा स्वीकृत प्रकरणों की कुल आक्षेपित राशि में से मात्र 0.72 प्रतिशत की वसूली की गई।

हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य शासन को स्वीकृत प्रकरणों की राशि की वसूली तेज करने हेतु त्वरित प्रयास करना चाहिए।

7.6 आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा (आं. ले. प.) का उद्देश्य सुधार एवं निवारण करने की दिशा में त्रुटियों के सुधार एवं निवारण हेतु कारगर प्रणाली अपनाते हुए बिना समय व्यर्थ करते हुए त्रुटियों को उजागर कर उसका निवारण करना है।

विभाग मे आं. ले. प.नही है अतः नियंत्रण की विफलता का जोखिम विभाग में व्याप्त है। हमारी अनुशंसा है कि शासन को विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा स्थापित करने हेतु शीघ्र कार्यवाई करना चाहिये।

7.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2010-11 में विद्युत सुरक्षा विभाग के तीन इकाईयो के अभिलेखो का नमूना जांच किया। जांच में विद्युत शुल्क एवं उपकर की अवसूली, अनारोपण, अनियमित छूट आदि के 69 प्रकरण जिनमे ₹ 579.31 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी, प्रकाश में आये जो कि निम्नानुसार वर्गीकृत है-

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	राशि
1.	विद्युत शुल्क एवं ब्याज की अवसूली	9	11.87
2.	विद्युत शुल्क की अनियमित छुट	03	29.45
3.	विद्युत शुल्क का अनारोपण	15	2.02
4.	बकाया उपकर की अवसूली	27	534.41
5.	अन्य अनियमितताएं	15	1.56
योग		69	579.31

वर्ष के दौरान विभाग ने 64 प्रकरणों में ₹ 577.75 करोड़ रूपये की कमियों को स्वीकार किया। विभाग द्वारा पूर्व वर्षो के इंगित प्रकरणो मे से ₹ 0.83 लाख की वसूली की गई। एक उल्लेखनीय प्रकरण जिसमें ₹ 1.13 करोड़ की राशि सन्निहित हैं, अनुवर्ती कंडिका में वर्णित हैं।


7.8 एकलबत्ती कनेक्शन पर उपकर एवं ब्याज का अनारोपण

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1981 की धारा 3 (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंगीकृत) सहपठित छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम 2004 के अनुसार विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक वितरक विक्री की गई या उपभोक्ता को प्रदाय की गई या स्वयं के अथवा उसके कर्मचारियों के द्वारा उपयोग की गई विद्युत उर्जा की यूनिट पर विद्युत शुल्क के अतिरिक्त पांच पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा विकास उपकर का भुगतान करेगा। उपकर का भुगतान न करने पर अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 1975 द्वारा निर्धारित दरो पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

संभागीय विद्युत निरीक्षक बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच अप्रैल 2010 में हमने पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 15,16,88,875 यूनिट विद्युत, एकल बत्ती कनेक्शन स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ताओं

को वितरित/विक्रीत की गई परन्तु उपकर का भुगतान नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप उपकर ₹ 75.84 लाख एवं उस पर ब्याज ₹ 37.12 लाख रुपये की वसूली की गई। इसे इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2010 और फरवरी 2011), विभाग द्वारा कहा गया कि वसूली हेतु संबंधित संभागों को लिखा गया है।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2010) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2012)।



8.1 कर प्रशासन

वन विभाग मुख्यतः काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस एवं लघु वन उपज के विक्रय से राजस्व अर्जित करता है, जो कि शासन के मुख्य राजस्व स्रोत है। वन उपज का निवर्तन नीलामी, निविदा आमंत्रण आदि के माध्यम से होता है। राजस्व का अपवंचन मुख्यतः कार्ययोजना अनुसार पूर्तियों व लक्ष्य की अप्राप्ति के कारण होता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं बढ़त को बरकरार रखने की जिम्मेदारी वन विभाग की है जो कि प्रमुख सचिव (वन) के अधीन कार्य करता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर, विभाग के समस्त प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

वन मण्डलों के प्रशासन, वन उत्पादन का विक्रय एवं राजस्व की वसूली का उत्तरदायित्व वनमंडलाधिकारी का है। वनों की सुरक्षा के अलावा, परिक्षेत्र अधिकारी पर पौधा रोपण कार्य कराना, वृक्षों का चिन्हांकन व पातन करना, काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के कूप¹ से डिपो तक परिवहन इत्यादि की जिम्मेदारी है। कार्य योजनाओं का समय से तैयार करने की जिम्मेदारी कार्य योजना वृत्त व संभाग की है। वन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी संभाग वन प्रबंधन विभाग की सूचना एवं तकनीकी शाखा होती है जो वन प्रबंध एवं योजना बनाना तथा साफ्टवेयर विकास के उपयोग में सहायता के लिये है। विभाग राजस्व संग्रहण हेतु निम्न दर्शाये अधिनियमों व नियमों का अनुशरण करता है :

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अंतर्गत बने नियम,
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बने नियम,
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उसके अंतर्गत बने नियम,
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता, 2004 एवं
- निधारण एवं राजस्व संग्रहण के संबंध में समय-समय पर शासन/विभाग द्वारा जारी निर्देश/आदेश

8.2 बजट तैयारी का विश्लेषण

बजट की तैयारी वन वित्तीय नियम के नियम 127 एवं 128 के आधार पर की जाती हैं। यह बजट अनुमानों की तैयारी हेतु प्रक्रियाओं को प्रतिपादित करता है। बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान वनमंडल अधिकारियों (व.म.अ.) द्वारा तैयार किया जाकर संबंधित वन संरक्षकों (व.स.) को प्रेषित की जाती हैं। वन संरक्षकों द्वारा वृत्त हेतु अनुमानों का संकलन मुख्य वन संरक्षक (मु.व.स.)/ वित्त एवं लेखा को प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2010-2011 का बजट अनुमान ₹ 400.00 करोड़ एवं राजस्व प्राप्ति ₹ 305.17 करोड़ था। बजट अनुमान के विरुद्ध 23.71 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों/गड़बड़ियों के कारण कमी आई।

शासन वास्तविक बजट तैयार करे जिससे बजट अनुमान अनुसार राजस्व प्राप्ति हो सके।

¹ कार्ययोजना में वन क्षेत्र को विभिन्न कार्यवृत्त, कार्यवृत्त को कक्षों एवं कक्षों की कूपों में विभाजित किया गया है।

8.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के मध्य राज्य की कर भिन्न राजस्व में वन प्राप्तियों का अंशदान 7.95 एवं 14.63 प्रतिशत के मध्य था जो निम्न तालिका में दर्शित हैं -

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन आधिक्य(+) कमी (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर - भिन्न प्राप्तियाँ	कर भिन्न प्राप्तियाँ
2006-07	211.53	205.79	(-) 5.74	(-)2.71	1451.34	14.17
2007-08	250.00	258.07	(+)8.07	3.23	2020.45	12.77
2008-09	280.00	322.29	(+)42.29	15.10	2202.21	14.63
2009-10	365.00	345.85	(-)19.15	(-)5.25	3043.00	11.36
2010-11	400.00	305.17	(-)94.83	(-)23.71	3835.32	7.95

हमने देखा कि यद्यपि वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में विभाग का राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान से क्रमशः 3.23 प्रतिशत एवं 15.10 प्रतिशत अधिक थी, शेष वर्षों में प्राप्तियों में गिरावट दर्ज की गयी एवं गिरावट का प्रतिशत 2.71 से 23.71 प्रतिशत था। इसी प्रकार विभाग की वास्तविक प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर - भिन्न राजस्व प्राप्ति का 7.95 प्रतिशत से 14.63 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2010-11 में राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 23 प्रतिशत कम था।

8.4 बकाया राजस्व का विश्लेषण

दिनांक 31 मार्च 2011 को बकाया राजस्व राशि ₹ 2.45 करोड़ थी, जिसमें ₹ 0.22 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया था। निम्नलिखित तालिका, अवधि 2006-07 से 2010-11 तक के बकाया राजस्व की स्थिति दर्शाती हैं-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्व शेष	वर्ष में जारी की गयी मांग	वर्ष में वसूल की गयी राशि	बकाया का अंत शेष
2006-07	0.22	201.86	201.84	0.24
2007-08	0.24	265.60	265.54	0.30
2008-09	0.30	311.35	311.20	0.45
2009-10	0.45	343.24	341.30	2.39
2010-11	2.39	357.19	357.13	2.45

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बकाया राजस्व में मामूली वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष ₹ 2.39 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 में बकाया राजस्व बढ़कर ₹ 2.45 करोड़ हो गया अर्थात् 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

8.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

8.5.1. निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति - पिछले पाँच वर्षों में, लेखापरीक्षा ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से बाँस/काष्ठ के विदोहन न करने से, बाँस/काष्ठ का कम उत्पादन, वन उपज की कमी से राजस्व हानि आदि, जिनके 1536 प्रकरणों में राशि ₹ 278.35 करोड़ समाहित है, को इंगित किया है। इनमें से 1318 प्रकरणों में, जिनमें राशि ₹ 135.09 करोड़ समाहित है, के लेखापरीक्षा आक्षेप विभाग/शासन द्वारा स्वीकार किये गये हैं। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये हैं -

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकार की गई राशि		वसूल की गई राशि	
		प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2005-06	4	186	53.81	1	0.07	-	-
2006-07	7	58	104.48	58	104.48	-	-
2007-08	1	5	5.17	5	5.17	-	-
2008-09	11	285	19.60	256	9.79	-	-
2009-10	11	1002	95.29	998	15.58	1	9.00
योग	34	1536	278.35	1318	135.09	1	9.00

8.5.2. लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति - वर्ष 2005-06 से 2009-10 के प्रतिवेदनों में, ऐसे प्रकरण जिनमें राजस्व वसूली न करना/कम करना, वनोपज की कमी, जिनमें राशि ₹ 101.17 करोड़ समाहित थी, इंगित किये गये थे, जो नीचे तालिका में दर्शाये हैं-

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा का वर्ष	कुल राशि	स्वीकार की गई राशि	मार्च 2011 तक कुल वसूली राशि
2005-06	11.55	-	-
2006-07	2.43	-	-
2007-08	-	-	-
2008-09	-	-	-
2009-10	87.19	9.02	-
योग	101.17	9.02	-

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पिछले पांच वर्षों में विभाग द्वारा कोई वसूली नहीं की गई है।

मंत्रणा के दौरान शासन ने सूचित किया कि प्रकरणों की जाँच की जाकर त्वरित वसूली का प्रयास किया जाएगा।

8.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का वृहद अंग है जो संगठन को यह आश्वासन देता है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 36 इकाईयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई थी जिसमें से सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई एवं 26 निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित वन मंडलों को प्रेषित की गई।

8.7 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2010-11 के दौरान वन विभाग की नौ ईकाईयों के राजस्व प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच में ईमारती काष्ठ/बाँस के विदोहन न किये जाने के कारण राजस्व की अवसूली/ कम वसूली, ईमारती काष्ठ/बाँस के पैदावार में कमी, वनोपज में कमी, राजस्व की हानि आदि के 352 प्रकरण जिनमें ₹ 20.49 करोड़ की राशि निहित हैं प्रकाश में आये जिन्हें निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है -

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वनोपज के गुणवत्ता में हास/कमी के कारण राजस्व की अप्राप्ति	149	0.75
2	ईमारती काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि	74	4.77
3	अन्य अनियमितताएँ	129	14.97
योग		352	20.49

वर्ष 2010-11 के दौरान विभाग ने ₹ 1.17 करोड़ के 69 प्रकरणों को स्वीकार किया किया ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिनमें ₹ 14.90 करोड़ की राशि समाहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं ।

8.8 लेखापरीक्षा टिप्पणी

हमने विभिन्न वन मंडलाधिकारियों (व.म.अ.) के अभिलेखों की जाँच की एवं अधिनियमों/नियमों/शासकीय विज्ञप्ति/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के अनेक प्रकरण पाये गये जिनमें काष्ठ/बाँस का पातन/कम पातन, काष्ठ का कम उत्पादन, वनोपज में कमी, आदि के कारण राजस्व हानि हुई जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं । ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित हैं । वन मंडलाधिकारियों द्वारा हुई इस प्रकार की अनियमितताएँ प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती हैं, लेकिन ये अनियमितताएँ न केवल बनी रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है । विभाग को आवश्यकता है कि, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

8.9 अभिवहन पास के बिना वनोपज के परिवहन के फलस्वरूप अभिवहन शुल्क का अनारोपण

छ.ग. अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 अनुसार किसी भी वनोपज का वन भूमि से वैद्य अभिवहन के बिना परिवहन नहीं किया जावेगा। अभिवहन पास विभाग द्वारा, अभिवहन शुल्क चुकाए जाने के बाद जारी किए जाएंगे। उक्त नियम में जून 2002 में संशोधन द्वारा यह भी जोड़ा गया कि खनिज पदार्थों हेतु अभिवहन पास जारी करने हेतु ₹ 7/- प्रति टन की दर से शुल्क वसूल किया जावेगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु स्थानांतरित वन भूमि की वैधानिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अर्थात् वे वन भूमि ही रहेंगे।

हमने वनमंडल अधिकारी दुर्ग के अभिलेखों के जांच के दौरान पाया कि उत्खन्न हेतु वन भूमि भिलाई ईस्पात संयंत्र को स्थानांतरित की गयी थी। 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान उत्खन्न हेतु स्थानांतरित वन भूमि से 1.88 करोड़ टन लौह अयस्क उत्खनित किये गये थे। हमने पाया कि स्थानांतरित वन भूमि से उत्खनित खनिज के अभिवहन हेतु कोई पास जारी नहीं किये गये थे। अतः उत्खनित मात्रा पर कोई अभिवहन शुल्क की प्राप्ति नहीं की जा सकी। फलस्वरूप अभिवहन शुल्क संबंधित नियमों को लागू ना किये जाने पर ₹ 13.16 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा (सितम्बर 2011) यह सूचित किया गया कि प्रकरण का कानून विभाग की सलाह से परीक्षण किया जावेगा।

8.10 डिपो में वनोपज की कम प्राप्ति

समय-समय पर वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कूपों में उत्पादित समस्त वनोपज को गुणवत्ता में हास, आग एवं चोरी से होने वाली हानि से बचान के लिये डिपो में 30 जून से पहले परिवहित किया जावेगा। पुनः छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 22(1) के अनुसार हानियों का एक प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार को शीघ्रता से प्रस्तुत किया जावेगा, एवं हानि दिनांक के छः माह के अंदर जांच पूर्ण कर लिया जावेगा।

8.10.1 वनमंडलाधिकारी रायपुर (सामान्य) के अभिलेखों (मई 2006) की जांच के दौरान देखा गया कि वन अधिकारियों द्वारा (जून 2006) में 2001-02 से 2004-05 की अवधि के 12 निस्तार² डिपों का भौतिक सत्यापन में ₹ 14.96 लाख की वनोपज कम पायी गयी। इसके बावजूद वनमंडलाधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार को सूचित नहीं किया गया था। हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2011) कि छह³ डिपो के प्रकरण आरम्भिक शेष उत्तरवर्ती वर्षों में

² निस्तार का अर्थ है वन क्षेत्र से 5 कि.मी की परिधि के अंदर रहने वाले जरूरतमंद गामीणों को सब्सिडी दर पर बाँस, बल्ली एवं जलाउ लकड़ी उपलब्ध कराना।

³ धरसीवा, उपरबारा, अभनपुर, सान्डी, भाटापारा, धमतरी

डिपो में कोई कमी नहीं दर्शाता हैं हालाकि बाकी के डिपों में ₹ 2.89 लाख की वसूली/अपलेखन की प्रक्रिया जारी हैं शासन द्वारा आगे सूचित किया गया कि ₹ 1.33 लाख तीन डिपों से वसूला जा चुका हैं ।

8.10.2 दो⁵ वन मंडलाधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2009 एव मार्च 2009 के मध्य) में हमने पाया कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा संपादित किये गये डिपो के भौतिक सत्यापन में ₹ 9.41 लाख मूल्य के वनोपज की कमी पायी गयी। इसके बावजूद वनमंडलाधिकारियों ने न ही जिम्मेदार कर्मचारियों से वनोपज के मूल्य वसूलने हेतु कोई कार्यवाही की और न ही कमी के कारणों की कोई जांच की ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि कूप⁶ में गलत वर्गीकरण एवं मापन के कारण डिपों में श्रेणी एवं मात्रा में अंतर परिलक्षित हुआ है। यद्यपि, कुछ प्रजाति में कमी हुई हैं लेकिन उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई हैं ।

उत्तर सही नहीं हैं क्योंकि हमारी टीप डिपों में उपलब्ध वनोपज की मात्रा पर हैं जो कि अंतिम है तथा उसके पश्चात् कोई अंतर नहीं आना चाहिये । पुनश्च: एक प्रजाति के दूसरे में परिवर्तित हो जाना भी सही नहीं हैं ।

8.11 शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की कम वसूली

राज्य शासन के आदेश दिनांक 18.11.2004 के अनुसार आवेदक संस्था राज्य वन विभाग को व्यपवर्तित वन भूमि के लिए विहित शुद्ध प्रत्याशा मूल्य जमा करेगा।

वन मंडलाधिकारी दुर्ग के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2008) में हमने पाया कि राज्य शासन के प्रस्ताव के आधार पर केन्द्र शासन ने महामाया लौह एवं अयस्क खान के 84.00 हैक्टेयर वन भूमि नवीनीकरण हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्ग के पत्र में गैरवानिकी कार्य हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति दी। व्यपवर्तित क्षेत्र कूप नं. 159 के अंतर्गत आता हैं जिसका स्थल गुण

श्रेणी, वन मंडलाधिकारी (व.म.अ.), कार्ययोजना, वनमंडल, दुर्ग, के अनुसार चतुर्थ ब था। तदनुसार वनमंडलाधिकारी ने आवेदक संस्था द्वारा देय शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की गणना ₹ 6.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से ₹ 5.21 करोड़ की, जिसे आवेदक संस्था ने समय से जमा किया।

अग्रेत्तर जांच में पाया गया कि वन मंडलाधिकारी चौथा-सी हेतु निर्धारित दर अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की गणना की थी । क्योंकि वन मंडलाधिकारी द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि की स्थल गुण श्रेणी चौथा बी दर्शाया गया है, तदनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की गणना चौथा-बी हेतु निर्धारित दर अनुसार, अर्थात् ₹ 7.80 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से आवेदक संस्था द्वारा देय ₹ 6.55 करोड़ की गणना की जानी थी । इस प्रकार वन मंडलाधिकारी द्वारा गलत दर लागू किये जाने से ₹ 1.34 करोड़ की कम प्राप्ति हुई ।

जब हमने प्रकरण को इंगित किया (जून 2011), वन मंडलाधिकारी दुर्ग ने (जुलाई 2011) आवेदक संस्था को बकाया राशि ₹ 1.34 करोड़ जमा करने हेतु लेख किया ।

⁴ तोरला, वरपाली (2003-04 एवं 2004-05)

⁵ कांकेर, कवर्धा

⁶ वन में कटाई एवं अन्य वानिकी कार्यों हेतु क्षेत्र को कूपों में बांटा जाता हैं ।

8.12 राज्यांश की कम वसूली

कलेक्टर, (खनिज), रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 345 दिनांक 19.06.2008 के निर्देशानुसार एवं खान एवं खनिज नियमों के अनुसार राज्यांश चोरी की प्रवृत्ति रोकने हेतु किसी खनिज के मुख्य चैनल के बेड से उत्खनन के लिए प्रोसेसिंग निर्वतन के पहले खनिज विभाग से राज्यांश जमा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है।

कार्यपालन अभियंता (का.अ.) जल संसाधन प्रबंधन मंडल नं.1 रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच में हमने पाया कि महानदी मुख्य चैनल के कि.मी 70 से 75 पर 1,16,869 घ.मी. कड़ी चट्टान का उत्खनन किया गया। कड़ी चट्टान के परिवहन की निविदा में. जाफरी कन्सट्रक्शन, रायपुर के पक्ष में ₹ 32.57 लाख की कीमत पर अंतिम स्वीकृति दी गई हालांकि निविदा को अंतिम रूप देते के पहले खनिज शाखा

से राज्यांश जमा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया। यद्यपि ₹ 30.00 प्रति घ.मी की दर से राज्यांश ₹ 35.07 लाख की गणना की गई एवं एजेंसी को सामग्री उठाने के पहले राज्यांश जमा करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इसकी जानकारी का.अभि. द्वारा खनिज विभाग को नहीं दी गई एवं निविदाकार को राज्यांश जमा किये बिना सामग्री उठाने की अनुमति दी गई। निविदाकार ने राज्यांश ₹ 35.07 लाख के विरुद्ध ₹ 9.00 लाख जमा किया, इस प्रकार राज्यांश ₹ 26.07 लाख की कम वसूली हुई।

जब हमने प्रकरण को इंगित किया, मंडल अधिकारी ने उत्तर दिया कि निविदाकार को राज्यांश जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रकरण टिप्पणी हेतु विभाग एवं शासन को ध्यान में लाया गया, उनका उत्तर अपेक्षित हैं।

रायपुर
दिनांक

13 MAR 2012



(पूर्ण चंद्र माझी)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

9 MAR 2012



(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

